





एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम

Integrated Watershed Management Programme

छत्तीसगढ़ राज्य परिप्रेक्ष्यक एवं कार्यनीतिक योजना
Chhattisgarh State Perspective and Strategic Plan

स्टेट लेवल नोडल एजेंसी (SLNA)
छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर (छ.ग.)





संकलन एवं संयोजन

राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छ.ग.

श्री पी. एन. सिंह, पर्यवेक्षण अधिकारी—१

डॉ. एम. मिंज, पर्यवेक्षण अधिकारी—३

श्री एस. के. कुशवाहा, जी.आई.एस. विशेषज्ञ

श्री विवेक सिंह ठाकुर, प्रशिक्षण विशेषज्ञ

श्री सिद्धार्थ असाटी, प्रोग्रामर

क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, इसरो, भारत सरकार, नागपुर

डॉ. ए.के. जोशी, महाप्रबंधक

डॉ. सुब्रता एन. दास, वैज्ञानिक (एस.एफ.)

छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

प्रो. एम.एम. हम्बर्ड, महानिदेशक

श्री प्रशांत कविश्वर, वरिष्ठ संसाधन वैज्ञानिक

विषय सूची

संकलन एवं संयोजन	i
विषय सूची	ii
मानचित्र सूची	v
रेखा चित्र सूची	vii
तालिका सूची	viii
अनुलग्नक.....	x
1. अध्याय – भूमिका	1
1.1. परिचय.....	1
1.2. भौगोलिक परिदृश्य	1
1.3. अपवाह प्रणाली.....	3
1.4. छत्तीसगढ़ का आर्थिक परिदृश्य:.....	9
1.5. जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं प्रदेश के विकास में जलग्रहण क्षेत्र की भूमिका	11
1.5.1. जलग्रहण क्षेत्र	12
1.5.2. वाटरशेड परियोजनाओं के चयन के लिए मानदण्ड	12
1.5.3. समेकित वाटरषेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.).....	12
1.5.4. छत्तीसगढ़ राज्य परिप्रेक्षक एवं कार्यनीतिक योजना	13
2. अध्याय – कृषि-जलवायु	14
2.1. कृषि-जलवायु क्षेत्र	14
2.2. मृदा परिदृश्य	17
2.3. मृदा अपरदन	18
2.3.1. भूमि अपक्षरण की समस्या का स्वरूप.....	18
2.4. जलवायु	18
2.4.1. झारखण्ड प्रक्षेत्र	19
2.4.2. छत्तीसगढ़ का मैदान	19
2.4.3. बस्तर का पहाड़ी क्षेत्र.....	19
2.5. वर्षा	19
3. अध्याय – जनसांख्यिकी	21
3.1. राज्य की मुख्य जनसांख्यिकीय विशेषतायें	21
3.2. जनसंख्या	22
3.3. जनसंख्या वृद्धि दर.....	24
3.4. जनसंख्या घनत्व.....	24
3.5. भारत एवं छत्तीसगढ़ : जनसंख्या घनत्व 1901–2011	24
3.6. स्त्री-पुरुष अनुपात.....	25
3.7. प्रदेश में ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या की साक्षरता स्थिति	26
3.8. जिलों में साक्षरता की स्थिति.....	27
3.9. निवल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी	28
4. अध्याय – भूमि का उपयोग	31
4.1. प्रदेश में भूमि का उपयोग (2008–2009).....	31
4.2. बन-सम्पदा	31
4.3. प्रदेश में सिंचाई परिदृश्य.....	34
4.3.1. छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई साधनों की संख्या एवं सिंचित निरा क्षेत्र	37

4.4	भू-जल परिदृश्य.....	39
4.4.1	भू-जल की शुद्ध उपलब्धता.....	39
4.4.2	भू-जल का उपयोग	39
4.4.3	भविष्य में सिंचाई कार्यों हेतु भू-जल की शुद्ध उपलब्धता.....	39
4.4.4	भू-जल विकास की अवस्था.....	39
4.4.5	भू-जल आंकलन इकाइयों का वर्गीकरण	39
5.	अध्याय – कृषि क्षेत्र	44
5.1.	कृषि उत्पादन	44
5.2.	पशुधन विकास.....	50
5.2.1.	गौवंशी पशु विकास	50
5.2.2.	बकरी विकास	50
5.2.3.	सूकर विकास.....	50
5.2.4.	शत-प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय	50
5.2.5.	कुक्कुट विकास	51
5.2.6.	राज्य डेयरी प्रयोगशाला की स्थापना.....	51
5.3.	मत्स्य विकास	51
5.3.1.	राज्य आयोजना.....	51
6.	अध्याय – प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र कार्यक्रमों का क्रियान्वयन.....	53
6.1.	राज्यों में जलग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण.....	53
6.2.	ग्राम स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं तथा लोगों की भागीदारी	55
6.3.	स्व-सहायता समूह	55
6.4.	प्रयोक्ता समूह	55
6.5.	वाटरशेड समिति (डब्ल्यू.सी.)	55
6.6.	परियोजना प्रबंधन	56
6.7.	प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र कार्यक्रमों की प्रगति.....	56
6.7.1.	सूखा उन्मूख क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	56
6.7.2.	एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)	57
6.7.3.	एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आइ.डब्ल्यू.एम.पी.)	57
7.	अध्याय – कार्यान्वयन हेतु निति निर्धारण	62
7.1.	एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु निति निर्धारण	62
7.2.	जिलेवार विकासखण्डों के लिए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण	78
8.	अध्याय – आजीविका विकास.....	107
8.1.	आजीविका विश्लेषण	107
8.2.	ग्रामीण गरीबी का परिदृश्य	108
8.3.	श्रमिकों का वर्गीकरण	108
8.4.	आजीविका में महिलाओं का भूमिका.....	110
8.5.	वित्तीय समावेशन.....	110
8.6.	कृषि.....	110
8.7.	बागवानी.....	111
8.8.	पशुधन.....	112
8.9.	राज्य में दुग्ध उत्पादन.....	113
8.10.	बकरी पालन.....	113
8.11.	मत्स्य पालन.....	114
8.12.	वनोपज	115

8.13.	परम्परागत ग्रामीण कारीगरी	115
8.13.1.	ग्रामीण कारीगरों की प्रमुख समस्याएं	116
8.14.	भूमिहीन एवं संपत्तिहीन परिवारों के लिए अपनाई गई आजीविका पद्धति	117
8.14.1.	सामान्य उद्देश्य	117
8.14.2.	विशेष उद्देश्य	117
8.14.3.	रणनीति	117
8.15.	उत्पादन तंत्र एवं सूक्ष्म उद्यम आधारित आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देना.....	118
8.15.1.	सामान्य उद्देश्य	118
8.15.2.	रणनीति	118
8.16.	आजीविका प्रोत्साहन का परिणाम	119
9.	अध्याय – जलग्रहण कार्यक्रम संचालन हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं	120
9.1.	राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी	120
9.2.	वाटरशेड प्रकोष्ठ–सह–आंकड़ा केन्द्र (डब्ल्यू.सी.डी.सी.)	120
9.3.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.)	121
9.4.	वाटरशेड विकास दल	121
9.5.	ग्राम स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं तथा लोगों की भागीदारी	122
9.5.1.	वाटरशेड समिति (डब्ल्यू.सी.)	122
10.	अध्याय – क्षमता निर्माण	123
10.1.	क्षमता निर्माण हेतु संचालित कार्यक्रम एवं भविष्य के लिए रणनीति	123
10.2.	परियोजना हितग्राही एवम् उनकी क्षमता निर्माण से सम्बन्धित आवश्यकताएं	123
10.3.	क्षमता निर्माण हेतु चिन्हांकित प्रशिक्षण संस्थान	124
11.	अध्याय – अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	126
11.1.	अनुश्रवण	126
11.2.	मूल्यांकन	126
12.	परिषिष्ट	127
	शब्दकोष (Glossary)	202
	संदर्भ (References)	206

मानचित्र सूची

मानचित्र 1.1 भौतिक एवं स्थालाकृतिक.....	2
मानचित्र 1.2 जलग्रहण क्षेत्र – रीजन	4
मानचित्र 1.3 जलग्रहण क्षेत्र – बेसिन	5
मानचित्र 1.4 जलग्रहण क्षेत्र – वाटरषेड	6
मानचित्र 2.1 कृषि–जलवायु क्षेत्र	16
मानचित्र 4.1 सेमीक्रिटिकल श्रेणी के विकासखण्ड.....	40
मानचित्र 7.1 विकासखण्डों की प्राथमिकताएं	66
मानचित्र 7.2 मिलीजलग्रहण क्षेत्रों की प्राथमिकताएं	68
मानचित्र 12.1 भू–भाग मानचित्र – बालोद	139
मानचित्र 12.2 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – बालोद	140
मानचित्र 12.3 भू–भाग मानचित्र – बालोदा बाजार	141
मानचित्र 12.4 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – बालोदा बाजार	142
मानचित्र 12.5 भू–भाग मानचित्र – बलरामपुर	143
मानचित्र 12.6 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – बलरामपुर	144
मानचित्र 12.7 भू–भाग मानचित्र – बस्तर	145
मानचित्र 12.8 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – बस्तर	146
मानचित्र 12.9 भू–भाग मानचित्र – बेमेतरा	147
मानचित्र 12.10 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – बेमेतरा	148
मानचित्र 12.11 भू–भाग मानचित्र – बीजापुर	149
मानचित्र 12.12 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – बीजापुर	150
मानचित्र 12.13 भू–भाग मानचित्र – बिलासपुर.....	151
मानचित्र 12.14 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – बिलासपुर.....	152
मानचित्र 12.15 भू–भाग मानचित्र – दंतेवाडा.....	153
मानचित्र 12.16 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – दंतेवाडा.....	154
मानचित्र 12.17 भू–भाग मानचित्र – धमतरी	155
मानचित्र 12.18 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – धमतरी	156
मानचित्र 12.19 भू–भाग मानचित्र – दुर्ग	157
मानचित्र 12.20 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – दुर्ग	158
मानचित्र 12.21 भू–भाग मानचित्र – गरियाबंद	159
मानचित्र 12.22 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – गरियाबंद	160
मानचित्र 12.23 भू–भाग मानचित्र – जांजगीर–चांपा	161
मानचित्र 12.24 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – जांजगीर–चांपा	162
मानचित्र 12.25 भू–भाग मानचित्र – जषपुर.....	163
मानचित्र 12.26 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – जषपुर	164
मानचित्र 12.27 भू–भाग मानचित्र – कांकेर.....	165
मानचित्र 12.28 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – कांकेर.....	166
मानचित्र 12.29 भू–भाग मानचित्र – कर्वधा	167
मानचित्र 12.30 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – कर्वधा	168
मानचित्र 12.31 भू–भाग मानचित्र – कोण्डागांव.....	169
मानचित्र 12.32 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – कोण्डागांव	170
मानचित्र 12.33 भू–भाग मानचित्र – कोरबा.....	171

मानचित्र 12.34 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – कोरबा.....	172
मानचित्र 12.35 भू—भाग मानचित्र – कोरिया.....	173
मानचित्र 12.36 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – कोरिया	174
मानचित्र 12.37 भू—भाग मानचित्र – महासमुन्द.....	175
मानचित्र 12.38 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – महासमुन्द	176
मानचित्र 12.39 भू—भाग मानचित्र – मुंगेली	177
मानचित्र 12.40 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – मुंगेली	178
मानचित्र 12.41 भू—भाग मानचित्र – नारायणपुर.....	179
मानचित्र 12.42 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – नारायणपुर	180
मानचित्र 12.43 भू—भाग मानचित्र – रायगढ़.....	181
मानचित्र 12.44 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – रायगढ़.....	182
मानचित्र 12.45 भू—भाग मानचित्र – रायपुर.....	183
मानचित्र 12.46 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – रायपुर	184
मानचित्र 12.47 भू—भाग मानचित्र – राजनांदगांव.....	185
मानचित्र 12.48 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – राजनांदगांव.....	186
मानचित्र 12.49 भू—भाग मानचित्र – सुकमा.....	187
मानचित्र 12.50 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – सुकमा	188
मानचित्र 12.51 भू—भाग मानचित्र – सूरजपुर.....	189
मानचित्र 12.52 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – सूरजपुर	190
मानचित्र 12.53 भू—भाग मानचित्र – सरगुजा	191
मानचित्र 12.54 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – सरगुजा.....	192

रेखा चित्र सूची

रेखा चित्र 1.1 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर (2004–2005) भावों पर	9
रेखा चित्र 1.2 प्रति व्यक्ति आय (NNI) अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ प्रचलित भावों पर ` में.....	10
रेखा चित्र 1.3 प्रति व्यक्ति आय (NNI) अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ स्थिर भावों पर ` में.....	11
रेखा चित्र 2.1 कृषि–जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण प्रतिशत में.....	15
रेखा चित्र 2.2 कृषि–जलवायु क्षेत्रों में फसलों का विवरण.....	16
रेखा चित्र 2.3 प्रदेश में जिलेवार विगत 05 वर्षों की औसत वर्षा (मि.मी.)	20
रेखा चित्र 3.1 प्रदेश की जिलेवार जनसंख्या 2011	23
रेखा चित्र 3.2 निवास के अनुसार कुल जनसंख्या का प्रतिष्ठत अंश–2001.....	23
रेखा चित्र 3.3 निवास के अनुसार कुल जनसंख्या का प्रतिष्ठत अंश–20011	23
रेखा चित्र 3.4 जनसंख्या घनत्व 1901–2011	25
रेखा चित्र 3.5 प्रदेश में निवास के अनुसार स्त्री–पुरुष अनुपात 2001–2011	26
रेखा चित्र 3.6 राज्य में निवास के अनुसार जिलेवार साक्षरता दर, वर्ष 2001–2011	28
रेखा चित्र 3.7 विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ के निवल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रतिशत में	29
रेखा चित्र 3.8 विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ का निवल घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर	30
रेखा चित्र 4.1 प्रदेश में भूमि का उपयोग (2008–2009)	31
रेखा चित्र 4.2 छत्तीसगढ़ में वनों का वर्गीकरण.....	33
रेखा चित्र 4.3 प्रदेश में जिलेवार वनों का वितरण (वर्ग कि.मी.)	34
रेखा चित्र 4.4 प्रदेश में सिंचाई परिदृश्य: कृषि वर्षांत 30 जून 2011	36
रेखा चित्र 4.5 प्रदेश में सिंचाई परिदृश्य: वर्ष – 2011	36
रेखा चित्र 4.6 प्रदेश में सिंचाई परिदृश्य: वर्ष – 2011	37
रेखा चित्र 4.7 जिलेवार सिंचाई के साधनों की संख्या कृषि वर्षांत 30 जून– 2011	38
रेखा चित्र 4.8 जिलेवार सिंचाई का सिंचित निरा क्षेत्रफल कृषि वर्षांत 30 जून– 2011	38
रेखा चित्र 4.9 छत्तीसगढ़ राज्य में भू–जल के विकास का विवरण–2008	42
रेखा चित्र 4.10 छत्तीसगढ़ राज्य में भू–जल के विकास की अवस्था–2008	42
रेखा चित्र 5.1 फसलों का निरा क्षेत्रफल वर्ष–2011	45
रेखा चित्र 5.2 समस्त साधनों से सिंचित फसलों का निरा क्षेत्रफल वर्ष–2011.....	45
रेखा चित्र 5.3 जिलेवार धान का सिंचित एवं वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन (मे. टन में) 2010–11	47
रेखा चित्र 5.4 जिलेवार गेहूँ का सिंचित एवं वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन (मे.टन में) 2010–11.....	48
रेखा चित्र 5.5 छत्तीसगढ़ राज्य एवं भारतीय स्तर पर मुख्य फसलों की औसत उत्पादकता (कि.ग्राम प्रति हे).....	49
रेखा चित्र 5.6 सिंचित एवं वर्षा सिंचित क्षेत्रों में धान एवं गेहूँ की उत्पादकता.....	49
रेखा चित्र 6.1 प्रदेश में संचालित जलग्रहण परियोजनाओं का विवरण (सं.) वर्ष 2011–12	59
रेखा चित्र 6.2 प्रदेश में संचालित जलग्रहण परियोजनाओं का विवरण (क्षे.) वर्ष 2011–12	59
रेखा चित्र 7.1 उपचार हेतु शेष माइक्रो जलग्रहण क्षेत्रों का जिलेवार विवरण 2011–12 की स्थिति में	77

तालिका सूची

तालिका 1.1 छत्तीसगढ़ –आंकड़े एक नजर में	1
तालिका 1.2 प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप.....	1
तालिका 1.3 विभिन्न प्रवाह क्रमों का प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र	3
तालिका 1.4 प्रदेश का भौगोलिक एवं जनसांख्यिकी विवरण.....	7
तालिका 1.5 विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर (2004 – 2005) भावों पर.....	9
तालिका 1.6 प्रति व्यक्ति आय (NNI) अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ प्रचलित एवं स्थिर भावों पर ` में	10
तालिका 2.1 कृषि—जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण	14
तालिका 2.2 कृषि—जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी का वर्गीकरण.....	17
तालिका 2.3 मृदा के प्रकार, स्त्रोत चट्टान तथा प्रदेश में वितरण एवं मुख्य फसलें.....	17
तालिका 2.4 प्रदेश के विभिन्न जिलों में मृदा अपरदन की तीव्रता का वर्गीकरण	18
तालिका 2.5 प्रदेश में जिलेवार विगत 05 वर्षों की औसत वर्षा (मि.मी.)	19
तालिका 2.6 छत्तीसगढ़ में मौसम से सम्बन्धित आंकड़े	20
तालिका 3.1 छत्तीसगढ़ – आंकड़े एक नजर में	21
तालिका 3.2 प्रदेश की जिलेवार जनसंख्या 2011	22
तालिका 3.3 जनसंख्या घनत्व 1901–2011	24
तालिका 3.4 प्रदेश में स्त्री-पुरुष अनुपात 2001–2011.....	25
तालिका 3.5 राज्य में निवास के अनुसार जिलेवार साक्षरता दर, वर्ष 2001–2011	27
तालिका 3.6 विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ के निवल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रतिशत में	28
तालिका 3.7 विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ का निवल घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर.....	29
तालिका 4.1 भूमि का उपयोग (2008–2009)	31
तालिका 4.2 छत्तीसगढ़ में वनों का वर्गीकरण प्रतिष्ठत में	32
तालिका 4.3 छत्तीसगढ़ में वनों का वर्गीकरण.....	32
तालिका 4.4 प्रदेश में जिलेवार वनों का वितरण (वर्ग कि.मी.)	33
तालिका 4.5 प्रदेश में सिंचाई परिदृश्यः कृषि वर्षान्त वर्ष – 2011	35
तालिका 4.6 जिलेवार सिंचाई के साधनों की संख्या एवं सिंचित निरा क्षेत्रफल (कृषि वर्षात 30 जून– 2011)	37
तालिका 4.7 छत्तीसगढ़ राज्य में भू—जल के विकास का विवरण—2008	41
तालिका 4.8 छत्तीसगढ़ में भू—जल का आंकलन—2008.....	42
तालिका 5.1 राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्रों की प्रकृति एवं वितरण	44
तालिका 5.2 फसलों का निरा क्षेत्रफल एवं समस्त साधनों से सिंचित फसलों के निरा क्षेत्रफल वर्ष—2011	45
तालिका 5.3 जिलेवार धान का सिंचित एवं वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन वर्ष 2010–11	46
तालिका 5.4 जिलेवार गेहूँ का सिंचित एवं वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन.....	47
तालिका 5.5 छत्तीसगढ़ राज्य एवं भारतीय स्तर पर मुख्य फसलों की औसत उत्पादकता (कि. ग्राम प्रति हे.).....	49
तालिका 6.1 विशिष्ट वाटरशेड परियोजनाओं के लिए उनमें शामिल विभिन्न संघटकों के संबंध में बजट का विवरण	56
तालिका 6.2 प्रदेश में संचालित जलग्रहण परियोजनाओं का विवरण 2011–12 की स्थिति में.....	58
तालिका 6.3 डी.पी.ए.पी. परियोजनाओं की प्रगति.....	60
तालिका 6.4 आई.डब्ल्यू.डी.पी. परियोजनाओं की प्रगति.....	60
तालिका 6.5 आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनाओं का विवरण (2011–12 की स्थिति में).....	61
तालिका 7.1 जलग्रहण क्षेत्र चयन का मापदण्ड एवं भारिता का निर्धारण.....	63
तालिका 7.2 जलग्रहण क्षेत्र चयन का मापदण्ड, भारिता का निर्धारण एवं श्रेणियों का वर्गीकरण.....	64
तालिका 7.3 जलग्रहण क्षेत्र चयन हेतु श्रेणियों का वर्गीकरण	65

तालिका 7.4 जलग्रहण क्षेत्र चयन का मापदण्ड, भारिता का निर्धारण एवं श्रेणियों का वर्गीकरण.....	65
तालिका 7.5 जलग्रहण क्षेत्र चयन हेतु श्रेणियों का वर्गीकरण (विकासखण्डों के लिए)	65
तालिका 7.6 जलग्रहण क्षेत्र चयन का मापदण्ड, एवं श्रेणियों का वर्गीकरण	67
तालिका 7.7 मिलीजलग्रहण क्षेत्र चयन हेतु श्रेणियों का वर्गीकरण	67
तालिका 7.8 जलग्रहण क्षेत्र चयन का मापदण्ड, भारिता का निर्धारण एवं श्रेणियों का विकासखण्डवार वर्गीकरण	69
तालिका 7.9 उपचार हेतु शेष माइक्रो जलग्रहण क्षेत्रों का जिलेवार विवरण 2011–12 की स्थिति में.....	75
तालिका 7.10 बालोद	78
तालिका 7.11 बलौदाबाजार	79
तालिका 7.12 बलरामपुर	80
तालिका 7.13 बस्तर	81
तालिका 7.14 बेमेतरा	82
तालिका 7.15 बीजापुर.....	83
तालिका 7.16 बिलासपुर	84
तालिका 7.17 दंतेवाड़ा	85
तालिका 7.18 धमतरी.....	86
तालिका 7.19 दुर्ग	87
तालिका 7.20 गरियाबंद	88
तालिका 7.21 जांजगीर–चांपा.....	89
तालिका 7.22 जशपुर.....	90
तालिका 7.23 कांकेर	91
तालिका 7.24 कबीरधाम.....	92
तालिका 7.25 कोण्डागांव	93
तालिका 7.26 कोरबा	94
तालिका 7.27 कोरिया	95
तालिका 7.28 महासमुन्द	96
तालिका 7.29 मुंगेली.....	97
तालिका 7.30 नारायणपुर	98
तालिका 7.31 रायगढ़.....	99
तालिका 7.32 रायपुर	100
तालिका 7.33 राजनांदगांव	101
तालिका 7.34 सुकमा	102
तालिका 7.35 सूरजपूर	103
तालिका 7.36 सरगुजा.....	104
तालिका 7.37 प्रदेश में IWMP परियोजनाओं हेतु पंच वर्षीय योजनाओं के अनुरूप वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण.....	105
तालिका 8.1 जनसांख्यिकी विवरण—2001	107
तालिका 8.2 प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे की आबादी	108
तालिका 8.3 छत्तीसगढ़ में श्रमिकों का वर्गीकरण	109
तालिका 8.4 श्रमिकों का वर्गीकरण प्रतिशत में (जनगणना—2001)	109
तालिका 8.5 फलों एवं फूलों की खेती हेतु संभावित क्षेत्र	111
तालिका 8.6 राज्य में बागवानी का क्षेत्र एवं उत्पादन की स्थिति	111
तालिका 8.7 पशुधन का वर्गीकरण, पशुसंगणना – 2008	112
तालिका 8.8 राज्यों में प्रतिव्यक्ति दूध की उपलब्धता (2000–01 से 2005–06 तक).....	113
तालिका 8.9 राज्य में उपलब्ध जल संसाधन	114
तालिका 8.10 परंपरागत कारीगरों की संख्या प्रतिष्ठत में	115

तालिका 10.1 परियोजना हितग्राही एवम् उनकी क्षमता निर्माण से सम्बन्धित आवश्यकताएं	123
तालिका 10.2 क्षमता निर्माण हेतु चिन्हांकित प्रशिक्षण संस्थान	124

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1 जिलेवार विकासखण्डों का प्राथमिकता निर्धारण	127
अनुलग्नक 2 जिलेवार उपचारित एवं शेष जलग्रहण क्षेत्रों का विवरण	193
अनुलग्नक 3 जिलेवार मिली एंव माइक्रो जलग्रहण क्षेत्रों का विवरण पृथक अनुभाग में दिया गया है।	201

1. अध्याय – भूमिका

1.1. परिचय

छत्तीसगढ़ राज्य, मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के द्वारा मध्यप्रदेश से पृथक् होकर 1 नवम्बर, 2000 को भारतीय संघ का 26वाँ राज्य बना। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन एकीकृत मध्यप्रदेश के 16 जिलों को पृथक् कर किया गया था। जिसका भौगोलिक विस्तार $17^{\circ} 46'$ से $24^{\circ} 5'$ उत्तरी अक्षांश तथा $80^{\circ} 15'$ से $84^{\circ} 20'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1,37,89,836 है। (भारतीय माप द्वारा 1,35,13,300 है) है। राज्य की उत्तर–दक्षिण लम्बाई 640 किमी। तथा पूर्व–पश्चिम चौड़ाई 336 किमी। है।

तालिका 1.1 छत्तीसगढ़ –आंकड़े एक नजर में

	2001	2011		2001	2011
राजस्व सम्भाग	3	4	नगरों की संख्या	97	182
जिलों की संख्या	16	27	संविधिक नगरों की संख्या	75	168
तहसीलों की संख्या	97	149	जनगणना नगरों की संख्या	22	14
विकासखण्डों की संख्या	146	146	ग्रामों की संख्या	20308	20126
स्रोत : भारत की जनगणना 2011 जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़े					


1.2. भौगोलिक परिदृश्य

छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तरप्रदेश, उत्तरी–पूर्वी सीमा में झारखण्ड, दक्षिण–पूर्व में ओडिशा राज्य स्थित है। दक्षिण में आन्ध्रप्रदेश, दक्षिण–पश्चिम में महाराष्ट्र तथा उत्तरी–पश्चिमी भाग में मध्यप्रदेश स्थित है। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विस्तार में अनेक असमानताएँ विद्यमान हैं। इसके उत्तरी भाग में कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलों में पर्वतमालाओं एवं पठार का विस्तार है। मैकल पर्वत श्रेणी कर्वाई जिले में दक्षिण–पूर्व तक विस्तृत है। पूर्वी भाग में सक्ती पर्वत लगभग महानदी कछार तक फैला है। रायगढ़ जिला छोटानागपुर पठार का पश्चिमी छोर है। रायपुर जिला महानदी के ऊपरी कछार और पूर्वी सीमा पर पहाड़ी मैदान में विभक्त है। दुर्ग और राजनांदगाँव, छत्तीसगढ़ के मैदान और मैकल श्रेणी में, विभक्त है। बस्तर का अधिकांश भाग पठारी एवं पहाड़ी है, जिसकी समुद्रतल से औसत ऊँचाई 600 मीटर है। भौगोलिक रूप से प्रदेश को मुख्यतः तीन भू–भागों में विभक्त किया जा सकता है :—

तालिका 1.2 प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप

भू–भाग	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल (%)
उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र		21
मध्य का मैदानी भाग		51
दक्षिण का पठारी भाग		28

मानचित्र 1.1 भौतिक एवं स्थालाकृतिक



1.3. अपवाह प्रणाली


राज्य अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। यह देष के विस्तृत एवं बड़े प्रवाह तन्त्रों गंगा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी से सम्बद्ध है, किन्तु महानदी यहाँ का प्रमुख प्रवाह क्रम है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 56% है। यद्यपि गोदावरी, जिसके जलग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग समस्त दण्डकारण्य का, तथा गंगा, जिसमें सोन के द्वारा अधिकतर बघेलखण्ड का, जल निकास होता है, प्रदेश के क्रमशः दूसरे व तीसरे क्रम के बड़े प्रवाह क्रम हैं। छत्तीसगढ़ राज्य देष के मध्य-पूर्व में स्थित है। भौगोलिक संरचना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को मुख्यतः पांच नदी क्षारों (Basins) में बाँटा जा सकता है :—

1. महानदी क्षार
2. गोदावरी क्षार
3. गंगा नदी क्षार
4. नर्मदा क्षार
5. ब्राह्मणी क्षार


तालिका 1.3 विभिन्न प्रवाह क्रमों का प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र

क्र.	प्रवाह क्रम	मुख्य सहायक नदियाँ	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	प्रतिशत (%)
1.	महानदी	हसदो, शिवनाथ, मांड, ईब, एवं तेल नदी	75,858	56.15
2.	गोदावरी	इन्द्रावती, सबरी एवं वैन गंगा	38,694	28.64
3.	गंगा	सोन	18,407	13.63
4.	नर्मदा	बंजर	744	0.55
5.	ब्राह्मणी	शंख	1,394	1.03
कुल			1,35,097	100.00
स्रोत : State Report-2006 on Hydrogeology of Chhattisgarh by CGWB				

मानचित्र 1.2 जलग्रहण क्षेत्र – रीजन



मानचित्र 1.3 जलग्रहण क्षेत्र – बेसिन



मानचित्र 1.4 जलग्रहण क्षेत्र – वाटरषेड



तालिका 1.4 प्रदेश का भौगोलिक एवं जनसांख्यिकी विवरण

क्र.	जिले का नाम	गाँवों की कुल संख्या	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	भौगोलिक क्षेत्र (हे.)	जनसंख्या (2001 की जनगणना अनुसार)								कुल जनसंख्या	कुल परिवार	कुल परिवारों में बी.पी.एल. परिवारों का प्रतिशत				
					अ.ज.जा.		अ.जा.		अन्य		कुल								
					म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.							
1	सरगुजा	2538	1712	1603440	534720	541949	46906	47931	390418	410170	972044	1000050	1972094	383217	56.39				
2	बलरामपुर																		
3	सूरजपुर																		
4	कोरिया	638	239	597770	128083	131957	23601	24604	78895	92858	285076	301251	586327	118828	50.01				
5	जशपुर	768	411	645741	236787	233166	18123	18277	116553	120254	371463	371697	743160	148792	44.83				
6	कोरबा	487	237	714544	209516	210373	49496	51464	179676	185839	496676	515147	1011823	203104	47.12				
7	रायगढ़	1214	657	622774	225233	222470	90349	89395	279597	322557	630932	634597	1265529	268609	55.21				
8	बिलासपुर	820	423	856885	199120	197984	181251	187837	270155	277980	984480	1013875	1998355	390354	42.61				
9	मुंगेली																		
10	जांजगीर-चांपा	936	576	446674	77615	75454	148126	148073	353199	352338	658043	659388	1317431	254080	38.57				
11	कबीरधाम	663	270	444705	61447	60510	37056	37295	2E\$05	194158	292589	291963	584552	112679	55.19				
12	राजनांदगांव	503	199	802252	175101	166587	64580	62844	0	0	648882	634342	1283224	246524	40.35				
13	रायपुर	2064	1197	938260	183864	181409	243428	244295	636165	672571	1493005	1523925	3016930	581582	46.74				
14	बलौदाबा जार																		

क्र.	जिले का नाम	गाँवों की कुल संख्या	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	भौगोलिक क्षेत्र (हे.)	जनसंख्या (2001 की जनगणना अनुसार)								कुल जनसंख्या	कुल परिवार	कुल परिवारों में बी.पी.एल. परिवारों का प्रतिशत				
					अ.ज.जा.		अ.जा.		अन्य		कुल								
					म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.							
15	गरियाबंद																		
16	दुर्ग	1527	877	870180	176763	172038	179180	180331	214336	215698	1392543	1417893	2810436	543486	35.30				
17	बेमेतरा																		
18	बालोद																		
19	धमतरी	651	333	408193	93767	91748	24956	24438	235347	236338	354067	352524	706591	130407	36.25				
20	महासमुन्द्र	681	303	496301	118264	114221	52886	51505	262906	260475	434056	426201	860257	176607	54.06				
21	उत्तर बस्तर कांकेर	1062	389	643268	184206	180825	14123	13540	139460	135738	326298	324636	650934	127294	48.71				
22	बस्तर	950	458	771486	437515	428973	19459	19220	188971	190498	656872	649801	1306673	259798	60.58				
23	कोणडागांव																		
24	नारायणपुर	413	69	5845-00	49542	48539	3721	3688	14812	14764	68028	66693	103315	23422	63.46				
25	बीजापुर	700	157	917400	4803	4869	98080	98192	17966	17263	120849	120324	241173	37317	62.64				
26	दंतेवाड़ा	273	146	904629	287261	277670	12008	12145	17214	15884	362559	356928	719487	146190	61.43				
27	सुकमा																		

स्रोत : भारत की जनगणना 2001 एवं बी.पी.एल. जनगणना-2002, ग्रामीण विकास विभाग, भारत शासन

1.4. छत्तीसगढ़ का आर्थिक परिदृष्टि:


तालिका 1.5 विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर (2004 – 2005) भावों पर

क्र.	वर्ष	प्रचलित भावों पर		स्थिर भावों पर	
		स.रा.घ.ज. (लाख ' में)	गत वर्ष से परिवर्तन (प्रतिशत में)	स.रा.घ.ज. (लाख ' में)	गत वर्ष से परिवर्तन (प्रतिशत में)
1	2004 – 05	4786229		4786229	
2	2005– 06	5338110	11.53	4940774	3.23
3	2006 – 07	6687489	25.28	5859816	18.60
4	2007 – 08	8025511	20.01	6364377	8.61
5	2008–09	9697218	20.83	6898211	8.39
6	2009 – 10 (P)	9926196	2.36	7155119	3.25
7	2010–11 (Q)	11756674	18.44	7916609	11.16
8	2011–12 (A)	13553634	15.28	8772317	10.81

स्रोत : “छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2010–11 (Q)” आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ (P) –प्राविधिक अनुमान, (Q) –त्वरित अनुमान, (A) –अग्रिम अनुमान

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर वर्ष 2009–10 (प्राविधिक) में ` 9926196 लाख अनुमानित है जो कि गत वर्ष में ` 9697218 लाख था। इस प्रकार इसमें पूर्व वर्ष की तुलना में 2.36 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसी अवधि में स्थिर भावों पर (2004 – 2005) सकल राज्य घरेलू उत्पाद ` 7155119 है जो कि गत वर्ष में ` 6898211 लाख था। इस प्रकार इसमें पूर्व वर्ष की तुलना में 3.25 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

रेखा चित्र 1.1 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर (2004–2005) भावों पर




तालिका 1.6 प्रति व्यक्ति आय (NNI) अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ प्रचलित एवं स्थिर भावों पर 'में

क्र	वर्ष	प्रति व्यक्ति आय (NNI) अखिल भारत 'में				प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ 'में			
		प्रचलित भावों पर	गत वर्ष से परिवर्तन (प्रतिशत) में	स्थिर भावों पर	गत वर्ष से परिवर्तन (प्रतिशत) में	प्रचलित भावों पर	गत वर्ष से परिवर्तन (प्रतिशत) में	प्रति व्यक्ति आय स्थिर भावों पर	गत वर्ष से परिवर्तन (प्रतिशत) में
1	2004 - 05	24143		24143		18559		18559	
2	2005 - 06	27131	12.4	26015	7.8	20117	8.39	18530	-0.16
3	2006 - 07	31206	15.0	28067	7.9	24800	23.28	21580	16.46
4	2007 - 08	35825	14.8	30332	8.1	29385	18.49	22929	6.25
5	2008 - 09	40775	13.8	31754	4.7	34360	16.93	23926	4.35
6	2009 – 10 (P)	46117	13.1	33843	6.6	35121	2.21	24690	3.19
7	2010 - 11 (Q)	53331	15.6	35993	6.4	41167	17.22	27156	9.99
8	2011-12 (A)	60972	14.3	38005	5.6	46573	13.13	29635	9.13


स्रोत : “छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2010–11 (Q)” आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

उपरोक्त तालिका से प्रदर्शित होता है कि प्रचलित और स्थिर दोनों भावों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम है।

रेखा चित्र 1.2 प्रति व्यक्ति आय (NNI) अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ प्रचलित भावों पर 'में



रेखा चित्र 1.3 प्रति व्यक्ति आय (NNI) अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ स्थिर भावों पर 'मे



1.5. जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं प्रदेश के विकास में जलग्रहण क्षेत्र की भूमिका

कृषि उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्थायी अवसर निर्मित करने के उद्देश्य से वर्ष 1995–96 से प्रदेश में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के नाम से संचालित किया जा रहा है। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिट्टी, पानी एवं वनस्पति आदि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा संवर्धन को लक्ष्य बनाते हुए जनभागीदारी पद्धति को रणनीति का अभिन्न अंग बनाया गया था। जलग्रहण क्षेत्र विकास की इस अवधारणा के आधार पर परियोजना अंतर्गत निर्धारित कार्यों के प्राक्कलन बनाने से लेकर उसके क्रियान्वयन तथा निर्मित परिसम्पत्तियों का परियोजना समाप्ति उपरांत रख-रखाव आदि क्रियाकलापों में जनभागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा भू-जल की पुनः भराई एवं यथोचित मात्रा में निवेश की व्यवस्था करने के लिए समेकन के उभरते हुए मुद्दों के संबंध में नव-परिवर्तनकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों की आवश्यकता महसूस की गई। विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित किये जा रहे जलग्रहण परियोजनाओं की आयोजना तथा कार्यान्वयन और निवेश में समेकन, नेटवर्किंग और सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से जलग्रहण विकास परियोजनाओं के लिए ‘समान मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008’ गाईड लाईन जारी की गई है। समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है :—

1. समानता और महिलाओं की भागीदारी
2. विकेन्द्रीकरण
3. सुविधाप्रदाता एजेंसियाँ
4. सामुदायिक भागीदारी का केंद्रबिंदु
5. क्षमता निर्माण तथा प्रौद्योगिकीय निविष्टियाँ
6. निगरानी, मूल्यांकन और ज्ञानार्जन
7. संगठनात्मक पुनर्संरचना

1.5.1. जलग्रहण क्षेत्र

जलग्रहण क्षेत्र वास्तव में भू—सतह पर इस तरह का क्षेत्र होता है, जिसमें ढाल की विशिष्टता के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र का वर्षाजल छोटे—छोटे नालियों, नालों एवं नदियों से प्रवाहित होता हुआ अंततः एक उभयनिष्ठ बिन्दु से बाहर निकलता है। इसकी सबसे छोटी इकाई माइक्रोवाटरशेड कहलाती है, जो लगभग 500 हेक्टेयर की होती है। एक मिलीवाटरशेड में लगभग 10 माइक्रोवाटरशेड होते हैं, इस तरह इसका क्षेत्रफल औसतन 5000 हेक्टेयर होता है। प्रदेश में कुल 2349 मिलीवाटरशेड एवं 17623 माइक्रोवाटरशेड हैं।

1.5.2. वाटरशेड परियोजनाओं के चयन के लिए मानदण्ड

1. ऐसे जलग्रहण क्षेत्र जहां पेयजल की समस्या गंभीर है।
2. भू—जल संसाधनों का अत्याधिक दोहन।
3. बंजर भूमि/अवक्रमित भूमि की अधिकता।
4. वर्षा सिंचित क्षेत्र की अधिकता।
5. पहले ही विकसित/सुधार किए जा चुके किसी अन्य वाटरशेड के साथ निकटता।
6. स्वैच्छिक रूप से योगदान करने, सामान्य सम्पत्ति संसाधनों को बांटने के लिए समान सामाजिक विनियमों को लागू करने, लाभों का समान वितरण करने तथा सृजित की गई परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रखरखाव हेतु व्यवस्थाएं करने के लिए ग्रामीण समुदाय की सहमति होना।
7. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का अनुपात।
8. परियोजना का क्षेत्र सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत शामिल नहीं होना चाहिए।
9. भूमि की उत्पादन क्षमता।

1.5.3. समेकित वाटरषेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)

समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) तत्कालीन सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) और भूमि संसाधन विभाग के समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) का संशोधित कार्यक्रम है। यह संयोजन संसाधनों, स्थायी निष्कर्ष और एकीकृत योजना के अधिकतम उपयोग के लिए है। यह योजना 2009–10 के दौरान शुरू की गई थी। कार्यक्रम को वाटरशेड विकास परियोजना 2008 के सामान्य दिशा—निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। आई.डब्ल्यू.एम.पी. का मुख्य उद्देश्य मृदा, वनस्पति और जल जैसे अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके परिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करना है। इसके परिणामस्वरूप मृदा हास पर रोक लगती है, प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्सृजन होता है, वर्षाजल एकत्रीकरण होता है तथा भू—जल स्तर का संभरण होता है। इससे बहु—फसलें लगाने और विविध कृषि आधारित कार्यकलाप चलाने में मदद मिलती है, जिससे वाटरशेड क्षेत्र में रह रहे लोगों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है।

आई.डब्ल्यू.एम.पी. की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :

1. राज्य स्तर पर बहु—विषयक विशेषज्ञों सहित समर्पित संस्थानों की स्थापना करना—राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.), जिला स्तर — वाटरशेड प्रकोष्ठ सह डाटा सेंटर (डब्ल्यू.सी.डी.सी.), परियोजना स्तर — परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) और ग्राम स्तर — वाटरशेड समिति (डब्ल्यू.सी.)

2. परियोजना का चयन और तैयार करने में सामूहिक दृष्टिकोण—परियोजना का औसत आकार लगभग 5,000 हेक्टेयर।
3. मैदानी क्षेत्रों में लागत मानदण्डों को 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 12,000 रुपये/हेक्टेयर किया गया है; दुर्गम/पहाड़ी क्षेत्रों में यह 15,000 रुपये/हेक्टेयर है।
4. केंद्र और राज्यों के बीच 90:10 अनुपात में एक समान वित्त—पोषण पद्धति।
5. पांच स्थापनाओं की बजाय तीन स्थापनाओं (20%, 50%, और 30%) में केंद्रीय सहायता की रिलीज।
6. परियोजना अवधि में लचीलापन अर्थात् 4 से 7 वर्ष।
7. सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंवेदी तकनीकों, योजना और निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए जी.आई.एस. सुविधाओं का प्रयोग करके परियोजनाओं के प्रारम्भ में ही वैज्ञानिक योजना बनाना।
8. डी.पी.आर. तैयार करने के लिए परियोजना निधियों का निर्धारण करना।
9. वाटरशेड परियोजनाओं के अंतर्गत परियोजना निधियों के निर्धारण सहित नए आजीविका घटक को लागू करना अर्थात् बिना परिसंपत्ति वाले लोगों की आजीविका के लिए परियोजना निधि एवं उत्पादक प्रणाली और सूक्ष्म उद्यमों के लिए निधियां निर्धारित करना।
10. राज्यों को परियोजनाओं की संस्थीकृत शक्तियों का प्रत्यायोजना करना।

1.5.4. छत्तीसगढ़ राज्य परिप्रेक्षक एवं कार्यनीतिक योजना

छत्तीसगढ़ राज्य परिप्रेक्षक एवं कार्यनीतिक योजना तैयार करने में आवश्यक आँकड़ों एवं मानचित्र अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार, की मूल परियोजना “विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिये अंतरिक्ष आधारित सूचना सहायता” (सिसडीप) के आधार पर जी.आई.एस. का उपयोग करते हुये पूर्ण की गई है।

यह पन्द्रह वर्षीय कार्य—योजना प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिये उनके प्रबंधन की आवश्यकताओं को देखते हुये जमीनी स्तर पर योजना को प्रेरित करने की दृष्टि से तैयार की गई है। विकेन्द्रीकृत आयोजना की अवधारणा को बल देने हेतु यह कार्य योजना राज्य के समस्त उपचार योग्य मिली जलग्रहण क्षेत्रों की प्राथमिकता के निर्धारण के लिये की गई। इस कार्य—योजना को मूर्त रूप देने में क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, इसरो, भारत सरकार, नागपुर एवं छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, रायपुर द्वारा अद्यतन जानकारी एवं जी.आई.एस. आधारित विश्लेषण उपलब्ध कराया गया है।

2. अध्याय – कृषि–जलवायु

2.1. कृषि–जलवायु क्षेत्र

छत्तीसगढ़ को स्पष्टतया तीन कृषि–जलवायु क्षेत्रों, छत्तीसगढ़ के मैदान, बस्तर का पठार और उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र में विभक्त कर्या जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। यह मैदान 70,24,293 हे. में फैला है। इस मैदान कि उत्पत्ति एवं विकास कुडप्पा शैल समूह के क्षैतिज अवसादी शैलों पर महानदी एवं सहायक नदियों के अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। यह मैदान छत्तीसगढ़ राज्य का हृदय है। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसकी समुद्र तल से उंचाई पूर्वी सीमा पर महानदी के निकास पर 220 मीटर से लेकर उच्चभूमि की सीमा पर लगभग 330 मीटर तक है। इस क्षेत्र का धरातल समतल है। मैदानी धरातल पर जलोढ़ मिट्टी का आवरण है, जिसे चारों दिशाओं में प्रवाहित होने वाली महानदी, शिवनाथ, हसदो, तथा उनकी सहायक नदियों ने काट दिया है। नीचे दी गई तालिका में तीनों कृषि–जलवायु क्षेत्रों का विवरण दिया गया है।


तालिका 2.1 कृषि–जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण

क्र	कृषि–जलवायु क्षेत्र	जिलों का नाम	क्षेत्रफल हे.	फसलों का निरा क्षेत्रफल हे.	फसलों का निरा सिंचित क्षेत्रफल हे.	फसलों के निरा क्षेत्रफल से सिंचित निरा क्षेत्रफल का प्रतिशतता
1	छत्तीसगढ़ के मैदान (Chhattisgarh Plains)	रायपुर, गरियाबांद, दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, कबीरधाम, कांकेर (कांकेर एवं नरहरपुर वि.ख.) कोरबा, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, तथा रायगढ़ जिले का कुछ भाग।	7024293 (51%)	3175896 (45%)	1261391	39.71%
2	बस्तर का पठार (Bastar Plateau)	बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, कोणडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, एवं कांकेर का षेष भाग।	3796103 28%	754693 19.88%	32965	4.36%


क्र	कृषि-जलवायु क्षेत्र	जिलों का नाम	क्षेत्रफल हे.	फसलों का निरा क्षेत्रफल हे.	फसलों का निरा सिंचित क्षेत्रफल हे.	फसलों के निरा क्षेत्रफल से सिंचित निरा क्षेत्रफल का प्रतिशतता
3	उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र (Northern Hills)	सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया एवं रायगढ़ जिले का धरमजयगढ़ विकास खण्ड।	2969440 21%	858892 28.9%	60975	7.09%

स्रोत : कार्य योजना-2006 छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय बागवानी मिषन एवं संचालनालय, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि वर्षान्त- 2011


रेखा चित्र 2.1 कृषि-जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण प्रतिशत में



मानचित्र 2.1 कृषि-जलवायु क्षेत्र



रेखा चित्र 2.2 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में फसलों का विवरण



2.2. मृदा परिदृश्य

प्रदेश के तीनों कृषि—जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी की प्रकृति भिन्न—भिन्न है। मिट्टी की प्रकृति के अध्ययन के लिए निम्नलिखित पक्षों का अध्ययन आवश्यक है – 1. विभिन्न खनिजों की मात्रा 2. गठन 3. संरचना 4. रंग 5. जल की मात्रा 6. सरन्ध्रता। इस आधार पर तीनों कृषि—जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी का वर्गीकरण नीचे दी गई तालिका के अनुरूप किया जा सकता है :–

तालिका 2.2 कृषि—जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी का वर्गीकरण

कृषि—जलवायु क्षेत्र	मृदा का प्रकार
छत्तीसगढ़ के मैदान (Chhattisgarh Plains)	1. भाटा (Lateritic) 2. मटासी (Sandy Loam) 3. डोरसा (Clay Loam) 4. कन्हार (Clay)
बस्तर का पठार (Bastar Plateau)	1. मरहान (Coarse Sandy) 2. टिकरा (Sandy) 3. मल (Sandy Loam) 4. गभार (Clay & Clay Loam)
उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र (Northern Hills)	1. पहाड़ी मिट्टी (Hilly Soil) 2. टिकरा (Sandy) 3. गोदा चावर 4. भहारा

तालिका 2.3 मृदा के प्रकार, स्त्रोत चट्टान तथा प्रदेश में वितरण एवं मुख्य फसलें

मृदा का प्रकार	मदर रॉक	प्रदेश में वितरण		मुख्य फसल
		%	जिला / तहसील	
लाल—पीली मिट्टी (मटासी)	गोंडवाना (Gondawana)	60—65	सरगुजा, कोरिया, जशपुर, कोरबा, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, धमतरी, एवं महासमुंद	धान
लाल—रेतीली मिट्टी	आरकियन ग्रेनाइट (Archaeon Granite)	20—25	बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव एवं धमतरी जिला	कोंदो—कुटकी ज्वार, बाजरा, आलू, तिलहन, मोटा अनाज, आदि
लाल—दोमट मिट्टी	आरकियन ग्रेनाइट (Archaeon Granite)	—	दंतेवाड़ एवं कोंटा तहसीलें	धान
लैटरिटिक मिट्टी	मिश्रित (Mixed)	—	बगीचा, सामरी, सीतापुर, अम्बिकापुर, कवर्धा, छुईखदान, साजा, बेमेतरा एवं जगदलपुर, तहसीलें	ज्वार, कोंदो—कुटकी, तिलहन, आलू, मोटा अनाज, आदि
काली मिट्टी	डेक्कन ट्रेप और बेसाल्ट (Deccan Trap & Basalt)	—	मुंगेली, पण्डरिया, रायपुर, राजिम, महासमुंद, कुरुद, एवं कवर्धा तहसीलें	धान, गेहूँ, कपास, गन्ना और रबी फसलें

2.3. मृदा अपरदन

छत्तीसगढ़ में वर्षा की अनिष्टितता, वनों के विनाश तथा अवैज्ञानिक ढंग से कृषि करने से मृदा अपरदन बढ़ा है। सामान्य रूप से अवनालिका अपरदन अधिक हुआ है। बस्तर जिले में अवनालिका, अपरदन अधिक हुआ है। प्रदेश में वनों के कटने एवं अत्यधिक चराई से भी मृदा कटाव बढ़ा है। अबूझमाड़ में मृदा अपरदन लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अस्थायी कृषि के लिए वनों की कटाई लगातार हो रही है। नदियों के किनारे भी मृदा अपरदन हो रहा है। सरगुजा, कोरिया, जशपुर, कबीरधाम का मैकल श्रेणी वाला क्षेत्र तथा पेण्डा का पठार, मिट्टी अपरदन से अधिक प्रभावित हो रहा है।

2.3.1. भूमि अपक्षरण की समस्या का स्वरूप

अपक्षरण को मुख्य रूप से वानस्पतिक आवरण, जल, वर्षा की तीव्रता, खेतों की संरचना, मिट्टी के प्रकार एवं फसल-चक्र जैसे तत्व प्रभावित करते हैं और इन्हीं तत्वों की प्रभावशीलता द्वारा अपक्षरण की तीव्रता निर्धारित होती है, जिसे भिन्न-तीव्रता वर्गों में सम्मिलित किया जा सकता है। अपक्षरण की मात्रा एवं उन्नत भू-आकारों के आधार पर मृदा अपरदन की तीव्रता का चार वर्गों में विभाजन किय गया है :—

तालिका 2.4 प्रदेश के विभिन्न जिलों में मृदा अपरदन की तीव्रता का वर्गीकरण

क्र.	मृदा अपरदन का वर्ग	मृदा क्षय टन प्रति हे. प्रति वर्ष	क्षेत्रफल हे. (%)	जिले का नाम
1	प्रथम वर्ग (Moderately Severe)	15 – 20	1365459 (10.1)	बिलासपुर, एवं महासमुंद जिला
2	द्वितीय वर्ग (Severe)	20–40	2392933 (17.7)	दुर्ग एवं राजनांदगाँव जिला
3	तृतीय वर्ग (Very Severe)	40–80	1419534 (10.5)	बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ एवं सरगुजा
4	चतुर्थ वर्ग (Extremely Severe)	> 80	1554730 (11.5)	बस्तर, महासमुंद, कोरिया एवं जशपुर

2.4. जलवायु

इस प्रदेश की जलवायु उष्ण-आर्द्ध मानसून प्रकार की है, जिसे सामान्य बोलचाल में उष्ण-कटिबन्धीय मानसूनी जलवायु या शुष्क उप-आर्द्ध कहा जाता है। मानसून की दृष्टि से छत्तीसगढ़ 'शुष्क आर्द्ध मानसूनी जलवायु' के अन्तर्गत आता है। कर्क रेखा प्रदेश के उत्तरी भाग (सरगुजा, कोरिया जिले) से होकर गुजरती है, जिसका पर्याप्त प्रभाव यहाँ की जलवायु पर पड़ता है। सम्पूर्ण प्रदेश की जलवायु में आंशिक भिन्नता है, जो समय-समय पर वर्षा, तापमान आदि के रूप में परिलक्षित होती रहती है। यहाँ ग्रीष्म में अधिक गर्मी तथा शीतकाल में काफी ठण्डा होने के साथ-साथ वर्षा ऋतु में न्यून दैनिक तापान्तर एवं न्यूनाधिक वर्षा यहाँ की जलवायु की मुख्य विशेषता है। इस तरह प्रदेश में देश की मानसूनी जलवायु में प्राप्त ऋतु क्रम से अभिन्न स्थिति दृष्टिगोचर होती है। अंचल में औसत वर्षा 140 सेमी० तथा इसका 90% दक्षिण-पश्चिम मानसून के द्वारा प्राप्त होता है अर्थात् जून से 01 सितम्बर के मध्य जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है :—

2.4.1. झारखण्ड प्रक्षेत्र

कर्क रेखा इस भाग के निकट से गुजरती है। इस कारण यहाँ गर्मियों में कड़क गर्मी तथा सर्दियों में साधारण सर्दी पड़ती है। यह प्रक्षेत्र मेकल श्रृंखला से सटा हुआ है।

2.4.2. छत्तीसगढ़ का मैदान

यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। इस मैदान में जंगल अधिक है। इस मैदान की जलवायु गर्म और सर्द है।

2.4.3. बस्तर का पहाड़ी क्षेत्र

इस भाग में गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। पहाड़ी अंचल होने के कारण यहाँ की जलवायु ठण्डी और अधिक वर्षा के कारण नम होती है।

2.5. वर्षा


छत्तीसगढ़ में जिलेवार विगत पाँच वर्षों की औसत वर्षा (मि.मी.) का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :—

तालिका 2.5 प्रदेश में जिलेवार विगत 05 वर्षों की औसत वर्षा (मि.मी.)

क्र.	जिले का नाम	औसत वर्षा	2006	2007	2008	2009	2010
1	रायपुर	1113.80	1121.1	1121.1	1121.1	1121.1	1084.6
2	महासमुन्द	1302.08	1356.4	1356.4	1356.4	1356.4	1084.8
3	धमतरी	1057.48	1017.2	1017.2	1017.2	1017.2	1218.6
4	दुर्ग	1101.00	1080.4	1080.4	1080.4	1080.4	1183.4
5	राजनांदगांव	1125.00	1119.8	1119.8	1119.8	1119.8	1145.8
6	कर्वाचौर	720.14	676.3	676.3	676.3	676.3	895.5
7	बिलासपुर	980.84	960.9	960.9	960.9	960.9	1060.6
8	जांजगीर— चांपा	1125.80	1114.0	1114.0	1114.0	1114.0	1173.0
9	कोरबा	1011.20	972.8	972.8	972.8	972.8	1164.8
10	रायगढ़	955.36	951.2	951.2	951.2	951.2	972
11	जशपुर	1044.96	1097.7	1097.7	1097.7	1097.7	834
12	सरगुजा	1191.50	1323.7	1323.7	1323.7	1323.7	662.7
13	कोरिया	1057.80	1130.3	1130.3	1130.3	1130.3	767.8
14	बस्तर	1672.76	1554.9	1554.9	1554.9	1554.39	2144.2
15	नारायणपुर	1675.90	-	-	-	-	1675.9
16	कांकेर	1607.54	1628.1	1628.1	1628.1	1628.1	1525.3
17	दंतेवाड़ा	1711.04	1762.1	1762.1	1762.1	1762.1	1506.8
18	बीजापुर	1595.24	1653.2	1889.0	1548.8	1204.3	1680.9

स्रोत : कृषि विभाग, छ.ग. शासन, वर्ष— 2011

रेखा चित्र 2.3 प्रदेश में जिलेवार विगत 05 वर्षों की औसत वर्षा (मि.मी.)



तालिका 2.6 छत्तीसगढ़ में मौसम से सम्बन्धित आंकड़े

माह	औसत मासिक वर्षा (मि.मी.)	औसत मासिक तापकम		औसत मासिक सापेक्ष आर्द्रता (%)	औसत मासिक हवा का वेग (कि.मी./घंटा)	औसत मासिक वाष्णन – उत्सर्जन (मि.मी.)	वर्षा वाले दिनों की संख्या
		अधिकतम °C	न्यूनतम °C				
जनवरी	26.2	27.4	10.2	49.9	5.3	32	3
फरवरी	19.1	30.8	14.3	39.8	6.1	44	2
मार्च	26.7	35.2	20.8	32.4	6.9	54	2
अप्रैल	13.1	39.4	25.3	30.2	8.4	91	2
मई	24.5	45	28.2	31.6	10.7	116	2
जून	205.9	37.1	26.4	65.0	12.1	68	11
जुलाई	392	35.8	23.9	86.1	11.8	37	19
अगस्त	358.8	30.1	23.9	87.3	10.4	37	19
सितम्बर	221.2	31.1	23.8	75.6	7.4	36	12
अक्टूबर	57.3	31.2	26.6	64.2	6	39	5
नवम्बर	17.8	29.2	16.1	53.5	4.1	35	2
दिसम्बर	3.4	27.1	13.1	52.3	4.4	30	3

Source: Dynamic Ground Water Resources of Chhattisgarh 2008-2009

3. अध्याय – जनसांख्यिकी

3.1. राज्य की मुख्य जनसांख्यिकीय विशेषताएँ

- देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 4.11 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ राज्य का 10वाँ स्थान है।
- राज्य की कुल जनसंख्या 2,55,40,196 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.11 प्रतिशत है। जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ देश का 16वाँ राज्य है।
- राज्य में जनसंख्या का घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है, और देश में राज्य 25वें स्थान पर है।
- राज्य, 991 स्त्री–पुरुष अनुपात के साथ देश में, 5वें स्थान पर है।
- राज्य की कुल जनसंख्या में 0–6 आयु समूह का प्रतिशत 14.03 है।
- 0–6 आयु समूह का स्त्री–पुरुष अनुपात 964 है, जो देश के इस आयु–समूह के स्त्री–पुरुष अनुपात 914 से 50 अंक अधिक है।
- राज्य की कुल साक्षरता दर 71.04 प्रतिशत है। पुरुष तथा स्त्री साक्षरता दर क्रमशः 81.45 प्रतिशत तथा 60.59 प्रतिशत है।
- साक्षरता के दृष्टिकोण से राज्य का देश में 27वाँ स्थान है।

तालिका 3.1 छत्तीसगढ़ – आंकड़े एक नजर में

क्र	जिलों की संख्या	2001 (अंतिम)	2011 (अनन्तिम)
		16	18
1.	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.में)	1,35,191	1,35,191
2.	कुल जनसंख्या	व्यक्ति	2,08,33,803
		पुरुष	1,04,74,218
		स्त्री	1,03,59,585
3.	दषकीय जनसंख्या वृद्धि (क) कुल वृद्धि (ख) प्रतिष्ठित	32,18,875	47,06,393
		18.27	22.59
4.	जनसंख्या घनत्व	154	189
5.	स्त्री–पुरुष अनुपात	989	991
	0–6 आयु समूह जनसंख्या		
6.	(क) कुल जनसंख्या	व्यक्ति	35,54,916
		पुरुष	18,00,413
		स्त्री	17,54,503

7.	(ख) प्रतिशत	व्यक्ति	17.06	14.03
		पुरुष	17.19	14.23
		स्त्री	16.94	13.84
	(ग) स्त्री- पुरुष अनुपात		975	964
	साक्षर जनसंख्या	व्यक्ति	1,11,73,149	1,55,98,314
		पुरुष	67,11,395	89,62,121
		स्त्री	44,61,754	66,36,193
		व्यक्ति	64.66	71.04
		पुरुष	77.38	81.45
		स्त्री	51.85	60.59

स्रोत : भारत की जनगणना 2011 जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़े

3.2. जनसंख्या

छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या 2,55,40,196 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 1,28,27,915 और स्त्रियों की संख्या 1,27,12,281 है।

राज्य की कुल जनसंख्या में रायपुर जिले की जनसंख्या सबसे अधिक (40,62,160) है तथा दुर्ग (33,43,079) एवं बिलासपुर (26,62,077) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। नारायणपुर (1,40,206) सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है।


तालिका 3.2 प्रदेश की जिलेवार जनसंख्या 2011

क्र.	देश/राज्य/जिला	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	भारत	1210193422	623724248	586469174
2	छत्तीसगढ़	25540196	12827915	12712281
3	कोरिया	659039	334336	324703
4	सरगुजा	2361329	1195145	1166184
5	बलरामपुर			
6	सूरजपुर			
7	जशपुर	852043	425085	426958
8	रायगढ़	1493627	749439	744188
9	कोरबा	1206563	612158	594405
10	जांजगीर-चांपा	1620632	816057	804575
11	बिलासपुर	2662077	1349928	1312149
12	मुगेली			
13	कबीरधाम	822239	411637	410602
14	राजनांदगांव	1537520	762170	775350
15	दुर्ग	3343079	1681521	1661558
16	बैमेतरा			
17	बालोद			
18	रायपुर	4062160	2048856	2013304
19	बलौदाबाजार			
20	गरियाबंद			


क्र.	देश/राज्य/जिला	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
21	महासमुन्द	1032275	511475	520800
22	धमतरी	799199	397250	401949
23	उ.ब. कांकेर	748593	372987	375606
24	बस्तर	1411644	697359	714285
25	कोणडागांव			
26	नारायणपुर	140206	70189	70017
27	द.ब. दंतेवाड़ा	532791	263562	269229
28	सुकमा			
29	बीजापुर	255180	128761	126419

स्रोत : भारत की जनगणना 2011 जनसंख्या के अनंतिम आंकड़े


रेखा चित्र 3.1 प्रदेश की जिलेवार जनसंख्या 2011



रेखा चित्र 3.2 निवास के अनुसार कुल जनसंख्या का प्रतिष्ठत अंश—2001



रेखा चित्र 3.3 निवास के अनुसार कुल जनसंख्या का प्रतिष्ठत अंश—2011



छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों तथा नदियों के आस-पास जनसंख्या का घनत्व अधिक है। दूसरी ओर ऊबड़-खाबड़, तीव्र ढाल तथा वनाच्छादित क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम है। छत्तीसगढ़ मूलतः एक गांवों का प्रदेश है। राज्य की 76.76% जनसंख्या राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों—सरगुजा, बस्तर तथा रायगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। इन जिलों में क्रमशः 89.62%, 86.30% तथा 83.51% ग्रामीण जनसंख्या है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कम है। राज्य के राजनांदगाँव, बिलासपुर, रायपुर तथा दुर्ग जिलों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः लगभग 82.27%, 74.50%, 63.51% तथा 61.58% है। छत्तीसगढ़ में लगभग 23.24% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। राज्य के एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में क्रमशः दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगाँव, रायगढ़, जगदलपुर तथा कोरबा हैं।

3.3. जनसंख्या वृद्धि दर

2001–2011 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 22.59 प्रतिशत है तथा इस दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का देष में 9वाँ स्थान है। विगत जनगणना की 18.27 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में इस जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर 4.32 प्रतिशत अधिक है।

2001–2011 के दौरान कबीरधाम जिले में सबसे अधिक 40.66 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। इसके बाद क्रमशः रायपुर (34.65 प्रतिशत) एवं बिलासपुर (33.21 प्रतिशत) का स्थान है। बीजापुर में सबसे कम (8.76 प्रतिशत) जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई।

3.4. जनसंख्या घनत्व


छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग कि.मी. है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11 प्रतिशत है। यहां देश की 2.11 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना 2001 में जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था जो कि जनगणना 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गया है। जनगणना 2011 में राज्य का जनसंख्या घनत्व 189 यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है जबकि जनगणना 2001 में यह 154 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था। जांजगीर-चांपा जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व (421) दर्ज किया गया है तथा दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः दुर्ग (391) और बिलासपुर (322) हैं। नारायणपुर (20) सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है।

3.5. भारत एवं छत्तीसगढ़ : जनसंख्या घनत्व 1901–2011

तालिका 3.3 जनसंख्या घनत्व 1901–2011

देश/राज्य	वर्ष						
	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
भारत	110	134	167	208	267	325	382
छत्तीसगढ़	55	68	86	104	130	154	189
स्रोत : भारत की जनगणना 2011 जनसंख्या के अनंतिम आंकड़े							

रेखा चित्र 3.4 जनसंख्या घनत्व 1901–2011



3.6. स्त्री-पुरुष अनुपात

जनगणना 2011 के अनुसार देश का स्त्री-पुरुष अनुपात 940 है। राज्य में यह अनुपात 991 है जबकि 2001 में यह अनुपात 989 था। इस मामले में राज्य का स्थान 5वाँ है। राज्य के सात जिलों (बस्तर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, महासमुंद, राजनांदगांव, धमतरी, उत्तर बस्तर कांकेर और जशपुर) का स्त्री-पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है। सबसे अधिक स्त्री-पुरुष अनुपात बस्तर (1024) में दर्ज किया गया है। इसके बाद क्रमशः दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (1022) एवं महासमुंद (1018) का स्थान है। सबसे कम स्त्री-पुरुष अनुपात कोरबा (971) एवं कोरिया (971) में दर्ज किया गया है।


तालिका 3.4 प्रदेश में स्त्री-पुरुष अनुपात 2001–2011

क्र.	देश/राज्य/जिला	2001	2011
1	भारत	933	940
2	छत्तीसगढ़	989	991
3	कोरिया	946	971
4	सरगुजा	972	976
5	बलरामपुर		
6	सूरजपुर		
7	जशपुर	999	1004
8	रायगढ़	994	993
9	कोरबा	964	971
10	जांजगीर-चांपा	998	986
11	बिलासपुर	971	972
12	मुंगेली		
13	कबीरधाम	1002	997
14	राजनांदगांव	1023	1017
15	दुर्ग	982	988
16	बेमेतरा		
17	बालोद		
18	रायपुर	980	983

क्र.	देश/राज्य/जिला	2001	2011
19	बलौदाबाजार		
20	गरियाबंद		
21	महासमुन्द	1018	1018
22	धमतरी	1004	1012
23	उ.ब. कांकेर	1005	1007
24	बस्तर	1011	1024
25	कोण्डागांव		
26	नारायणपुर	1010	998
27	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1026	1022
28	सुकमा		
29	बीजापुर	996	982

स्रोत : भारत की जनगणना 2011 जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़े

रेखा चित्र 3.5 प्रदेश में निवास के अनुसार स्त्री-पुरुष अनुपात 2001–2011



3.7. प्रदेश में ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या की साक्षरता स्थिति

जनगणना 2011 के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार देश की औसत साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है। इसमें ग्रामीण साक्षरता दर 68.91 प्रतिशत और नगरीय साक्षरता दर 84.97 प्रतिशत है। देश की औसत साक्षरता दर में प्रत्येक दशकीय जनगणना के अनुसार लगातार वृद्धि हो रही है, 1991 में 52.21% और 2001 में 68.83% हो गयी थी।

छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 71.04 प्रतिशत है। इसमें ग्रामीण साक्षरता दर 66.76% और नगरीय साक्षरता दर 84.79% है। देश की औसत साक्षरता दर

की तुलना में राज्य की औसत साक्षरता दर केवल 3 प्रतिशत कम है। शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य में भी अच्छी प्रगति हासिल की है। जनगणना 1991 और 2001 में साक्षरता दर में तीव्र वृद्धि देखी गई है। जनगणना 1991 में यह 42.91 प्रतिशत था। यह बढ़कर 2001 जनगणना में 64.66 प्रतिशत दर्ज हुआ। जनगणना 2011 के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार देश में औसत पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत है जिसमें ग्रामीण साक्षरता दर 78.57 प्रतिशत एवं नगरीय 89.67 प्रतिशत है। राज्य में औसत पुरुष साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 81.45 प्रतिशत हो गई। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत 78.20 और नगरीय क्षेत्र की प्रतिशत 91.63 शामिल है।

2011 की जनगणना के अनुसार देश में औसत महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है, जिसमें ग्रामीण साक्षरता दर 58.75 प्रतिशत और नगरीय साक्षरता दर 79.92 प्रतिशत है। राज्य में औसत महिला साक्षरता दर 1991 जनगणना में 27.52% और 2001 जनगणना में 51.84% साक्षरता दर दर्ज हुई। जनगणना 2011 के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार औसत महिला साक्षरता दर 60.59 प्रतिशत है जिसमें ग्रामीण महिला साक्षरता का प्रतिशत 55.40 और नगरीय महिला साक्षरता का प्रतिशत 77.65 है। पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर 20.86% है।

3.8. जिलों में साक्षरता की स्थिति

ग्रामीण साक्षरता सबसे ज्यादा धमतरी जिले में 77.57% है। अन्य सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले जिले दुर्ग (75.52%), राजनांदगांव (74.85%), जांजगीर-चांपा (72.27%) आदि हैं। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में ग्रामीण साक्षरता सबसे कम 34.38% है। अन्य कम ग्रामीण साक्षरता के जिले बीजापुर (37.07%), नारायणपुर (42.75%), बस्तर (50.37%) आदि हैं।


तालिका 3.5 राज्य में निवास के अनुसार जिलेवार साक्षरता दर, वर्ष 2001–2011

क्र.	राज्य/जिला	वर्ष–2001	वर्ष–2011
1	छत्तीसगढ़	64.66	71.04
2	कोरिया	63.09	71.41
3	सरगुजा	54.79	61.16
4	बलरामपुर		
5	सूरजपुर		
6	जशपुर	63.77	68.60
7	रायगढ़	70.16	73.70
8	कोरबा	61.71	73.22
9	जांजगीर-चांपा	65.94	73.70
10	बिलासपुर	63.51	71.59
11	मुंगेली		
12	कबीरधाम	55.15	61.95
13	राजनांदगांव	77.21	76.97
14	दुर्ग		79.69
15	बोमेतरा	75.62	
16	बालोद		
17	रायपुर	68.51	76.43

क्र.	राज्य / जिला	वर्ष—2001	वर्ष—2011
18	बलौदाबाजार		
19	गरियाबंद		
20	महासमुन्द	67.01	71.54
21	धमतरी	74.89	78.95
22	उत्तर बस्तर कांकेर	72.93	70.97
23	बस्तर	44.27	54.94
24	कोण्डागांव		
25	नारायणपुर	37.55	49.59
26	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	30.45	42.67
27	सुकमा		
28	बीजापुर	30.35	41.58

स्रोत : भारत की जनगणना 2011 जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़े

रेखा चित्र 3.6 राज्य में निवास के अनुसार जिलेवार साक्षरता दर, वर्ष 2001–2011



3.9. निवल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी


निवल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :—

तालिका 3.6 विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ के निवल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रतिशत में

उद्योग समूह	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10 (P)	2010–11 (Q)	2011–12 (A)
कृषि	22.71	24.71	21.41	22.66	19.35	21.28	22.13	21.09

स्रोत : छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2010–11(Q), आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

रेखा चित्र 3.7 विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ के निवल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रतिशत में




तालिका 3.7 विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ का निवल घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर

उद्योग समूह	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10 (P)	2010–11 (Q)	2011–12 (A)
प्राथमिक क्षेत्र	1387770	1686032	1894883	2364871	2565638	2632978	3356921	3729718
द्वितीयक क्षेत्र	1229797	1142821	1846350	2155496	2739679	2566130	2976164	3509281
तृतीयक क्षेत्र	1521110	1737596	2012338	2414418	2975555	3405429	3958680	4637190
योग	4138676	4566449	5753571	6934785	8280872	8604537	10291765	11876189

स्रोत : छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2010–11(Q), आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

रेखा चित्र 3.8 विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ का निवल घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर



4. अध्याय – भूमि का उपयोग


4.1. प्रदेश में भूमि का उपयोग (2008–2009)

तालिका 4.1 भूमि का उपयोग (2008–2009)

क्र.	भूमि की उपयोगिता	क्षेत्रफल (हे.)
1.	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	1,37,89,836
2.	वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	63,49,116
3.	कृषि के लिये जो भूमि उपलब्ध नहीं है	10,04,397
4.	पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य अकृषि भूमि	12,02,594
5.	पड़ती भूमि	5,23,282
6.	सकल बोया गया क्षेत्रफल	56,83,176
7.	अनाज	43,22,557
8.	दालें	8,94,326
9.	गन्ना	15,973
10.	फल एवं साग सब्जी	1,22,193
11.	खाद्य फसलें	53,68,491

स्रोत : छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप–2009, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़

रेखा चित्र 4.1 प्रदेश में भूमि का उपयोग (2008–2009)



4.2. वन—सम्पदा


छत्तीसगढ़ प्राकृतिक वन—सम्पदा के लिए अनादि काल से प्रसिद्ध रहा है तथा इसके विविध अंचलों को रामायण, महाभारत, पुराण, काव्य या अभिलेखों में दण्डकारण्य, नागवन, झाडेशवन, महाटवी या महाकान्तार आदि नामों से पुकारा जाता है। इंडिया स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 2011 के अनुसार देश में वनों का कुल क्षेत्रफल 7,82,90,000 हे. तथा छत्तीसगढ़ राज्य का 55,67,400 हे. भू—भाग वनों से आच्छादित है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 41.18% है, तथा जो देश के वन क्षेत्र का लगभग 7.11% है। दण्डकारण्य क्षेत्र (प्राचीन बस्तर) में अभी भी सबसे अधिक भूमि वनों के अन्तर्गत है। यहाँ की उष्णकटिबंधीय आर्द्ध पर्णपाती वन वनस्पति साल वृक्षों के लिए पहचानी जाती है।

तालिका 4.2 छत्तीसगढ़ में वनों का वर्गीकरण प्रतिष्ठत में

वन क्षेत्र	प्रतिशत
सघन वन	3.08
घने वन	25.82
खुले वन	12.28
झाड़ियाँ	0.09
गैर वन	58.73

स्रोत : इंडिया स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 2011

रेखा चित्र 4.2 छत्तीसगढ़ में वनों का वर्गीकरण प्रतिष्ठत में




तालिका 4.3 छत्तीसगढ़ में वनों का वर्गीकरण

छत्तीसगढ़ में वनों का वर्गीकरण—2011 वन क्षेत्र	वन क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में
सघन वन	4163
घने वन	34911
खुले वन	16600
झाड़ियाँ	119
गैर वन	79394
योग	135191

स्रोत : इंडिया स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 2011

रेखा चित्र 4.2 छत्तीसगढ़ में वनों का वर्गीकरण




तालिका 4.4 प्रदेश में जिलेवार वनों का वितरण (वर्ग कि.मी.)

जिला	भौगोलिक क्षेत्र	सघन वन	घने वन	खुले वन	कुल	प्रतिशत
बस्तर	14974	1349	4333	2329	8011	53.5
बिलासपुर	8270	338	1623	533	2494	30.16
दंतेवाड़ा	17634	1082	6167	4079	11328	64.24
दुर्ग	8549	44	521	202	767	8.97
जांजगीर-चांपा	3852	4	26	125	155	4.02
जशपुर	5838	111	1485	568	2164	37.07
कांकेर	6506	215	2044	835	3094	47.56
कबीरधाम	4223	70	1126	389	1585	37.53
कोरबा	6599	203	2306	840	3349	50.75
कोरिया	6604	79	2605	1423	4107	62.19
महासमुन्द	4789	4	534	422	960	20.05
रायगढ़	7086	126	1697	723	2546	35.93
रायपुर एवं धमतरी	16468	189	3837	1435	5461	33.16
राजनांदगांव	8068	29	1771	720	2520	31.23
सरगुजा	15731	320	4836	1977	7133	45.34
योग	135191	4163	34911	16600	55674	

स्रोत : इंडिया स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 2011

रेखा चित्र 4.3 प्रदेश में जिलेवार वनों का वितरण (वर्ग कि.मी.)



4.3. प्रदेश में सिंचाई परिदृश्य


छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, वर्ष 2010–11 में प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्र 56.71 लाख हेक्टर तथा निरा बोया गया क्षेत्र 46.96 लाख हेक्टर था। प्रदेश गठन के समय शासकीय स्रोतों से 13.28 लाख हेक्टर में सिंचाई निर्मित हुआ था, जो कुल बोये गये क्षेत्र का 23 प्रतिशत था। वर्ष 2010–11 में उपलब्ध ऑकड़ों के अनुसार फसलों का निरा सिंचित क्षेत्रफल 13.55 लाख है। हो चुका है जो फसलों के निरा क्षेत्रफल का 29 प्रतिशत है। आंकलन के अनुसार 43 लाख है। में सिंचाई सुविधा निर्मित की जा सकती है। जिसमें सतही जल से 33.80 लाख एवं भू—जल से 9.20 लाख हैं। में सिंचाई की जा सकती है। राज्य गठन के उपरान्त सिंचित क्षेत्रफल को राष्ट्रीय औसत 48.90 प्रतिशत के समकक्ष लाने के लिए शासन द्वारा सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश की पांच मुख्य नदी कछारों में कुल 135097 वर्ग कि.मी. सतही जलग्रहण क्षेत्र है। राज्य में कुल 599000 लाख घनमीटर सतही जल की उपलब्धता है जिसमें से 417200 लाख घ.मी. उपयोग में लाया जा सकता है। इसी प्रकार प्रदेश में 11.58 हे.मी. भू—जल उपलब्ध है जिसमें से 7.86 हे.मी. का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है।

तालिका 4.5 प्रदेश में सिंचाई परिदृश्य: कृषि वर्षान्त वर्ष – 2011


क्र	जिला	संपूर्ण फसलों का कुल क्षेत्रफल	फसलों निरा क्षेत्रफल	संपूर्ण फसलों का सिंचित क्षेत्रफल	फसलों का निरा सिंचित क्षेत्रफल	निरा सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत %	वर्षा सिंचित	
							फसलों का निराक्षेत्र फल	फसलों के क्षेत्रफल का निरा प्रतिशत %
1	रायपुर	673501	538070	328001	299235	56	238835	44
2	बलौदाबाजार							
3	गरियाबंद							
4	महासमुन्द	299332	268040	100616	77669	29	190371	71
5	धमतरी	208970	134604	137236	101698	76	32906	24
6	दुर्ग	786237	546961	317433	236031	43	310930	57
7	बैमेतरा							
8	बालोद							
9	राजनांदगांव	443497	349623	94191	74750	21	274873	79
10	कबीरधाम	247729	185952	72220	47696	26	138256	74
11	बस्तर	326430	315657	9592	9592	3	306065	97
12	कोणडागांव							
13	नारायणपुर	48826	46783	291	291	1	46492	99
14	कांकेर	228165	211135	26850	26850	13	184285	87
15	दन्तेवाड़ा	200948	198416	1239	1239	1	197177	99
16	सुकमा							
17	बीजापुर	65041	64854	3161	3161	5	61693	95
18	बिलासपुर	494325	362153	165369	149858	41	212295	59
19	मुंगेली							
20	जांजगीर–चांप	297384	259140	212808	198793	77	60347	23
21	कोरबा	142136	131464	8325	8325	6	123139	94
22	सरगुजा	535280	465818	44054	41860	9	423958	91
23	बलरामपुर							
24	सूरजपुर							
25	कोरिया	112026	101615	8341	7427	7	94188	93
26	रायगढ़	303215	272001	66274	62323	23	209678	77
27	जशपुर	258537	244256	8606	8533	3	235723	97
	योग	5671579	4696542	1604607	1355331	29	3341211	71

स्रोत : संचालनालय, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि वर्षान्त- 2011


रेखा चित्र 4.4 प्रदेश में सिंचाई परिदृश्य: कृषि वर्षात 30 जून 2011



रेखा चित्र 4.5 प्रदेश में सिंचाई परिदृश्य: वर्ष – 2011



रेखा चित्र 4.6 प्रदेश में सिंचाई परिदृश्य: वर्ष – 2011



4.3.1. छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई साधनों की संख्या एवं सिंचित निरा क्षेत्र


तालिका 4.6 जिलेवार सिंचाई के साधनों की संख्या एवं सिंचित निरा क्षेत्रफल (कृषि वर्षात 30 जून–2011)

क्र.	जिला	नहर		तालाब		कुँए		नलकूप	
		सं.	क्षे.	सं.	क्षे.	सं.	क्षे.	सं.	क्षे.
1	रायपुर	103	239214	8042	6371	23823	3127	22264	39645
2	बलौदाबाजार								
3	गरियाबंद								
4	महासमुन्द	59	31940	3836	9515	13236	1259	8311	29940
5	धमतरी	10	84066	24	246	1201	270	15136	16372
6	झुंगा	296	127224	306	2729	1458	1669	33938	88408
7	बेमेतरा								
8	बालोद								
9	राजनांदगांव	160	47470	652	4345	7854	2231	9222	18839
10	कबीरधाम	39	17482	46	332	2041	484	10067	28835
11	बस्तर	15	421	142	1442	2773	768	1973	2184
12	कोणडागांव								
13	नारायणपुर	0	0	6	163	59	73	46	34
14	कांकेर	17	7039	649	3693	4481	706	5119	6515
15	दन्तेवाड़ा	18	793	12	6	59	13	141	275
16	सुकमा								
17	बीजापुर	9	0	446	3025	82	60	0	0
18	बिलासपुर	136	115810	6324	3989	5136	3144	13988	24162
19	मुंगेली								
20	जांजगीर-चांपा	13	186723	7640	2295	7346	2308	2864	5969
21	कोरबा	35	4579	1962	489	1217	827	515	292
22	सरगुजा	152	6106	2705	2016	53716	5742	4817	1002


क्र.	जिला	नहर		तालाब		कूँए		नलकूप	
		सं.	क्षे.	सं.	क्षे.	सं.	क्षे.	सं.	क्षे.
23	बलरामपुर	77	4090	929	137	5747	822	586	367
24	सूरजपुर								
25	कोरिया	77	4090	929	137	5747	822	586	367
26	रायगढ़	81	18023	2721	4660	3796	663	10280	31496
27	जशपुर	51	4132	274	152	12774	1926	203	20
योग— राज्य		1271	895112	36716	45605	146799	26092	139470	294355

स्रोत : संचालनालय, भू—अभिलेख, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि वर्षान्त – 2011

रेखा चित्र 4.7 जिलेवार सिंचाई के साधनों की संख्या कृषि वर्षात 30 जून— 2011



रेखा चित्र 4.8 जिलेवार सिंचाई का सिंचित निरा क्षेत्रफल कृषि वर्षात 30 जून— 2011



4.4 भू—जल परिदृश्य

4.4.1 भू—जल की शुद्ध उपलब्धता

क.	छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वार्षिक भू—जल पुनर्भरण	:	1221750.64 हे.मी.
ख.	गैर मानसून अवधि में भू—जल का प्राकृतिक निस्सरण	:	64210.14 हे.मी.
ग.	प्रदेश में भू—जल की शुद्ध उपलब्धता	:	1157540.50 हे.मी.

4.4.2 भू—जल का उपयोग

प्रदेश में सभी साधनों से भू—जल का कुल उपयोग 359338.69 हे.मी. है। दुर्ग जिले में भू—जल का सर्वाधिक उपयोग 59886.46 हे.मी. एवं बीजापुर जिले में भू—जल का न्यूनतम उपयोग 1221.29 हे. है। प्रदेश में दुर्ग जिला कृषि उत्पादन एवं भू—जल पर निर्भरता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक विकसित जिला है। प्रदेश में सिंचाई कार्यों के लिए भू—जल का उपयोग 85.5 प्रतिष्ठत है, वहीं घरेलू उपयोग हेतु भू—जल का खपत लगभग 14.5 प्रतिशत है।

4.4.3 भविष्य में सिंचाई कार्यों हेतु भू—जल की शुद्ध उपलब्धता

भविष्य में सभी कार्यों हेतु भू—जल की शुद्ध उपलब्धता 785847.10 हे.मी.।


4.4.4 भू—जल विकास की अवस्था

प्रदेश में भू—जल विकास की अवस्था 31.04 प्रतिष्ठत है जो कि अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी कम है। प्रदेश के 146 विकासखण्डों में से 38 विकासखण्डों में भू—जल विकास की अवस्था 30 से 50 प्रतिष्ठत, 25 विकासखण्डों में भू—जल विकास की अवस्था 50 से 70 प्रतिष्ठत के अन्तर्गत है। केवल 15 विकासखण्डों में ही भू—जल विकास की अवस्था 70 प्रतिष्ठत से ज्यादा है। ऐसे 68 विकासखण्डों में भू—जल विकास की अवस्था 30 प्रतिष्ठत से कम है।

4.4.5 भू—जल आंकलन इकाइयों का वर्गीकरण

भू—जल विकास की अवस्था के दृष्टिकोण से प्रदेश में 14 विकासखण्ड सेमीक्रिटिकल श्रेणी के अन्तर्गत हैं। इन 14 विकासखण्डों में से 7 विकासखण्ड दुर्ग जिले में, 3 धमतरी जिले में और बिलासपुर, कबीरधाम, रायगढ़ एवं राजनांदगांव जिलों से एक—एक विकासखण्ड सेमीक्रिटिकल श्रेणी के अन्तर्गत हैं।

मानचित्र 4.1 सेमीक्रिटिकल श्रेणी के विकासखण्ड




तालिका 4.7 छत्तीसगढ़ राज्य में भू-जल के विकास का विवरण—2008


जिला	भू-जल की शुद्ध उपलब्धता हे.मी.	वर्तमान में सिंचाई कार्यों हेतु भू-जल का कुल उपयोग हे.मी. में	वर्तमान में घरेलू एवं औद्योगिक आपूर्ति हेतु भू-जल का कुल उपयोग हे.मी. में	वर्तमान में भू-जल का कुल उपयोग हे.मी. में	घरेलू एवं औद्योगिक आपूर्ति हेतु भू-जल का कुल आबंटन हे.मी. में	भविष्य में सिंचाई कार्यों हेतु भू-जल की शुद्ध उपलब्धता हे.मी. में	भू-जल विकास की अवस्था % में
बस्तर	109857.45	8626.44	2607.18	11233.62	3383.82	97847.19	10.23
बीजापुर	76858.28	608.87	612.42	1221.29	851.02	75398.39	1.59
बिलासपुर	49736.28	18419.52	4809.85	23229.37	6423.70	24893.06	46.71
दंतेवाड़ा	51157.86	2336.96	1042.09	3379.05	1360.60	47460.30	6.61
धमतरी	36969.73	22106.93	2808.38	24915.31	3534.67	11328.13	67.39
दुर्ग	87031.37	55402.34	4484.12	59886.46	5245.95	26383.08	68.81
जांजगीर-चांपा	37426.52	13250.09	2935.46	16185.55	3994.89	20181.54	43.25
जशपुर	50977.35	15286.36	1723.35	17009.71	2113.95	33577.04	33.37
कांकेर	83376.11	15797.06	1552.68	17349.74	2049.43	65529.62	20.81
कर्वाचौरी	28013.73	17531.50	992.32	18523.82	1196.48	9285.75	66.12
कोरबा	42483.28	4034.22	2330.70	6364.92	2185.33	36263.73	14.98
कोरिया	42353.92	8412.31	1357.26	9769.57	1543.02	32398.59	23.07
महासमुन्द	57765.49	19050.77	3633.96	22684.73	3660.23	35054.49	39.27
नारायणपुर	40627.17	1019.80	371.35	1391.15	490.26	39117.11	3.42
रायगढ़	47471.72	17769.60	2719.90	20489.50	3585.48	26116.64	43.16
रायपुर	115628.28	32315.94	10117.43	42433.37	12566.90	70745.44	36.70
राजनांदगांव	42873.59	20584.80	2520.44	23105.24	2600.36	19688.43	53.89
सरगुजा	156932.37	35282.58	4883.70	40166.28	7071.21	114578.58	25.59
योग हे.मी. में	1157540.50	307836.10	51502.59	359338.69	63857.30	785847.10	31.04
योग बी.सी.एम. में	11.58	3.08	0.52	3.59	0.64	7.86	31.04

Source : Dynamic Ground Water Resources of Chhattisgarh 2008-2009

रेखा चित्र 4.9 छत्तीसगढ़ राज्य में भू-जल के विकास का विवरण—2008



रेखा चित्र 4.10 छत्तीसगढ़ राज्य में भू-जल के विकास की अवस्था—2008



तालिका 4.8 छत्तीसगढ़ में भू-जल का आंकलन—2008

क्र	जिला	मानसून अवधि में वर्षा से पुनर्भरण हे.मी. में	मानसून अवधि में अन्य स्त्रोतों से पुनर्भरण हे.मी. में	गैर मानसून अवधि में वर्षा से पुनर्भरण हे.मी. में	गैर मानसून अवधि में अन्य स्त्रोतों से पुनर्भरण हे.मी. में	कुल वार्षिक भू-जल पुनर्भरण हे.मी.में	गैर मानसून अवधि में भू-जल का प्राकृतिक निस्सरण हे.मी. में	शुद्ध भू-जल की उपलब्धता हे.मी. में
1	बस्तर	98676.26	773.70	13744.99	2444.48	115639.43	5781.98	109857.45
2	बीजापुर	70450.51	75.63	10258.61	118.71	80903.46	4045.18	76858.28
3	बिलासपुर	44346.05	3576.10	0.00	4431.84	52353.99	2617.71	49736.28
4	दंतेवाड़ा	52500.19	237.65	0.00	1112.54	53850.38	2692.52	51157.86
5	धमतरी	24934.12	6827.06	0.00	7154.34	38915.52	1945.79	36969.73
6	दुर्ग	55395.50	9531.31	8564.63	18120.55	91611.99	4580.62	87031.37

क्र	जिला	मानसून अवधि में वर्षा से पुनर्भरण हे.मी. में	मानसून अवधि में अन्य स्त्रोतों से पुनर्भरण हे.मी. में	गैर मानसून अवधि में वर्षा से पुनर्भरण हे.मी. में	गैर मानसून अवधि में अन्य स्त्रोतों से पुनर्भरण हे.मी. में	कुल वार्षिक भू-जल पुनर्भरण हे.मी.में	गैर मानसून अवधि में भू-जल का प्राकृतिक निस्सरण हे.मी. में	शुद्ध भू-जल की उपलब्धता हे.मी. में
7	जांजगीर चांपा	22266.39	7656.31	3516.22	5957.42	39396.34	1969.82	37426.52
8	जष्पुर	43740.54	783.86	5363.83	3787.14	53675.37	2698.02	50977.35
9	कांकेर	76264.71	687.11	8646.30	2166.22	87764.34	4388.23	83376.11
10	कबीरधाम	18112.17	2163.30	1864.65	7348.01	29488.13	1474.40	28013.73
11	कोरबा	38271.88	1506.72	3866.20	1970.40	45615.20	3131.92	42483.28
12	कोरिया	37089.10	1666.94	3397.30	2429.73	44583.07	2229.15	42353.92
13	महासमुन्द	53584.36	1775.46	1096.20	4349.78	60805.80	3040.31	57765.49
14	नारायणपुर	40155.81	131.23	4423.14	431.13	45141.31	4514.14	40627.17
15	रायगढ़	38180.44	2082.18	4703.94	5003.66	49970.22	2498.50	47471.72
16	रायपुर	96265.19	9194.94	5614.41	10639.48	121714.02	6085.74	115628.28
17	राजनांदगांव	30617.39	5231.53	4371.30	4909.89	45130.11	2256.52	42873.59
18	सरगुजा	144340.35	2121.76	11114.99	7614.86	165191.96	8259.59	156932.37
	योग हे.मी.में	985190.96	56022.79	90546.71	89990.18	1221750.64	64210.14	1157540.50
	योग बी.सी.मी. में	9.85	0.56	0.91	0.90	12.22	0.64	11.58

Source : Dynamic Ground Water Resources of Chhattisgarh 2008-2009

5. अध्याय – कृषि क्षेत्र

राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनता कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधो पर आश्रित है। यहाँ कृषि योग्य सकल कृषि क्षेत्र 56.72 लाख हेक्टर है जिसमें 17.46 लाख सीमांत 7.16 लाख लघु एवं 7.93 लाख मध्यम एवं दीर्घ इस प्रकार कुल 32.55 लाख कृषक परिवार कृषि कार्य में संलग्न हैं।

5.1. कृषि उत्पादन

वर्ष 2010–11 में खरीफ फसलों की 4580.533 हजार हेक्टर एवं रबी 1091.046 हजार हेक्टर में बोनी हुई है। खरीफ एवं रबी मौसम में उत्पादन क्रमशः धान 6637737, गेहूं 121745, ज्वार 8193, बाजरा 37, जौ 1196, मक्का 190489, कोंदो–कुटकी 26068, लाखतिवड़ा 223624, मटर 4795, मसुर 5025, गन्ना 185456, मूँग–मोठ 4255, उड़द 30648, कुल्थी 14557, मूँगफली 37349, तिल 6878, सोयाबीन 112391, रामतिल 12024, सूर्यमुखी 1326 मेट्रिक टन हुआ।

राज्य में कृषि भूमि का उपयोग तथा उत्पादन एवं जलवायु की दृष्टि से सम्पूर्ण प्रदेश को मुख्यतः तीन कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है—

1. छत्तीसगढ़ का मैदान
2. बस्तर का पठार
3. उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र

तालिका 5.1 राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्रों की प्रकृति एवं वितरण

क्र.	कृषि जलवायु क्षेत्र	फसल	जिले
1	छत्तीसगढ़ का मैदान	चावल, कोंदो, कुटकी, गेहूं, अरहर, मूँग, चना, तिल, सरसों, मूँगफली, अलसी, सोयाबीन, सब्जियाँ	रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, कांकेर, महासमुंद, धमतरी, कोरबा, जांजगीर–चांपा,
2	बस्तर का पठार	चांवल, गेहूं, कोंदो, कुटकी, मक्का, अरहर, चना, कुल्थी, तिल, तिवरा, आलू एवं सब्जियाँ	बस्तर एवं दंतेवाड़ा
3	उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र	कोंदो, कुटकी, चावल, गेहूं, अरहर, तिल, लेनतिल, मूँगफली, सरसों, बरसीम, आलू एवं सब्जियाँ	सरगुजा, जशपुर एवं कोरिया


निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2006–07 से वर्ष 2010–11 तक फसलों का निरा क्षेत्रफल एवं समस्त साधनों से सिंचित फसलों के निरा क्षेत्रफल का उल्लेख किया गया है।

तालिका 5.2 फसलों का निरा क्षेत्रफल एवं समस्त साधनों से सिंचित फसलों के निरा क्षेत्रफल वर्ष-2011


वर्ष	फसलों का निरा क्षेत्रफल हे. में	समस्त साधनों से सिंचित फसलों का निरा क्षेत्रफल एवम् प्रतिशत
2006-07	4721929	1282285 (27%)
2007-08	4727143	1333965 (28%)
2008-09	4710447	1339213 (28%)
2009-10	4683416	1322792 (28%)
2010-11	4696542	1355331 (29%)

स्रोत : संचालनालय, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ शासन

रेखा चित्र 5.1 फसलों का निरा क्षेत्रफल वर्ष-2011



रेखा चित्र 5.2 समस्त साधनों से सिंचित फसलों का निरा क्षेत्रफल वर्ष-2011




तालिका 5.3 जिलेवार धान का सिंचित एवं वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन वर्ष 2010–11

क्र	जिलों का नाम	धान							
		क्षेत्र (हेक्टे.)	सिंचित	वर्षा आधारित	सिंचित	वर्षा आधारित	योग	मक्का	कुल उत्पादन (मेट्रिक टन में)
									कुल योग
1	रायपुर	306768	239197	506462	264933	1317360	1002	2635722	
2	बलौदा बाजार								
3	गरियाबंद								
4	महासमुन्द	95949	170789	246428	240260	753426	177	1507029	
5	धमतरी	131971	36884	329060	66073	563988	653	1128629	
6	दुर्ग	232595	229492	506100	338664	1306851	485	2614187	
7	बेमेतरा								
8	बालोद								
9	राजनांदगांव	73783	200629	152860	285709	712981	1920	1427882	
10	कबीरधाम	32605	63134	66131	84875	246745	3982	497472	
11	बस्तर	2024	237352	5768	395718	640862	40570	1322294	
12	कोणडागांव								
13	नारायणपुर	221	29696	589	50982	81488	6525	169501	
14	कांकेर	20862	152734	73213	312503	559312	18868	1137492	
15	दन्तेवाड़ा	743	137048	2325	258971	399087	12607	810781	
16	सुकमा								
17	बीजापुर	3064	56575	9456	117596	186691	1034	374416	
18	बिलासपुर	148064	181053	316099	235573	880789	6215	1767793	
19	मुंगेली								
20	जांजगीर—चांपा	204655	50123	579001	80383	914162	687	1829011	
21	कोरबा	6471	102736	12910	117600	239717	6860	486294	
22	सरगुजा	5891	297031	10112	313500	626534	63804	1316872	
23	बलरामपुर								
24	सूरजपुर								
25	कोरिया	3664	64203	6463	67433	141763	13334	296860	
26	रायगढ़	49189	191199	81255	255397	577040	1764	1155844	
27	जशपुर	3907	174495	6045	241290	425737	10002	861476	
	योग	424905	1117415	1021341	1428772	3992433	103700	8088566	

स्रोत : संचालनालय, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ शासन

रेखा चित्र 5.3 जिलेवार धान का सिंचित एवं वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन (मे. टन में) 2010–11




तालिका 5.4 जिलेवार गेहूँ का सिंचित एवं वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन

क्र.	जिलों का नाम	गेहूँ				
		क्षेत्र (हेक्टे.)	औसत उत्पादन (मेट्रिक टन में)	कुल उत्पादन (मेट्रिक टन में)		
		सिंचित	वर्षा आधारित	सिंचित	वर्षा आधारित	कुल योग
1	रायपुर	7684	962	11095	747	20488
2	बलौदाबाजार					
3	गरियांदंद					
4	महासमुन्द	1328	0	2149	0	3477
5	धमतरी	668	592	1164	544	2968
6	दुर्ग	18690	7631	20352	6373	53046
7	बेमेतरा					
8	बालोद					
9	राजनांदगांव					
10	कबीरधाम	4035	2224	5069	1826	13154
11	बस्तर	667	5	1412	8	2092
12	कोणडागांव					
13	नारायणपुर	8	9	17	16	50
14	कांकेर	610	222	1125	303	2260
15	दन्तेवाड़ा	5	0	7	0	12
16	सुकमा					
17	बीजापुर	0	0	0	0	0
18	बिलासपुर	8875	4804	13398	4480	31557
19	मुंगेली					
20	जांजगीर-चांपा	2435	273	3677	356	6741

क्र.	जिलों का नाम	गेहूँ				
			क्षेत्र (हेक्टे.)	औसत उत्पादन (मेट्रिक टन में)		कुल उत्पादन (मेट्रिक टन में)
		सिंचित	वर्षा आधारित	सिंचित	वर्षा आधारित	कुल योग
21	कोरबा	307	363	385	282	1337
22	सरगुजा	18542	1535	22544	1193	43814
23	बलरामपुर					
24	सूरजपुर					
25	कोरिया	3069	514	3019	327	6929
26	रायगढ़	2244	28	3775	16	6063
27	जशपुर	1035	148	1625	148	2956
	योग	76324	27377	98505	23240	225446

स्रोत : संचालनालय, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ शासन

रेखा चित्र 5.4 जिलेवार गेहूँ का सिंचित एवं वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन (मे.टन में) 2010–11




तालिका 5.5 छत्तीसगढ़ राज्य एवं भारतीय स्तर पर मुख्य फसलों की औसत उत्पादकता (कि. ग्राम प्रति हे.)

मुख्य फसल	अवधि 2007–08		अवधि 2008–09		अवधि 2009–10	
	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत
धान	1537	2202	1257	2178	1201	2125
गेहूँ	1100	2802	1027	2907	1089	2839
ज्वार	1018	1021	1302	962	1339	860
मक्का	1562	2335	1407	2414	1429	2024


स्रोत : 1. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत शासन

2. कृषि विभाग, छ.ग. शासन

रेखा चित्र 5.5 छत्तीसगढ़ राज्य एवं भारतीय स्तर पर मुख्य फसलों की औसत उत्पादकता (कि.ग्राम प्रति हे.)



रेखा चित्र 5.6 सिंचित एवं वर्षा सिंचित क्षेत्रों में धान एवं गेहूँ की उत्पादकता



5.2. पशुधन विकास

छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। 15 अक्टूबर 2007 पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 1.44 करोड़ पशुधन तथा 1.42 करोड़ कुकुट एवं बत्थ धनी हैं। देशी नस्ल के पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है।

5.2.1. गौवंशी पशु विकास

पशु संगणना 2007 के अनुसार गौवंशी एवं भैंसवंशी प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या 33.46 लाख है। राज्य में वर्ष 2008–2009 की अवधि में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु 5 गहन पशु विकास परियोजनायें एवं उन्नत दुधारू पशु परियोजनायें, 22 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 253 हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों सहित 927 संस्थायें कार्यरत् हैं। उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वर्ष 2008–2009 में 4.22 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 18.00 हजार पशुओं को प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आलोच्य अवधि में कृत्रिम गर्भाधान से 1.01 लाख वत्सोत्पादन एवं प्राकृतिक गर्भाधान से 7.00 हजार वत्सोत्पादन हुआ। वर्ष 2009–10 में माह सितम्बर 2009 तक 1.73 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 0.15 लाख पशुओं को प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करायी गई जिससे 0.46 लाख वत्सोत्पादन एवं 6.00 हजार प्राकृतिक वत्सोत्पादन हुआ है।

5.2.2. बकरी विकास

प्रदेश में वर्ष 2007 की पशु संगणना के अनुसार 27.60 लाख बकरे–बकरियों हैं, प्रदेश में कार्यरत प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत अधिक उत्पादन वाली नस्लों का प्रजनन किया जाता है तथा व्यक्ति मूलक योजनांतर्गत वर्ष 2008–09 में 324.00 लाख रु. व्यय कर 9943 उन्नत नस्ल के बकरे प्रदाय किये गए हैं। वर्ष 2009–2010 में 162.00 लाख आबंटन के विरुद्ध 6000 बकरे वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना सरोरा जिला रायपुर में की गई है।

5.2.3. सूकर विकास

वर्ष 2007 की पशु संगणना के अनुसार राज्य में 4.11 लाख सूकर हैं। सूकर नस्ल सुधार हेतु सूकर पालकों को वर्ष 2008–09 में विनिमय के आधार पर सूकरत्रयी वितरण हेतु 70.00 लाख रु. से 778 हितग्राहियों को, एवं विनिमय के आधार पर नर सूकर इकाई वितरण हेतु 17.60 लाख रु. व्यय कर 307 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2009–10 के लिए विनिमय के आधार पर सूकरत्रयी वितरण हेतु 80.00 लाख रु. प्राप्त आबंटन के विरुद्ध 1122 हितग्राहियों को तथा विनिमय के आधार पर नर सूकर वितरण हेतु 22.95 लाख रु. आबंटन से 498 हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में ग्राम सकालों (जिला सरगुजा) एवं परचनपाल (जिला बस्तर) में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र प्रचालित है। जिसमें लार्ज व्हाईट, यार्कशायर, रशियन चरमुखा नस्ल के सूकरों का प्रजनन किया जा रहा है। कुनकुरी जिला जशपुर में नवीन सूकर पालन प्रक्षेत्र की स्थापना प्रगति पर है।

5.2.4. शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडों का प्रदाय

प्रदेश में वर्ष 2006–07 से पशु नस्ल के उन्नयन हेतु ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्नत प्रगतिशील किसान/गौसेवकों को शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडों को प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में राशि रु. 259.95 लाख के व्यय से 500 उन्नत नस्ल के सांडों का प्रदाय किया गया

है। व्यक्तिमूलक गोसंवर्धन योजनांतर्गत वर्ष 2009–10 में 75.00 लाख रुपये के विरुद्ध 500 उन्नत नस्ल के सांडों का वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें माह सितम्बर 2009 तक 18 उन्नत नस्ल के सांडों का वितरण किया गया है।

5.2.5. कुक्कुट विकास

प्रदेश में वर्ष 2007 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 142.07 लाख कुक्कुट एवं बत्तख पक्षी हैं। प्रदेश में 7 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बत्तख पालन प्रक्षेत्र स्थापित हैं। इन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रंगीन चूजों का वितरण बैकयार्ड कुक्कुट ईकाई वितरण योजनांतर्गत, आहार एवं औषधि सहित घर पहुँचा कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के हितग्राहियों को प्रदाय किया जाता है। आलोच्य वर्ष 2008–09 में बैकयार्ड कुक्कुट ईकाई वितरण योजनांतर्गत 90.00 लाख रु. व्यय किया जाकर 6366 हितग्राहियों को लाभान्वित लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2009–10 में 180.00 लाख आबंटन के विरुद्ध 20000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सितम्बर 2009 तक 84 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

5.2.6. राज्य डेयरी प्रयोगशाला की स्थापना

योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ के पाँच जिलों में 1549.70 लाख की कार्ययोजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके प्रथम चरण में 379.20 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। उपरोक्त जिलों में उचित मूल्य पर दुग्ध संकलन, प्रोसेसिंग एवं विपणन का कार्य किया जावेगा। वर्ष 2009–10 में 205 समितियों में 5923 सदस्य सम्मिलित हुए हैं। समिति में 2008–09 में 2619 किलोग्राम दूध संकलन कर 2622 लीटर दूध वितरण किया गया एवं 2009–10 में 2793 लीटर दूध संकलन एवं 2757 लीटर दूध का वितरण किया गया है।

5.3. मत्स्य विकास

राज्य में उपलब्ध जल संसाधन मत्स्य पालन की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.592 लाख हैं। जलक्षेत्र उपलब्ध है। जिसमें से 1.462 लाख हैं। जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है जो कुल जलक्षेत्र का 91.83 प्रतिशत है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारन्मूखी साधन है। कम लागत, कम समय में सहायक धंधे के रूप में ग्रामीण अंचलों में अत्यंत लोकप्रिय है।

5.3.1. राज्य आयोजना

5.3.1.1. मत्स्य बीज उत्पादन

वर्ष 2007–08 में समस्त स्त्रोतों से 6497.10 लाख स्टेंडर्ड फाई (मत्स्य बीज) का उत्पादन हुआ था। इसी प्रकार वर्ष 2008–09 में 6750.00 लाख स्टेंडर्ड फाई (मत्स्य बीज) का उत्पादन हुआ जो गत वर्ष की तुलना में 3.89 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2009–10 में माह सितम्बर 2009 तक 6483.00 लाख स्टेंडर्ड फाई (मत्स्य बीज) का उत्पादन किया गया है।

5.3.1.2. मत्स्योपादन

वर्ष 2007–08 में राज्य में समस्त स्त्रोतों से 139373 मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया था, जबकि वर्ष 2008–2009 में 158698 मेट्रिक टन किया गया। जो कि गत वर्ष की तुलना में 13.86 प्रतिशत

अधिक है। आलोच्य वर्ष 2009–10 में माह सितम्बर 2009 तक 95842 मेट्रिक टन का मत्स्योत्पादन किया गया है।

5.3.1.3. मछुआरों का प्रशिक्षण

सभी वर्ग के प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को मत्स्यपालन के साथ मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु तकनीकी पद्धति एवं मछली पकड़ने एवं जाल बुनने, सुधारने, नाव चलाने का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमें प्रशिक्षण के दौरान आने जाने का किराया तथा 100 रु. प्रति दिवस प्रशिक्षण वृत्ति, अधिकतम 1250 रु. व्यय किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2008–09 में 4631 हितग्राहियों को अध्ययन भ्रमण भेजा गया। सभी वर्गों के प्रगतिशील मछुआरों को वर्ष 2008–09 में 140 हितग्राहियों को अध्ययन भ्रमण पर भेजा गया। प्रति हितग्राही व्यय मानदेय के रूप में 2500 रु. दिया गया है।

5.3.1.4. मछुआ सहकारिता

राज्य में वर्ष 2009–10 माह सितम्बर 09 तक समितियों की संख्या 919 है। जिनकी सदस्य संख्या 28863 है। इन समितियों को 05 वर्ष की अवधि के लिए सिंचाई जलाशय पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है।

5.3.1.5. मत्स्य पालन प्रसार

योजनांतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मछुआरों को झींगा पालन एवं आलंकारिक मत्स्यउद्योग के लिए अनुदान योजना का कियान्वयन किया गया है। जिसमें झींगा बीज एवं खाद्य पदार्थ हेतु तीन वर्षों में अधिकतम 15000 रु. का प्रावधान है। वर्ष 2008–09 में 368 इकाईयों स्थापित की गई है जिसमें 6.03 लाख झींगा बीज सचयन कर 12605 कि.ग्रा. उत्पादन प्राप्त किया गया है जिससे 89 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।


5.3.1.6. अल्पवधि बचत सह राहत योजना

बंद ऋतु में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुआरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना कियान्वयन की जा रही है। योजनांतर्गत मछुआरों द्वारा 9 माह में 50 रुपये मासिक अंशदान से 1200 रु. तथा शासन द्वारा 600 रु. दिया जायेगा। इस प्रकार कुल 1800 रु. हितग्राही के नाम से जमा किए जायेंगे। जिसमें बंद ऋतु के 3 माह में 600 रुपये मासिक आर्थिक सहायता के रूप में हितग्राहियों को दिये जाते हैं। वर्ष 2008–09 में 1470 मछुआरों को उक्त योजना के तहत शासन द्वारा 10.82 लाख रु. की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।


6. अध्याय – प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

6.1. राज्यों में जलग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण


(क) राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छ.ग. शासन (नोडल विभाग)




(ख) जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डेटा केन्द्र (WCDC)



(ग) परियोजना कार्यान्वयन दल (PIA)



(घ) जल संग्रहण समिति (WC)



6.2. ग्राम स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं तथा लोगों की भागीदारी

6.3. स्व—सहायता समूह

वाटरशेड समिति (डब्लू.सी), वाटरशेड विकास दल की सहायता से गरीब, छोटे तथा सीमान्त किसानों के परिवारों, भूमिहीन/सम्पत्तिहीन गरीब, खेतिहर मजदूरों, महिलाओं, चरवाहों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों में से वाटरशेड क्षेत्र में स्व—सहायता समूह का गठन करती है। ये समूह समान पहचान तथा हित वाले समरूप समूह होते हैं, जो अपनी जीविका के लिए वाटरशेड क्षेत्र पर निर्भर हैं। प्रत्येक स्व—सहायता समूह को वाटरशेड समिति (डब्लू.सी) द्वारा निर्धारित राशि की परिक्रामी निधि उपलब्ध करायी जा रही है।

6.4. प्रयोक्ता समूह

वाटरशेड समिति (डब्लू.सी), वाटरशेड विकास दल की सहायता से वाटरशेड क्षेत्र में प्रयोक्ता समूह भी कठित करती है। ये प्रत्येक कार्य/कार्यकलाप से अत्यधिक प्रभावित व्यक्तियों के समनुरूप समूह हैं और इनमें वाटरशेड क्षेत्र में भूमि—जोत रखने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। प्रत्येक प्रयोक्ता समूह में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें वाटरशेड संबंधी किसी विशिष्ट कार्य या कार्यकलाप से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होने की संभावना है। वाटरशेड समिति वाटरशेड विकास दल की सहायता से समानता और सततता के सिद्धांतों के आधार पर प्रयोक्ता समूहों के बीच संसाधन के उपयोग हेतु करारों को निर्धारित करती है। इन करारों को संबंधित कार्य शुरू किये जाने से पूर्व अवश्य ही तैयार कर लेना चाहिए। इसे उस कार्यकलाप के लिए पूर्व—शर्त के रूप में माना जाना चाहिए। प्रयोक्ता समूह, ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा के घनिष्ठ सहयोग से परियोजना के अंतर्गत सृजित सभी परिसम्पत्तियों के प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे।

6.5. वाटरशेड समिति (डब्ल्यू.सी.)

ग्राम सभाओं द्वारा वाटरशेड विकास दल की तकनीकी सहायता से वाटरशेड परियोजना कार्यान्वित करने के लिए गांव में वाटरशेड समिति (डब्ल्यू.सी.) का गठन करती है। वाटरशेड समिति को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा गांव के किसी सुयोग्य व्यक्ति को वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित/नियुक्त करती है। वाटरशेड समिति का सचिव वाटरशेड समिति का वैतनिक कार्यकर्ता होता है। वाटरशेड सिमति में कम से कम 10 सदस्य होते हैं, जिनमें से आधे सदस्य गांव में स्व—सहायता समूहों तथा प्रयोक्ता समूहों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय, महिलाओं तथा भूमिहीन व्यक्तियों के प्रतिनिधि होते हैं। वाटरशेड विकास दल का एक सदस्य वाटरशेड समिति में भी प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया जाता है।

जहां पंचायत में एक से अधिक गांव हैं, वहां संबंधित गांव में वाटरशेड विकास परियोजना का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक गांव हेतु एक पृथक उपसमिति का गठन किया जा सकता है। जहां किसी वाटरशेड परियोजना में एक से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, तो वहां प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पृथक समितियों का गठन किया जाएगा। वाटरशेड समिति (डब्ल्यू.सी.) को किराए पर एक स्वतंत्र कार्यालय भवन उपलब्ध करवाया जाएगा।

6.6. परियोजना प्रबंधन

वाटरशेड विकास परियोजनाओं के मुख्य कार्यकलापों को (1) प्रारंभिक चरण (2) कार्य चरण और (3) समेकन तथा निर्वर्तन चरण के रूप में क्रमबद्ध किया जाएगा। वाटरशेड विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बढ़ाए गए कार्यक्षेत्र तथा प्रत्याशाओं को मददेनजर रखते हुए परियोजना की अवधि, कार्यकलापों और मंत्रालयों/विभागों पर निर्भर करते हुए चार से सात वर्षों के बीच निर्धारित की गई है। परियोजना अवधि को नीचे दिए गए अनुसार तीन अलग—अलग चरणों में बांटा जा सकता है।

चरण	नाम	अवधि
(1)	प्रारंभिक चरण	1–2 वर्ष
(2)	वाटरशेड कार्य चरण	2–3 वर्ष
(3)	समेकन और निर्वर्तन चरण	1–2 वर्ष

तालिका 6.1 विशिष्ट वाटरशेड परियोजनाओं के लिए उनमें शामिल विभिन्न संघटकों के संबंध में बजट का वितरण

बजट संघटक	बजट की प्रतिशत
प्रशासनिक लागत	
– मॉनीटरिंग	10
– मूल्यांकन	1
प्रारंभिक चरण निम्नलिखित सहित	
– प्रारंभिक कार्यकलाप	4
– संस्थापन तथा क्षमता निर्माण	5
– विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.)	1
वाटरशेड कार्य चरण	
– वाटरशेड विकास कार्य	56
– गरीबी रेखा से नीचे के (बी.पी.एल.) तथा भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका संबंधी कार्यकलाप	9
– उत्पादन प्रणाली तथा अति लघु (माइक्रो) उद्यम	10

6.7. प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र कार्यक्रमों की प्रगति

6.7.1. सूखा उन्मूख क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995–96 से सूखा उन्मूख क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत जिलेवार प्राप्त आवंटन से जलग्रहण विकास के कार्य लिये जाने के निर्देश दिये गये थे। पूर्व में इस योजनांतर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आधा—आधा वित्त पोषण किया जाता था। 1 अप्रैल 1999 से केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन द्वारा क्रमशः 75 एवं 25 प्रतिशत का योगदान दिया जा रहा है। नवगठित छत्तीगढ़ राज्य के 8 जिलों के 29 विकास खण्ड सूखाग्रस्त माने गये हैं और इन्हीं 8 जिलों के 29 विकासखण्डों में सूखा उन्मूख क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जलग्रहण क्षेत्र विकास की परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में सूखा उन्मूख क्षेत्र कार्यक्रम अंतर्गत 6वीं से 12वीं बैच में 8 जिलों के 29 विकासखण्डों कुल 932 परियोजनाएं इस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित हैं।

6.7.2. एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)

छत्तीसगढ़ राज्य के 8 जिलों के 29 सूखाग्रस्त माने गये विकासखण्डों को छोड़कर अन्य जिलों सहित इन जिलों के शेष विकासखण्डों में इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। पूर्व में इस योजना के अंतर्गत शत् प्रतिशत वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता था किन्तु 1 अप्रैल 1999 से भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा कमशः 11:1 के अनुपात में वित्त पोषण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 70 परियोजनाएं संचालित हैं।

6.7.3. एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)

- (I) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय वर्षा जनित क्षेत्र विकास प्राधिकरण (NRAA) द्वारा प्रदेश में क्रियान्वित जलग्रहण परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 के लिए नवीन जलग्रहण कार्यक्रम की मार्गदर्शिका जारी की गई है। जिसके अनुसार अब प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली समस्त योजनाएं नवीन जलग्रहण मार्गदर्शिका 2008 द्वारा क्रियान्वित की जावेगी।
- (II) भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य मार्गदर्शिका सिद्धांत के परिपालन में राज्य सरकार द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA) का गठन किया गया है, जिसके द्वारा जलग्रहण परियोजनाओं का क्रियान्वयन, समन्वयन एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जावेगा।
- (III) विभाग के अंतर्गत जलग्रहण परियोजनाओं की IWDP & DPAP परियोजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2009–10 में माह मार्च 2010 तक कुल केंद्रांश एवं राज्यांश राशि रूपये 42.27 करोड़ प्राप्त हुई है। उक्त चल रही पूर्व की प्री हरियाली एवं हरियाली परियोजनाओं को दिसम्बर 2012 पूर्ण करने का लक्ष्य है।
- (IV) समान मार्गदर्शी सिद्धांत वर्ष 2008 के आधार पर वर्ष 2009–10 में समेकित जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) प्रारंभ की गई। राज्य में IWMP अंतर्गत वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में कुल 181 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त की गई। इन परियोजनाओं की लागत रु. 953.44 करोड़ एवं उपचार क्षेत्रफल 7,94,537 हेक्टेयर है।
- (V) राज्य में वर्ष 2009–10 में स्वीकृत कुल 41 परियोजनाओं में अब तक प्रथम किश्त 20% की राशि रु. 50.71 करोड़ प्राप्त हुई। इन परियोजनाओं में आस्थामूलक कार्य, डी.पी.आर. निर्माण कार्य पूर्ण कर जलग्रहण उपचार संबंधी कार्यों में अप्रैल 2012 तक कुल रु. 25.78 करोड़ व्यय किया गया है। व्यय का प्रतिशत 50% है। उक्त परियोजनाओं में माह जुलाई 2012 तक व्यय का प्रतिशत 60% तक किया जाकर आगामी द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- (VI) वर्ष 2010–11 में स्वीकृत कुल 74 परियोजनाओं में से 71 परियोजनाओं में अब तक प्रथम किश्त 20% की राशि रु. 47.77 करोड़ प्राप्त हुई। जिसमें से 14% राशि माह फरवरी–मार्च, 2012 में भारत सरकार से प्राप्त किया जाकर जिलों को हस्तांतरित की गई है। इन परियोजनाओं में आस्थामूलक कार्य, डी.पी.आर. निर्माण कार्य एवं जलग्रहण उपचार संबंधी कार्यों में अप्रैल 2012 तक कुल रु. 9.77 करोड़ व्यय किया गया है। शेष 3 परियोजनाओं में प्रथम 6% राशि रु. 0.98 करोड़ भारत सरकार से माह जनवरी, 2012 में प्राप्त किया जाकर जिलों को हस्तांतरित किया गया। व्यय का प्रतिशत 20% है।
- (VII) वर्ष 2011–12 में स्वीकृत कुल 66 परियोजनाओं अब तक प्रथम किश्त की 6% राशि रु. 20.52 करोड़ माह फरवरी, 2012 में भारत सरकार से प्राप्त किया जाकर जिलों को हस्तांतरित की गई।


है। इन परियोजनाओं में आस्थामूलक कार्य, डी.पी.आर. निर्माण कार्य में अप्रैल 2012 तक कुल रु. 0.82 करोड़ व्यय किया गया है। (जिलेवार वर्षवार प्रगति विवरण संलग्न है)

(VIII) वर्ष 2012–13 के लिए भारत सरकार द्वारा 1.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के उपचार हेतु लक्ष्य रखा गया है किंतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 के बजट में 3.00 लाख हेक्टेयर उपचार क्षेत्र के अनुमान से 3.60 करोड़ लागत की राज्यांश राषि का बजट अनुमोदित किया गया है।


तालिका 6.2 प्रदेश में संचालित जलग्रहण परियोजनाओं का विवरण 2011–12 की स्थिति में

क्र.	जिला	कुल माइक्रो जलग्रहण क्षेत्र		उपचारित /उपचारित किये जा रहे कुल माइक्रो जलग्रहण क्षेत्र		उपचार हेतु शेष माइक्रो जलग्रहण क्षेत्र	
			क्षेत्रफल (हे.)	संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	संख्या	क्षेत्रफल (हे.)
1	सरगुजा	638	402256.2	37	26128.4	601	376127.84
2	बलरामपुर	720	626226.4	119	42307	601	583919.36
3	सूरजपुर	420	544561.4	40	17849.7	380	526711.67
4	कोरिया	747	660687.4	155	58963.5	592	601723.94
5	जशपुर	984	584842.5	254	107123	730	477719.3
6	कोरबा	784	659146.3	485	129675	299	529471.3
7	रायगढ़	1404	704029.4	335	113040	1069	590989.4
8	बिलासपुर	635	553543.7	254	89317	381	464226.7
9	मुंगेली	280	277920.5	17	8853	263	269067.5
10	जांजगीर–चांपा	784	385870.9	306	114182	478	271689.3
11	कबीरधाम	600	418714.5	446	125691	154	293023.3
12	राजनांदगांव	1266	807618.4	318	145227	948	662391.3
13	रायपुर	406	290124.7	65	36136	341	253988.7
14	बालौदाबाजार	470	465926.2	91	41194	379	424732.2
15	गरियाबंद	514	483640.6	54	23042	460	460598.6
16	दुर्ग	328	229549.8	92	36927.6	236	192622.16
17	बेमेतरा	608	285981.9	121	38092	487	247889.88
18	बालोद	441	335302.6	157	54151.3	284	281151.32
19	धमतरी	320	407989.7	140	43057	180	364932.7
20	महासमुन्द	969	474572.8	331	125496	638	349076.7
21	कांकेर	706	720240.2	222	57866.5	484	662373.7
22	बस्तर	606	538371.4	311	107721	295	430650.3
23	कोण्डागांव	871	508637	78	31089.6	793	477547.39
24	नारायणपुर	266	371490	12	5026.82	254	366463.18
25	बीजापुर	1162	937775	137	2559.25	1025	935215.75
26	दंतेवाड़ा	324	289541.1	60	33293.7	264	256247.38
27	सुकमा	370	544928.2	109	46206	261	498722.2
	कुल योग	17623	13509488.8	4746	1660216	12877	11849272.8

रेखा चित्र 6.1 प्रदेश में संचालित जलग्रहण परियोजनाओं का विवरण (सं.) वर्ष 2011–12



रेखा चित्र 6.2 प्रदेश में संचालित जलग्रहण परियोजनाओं का विवरण (क्षे.) वर्ष 2011–12



तालिका 6.3 डी.पी.ए.पी. परियोजनाओं की प्रगति

क्र.	जिलों का नाम	परियोजनाओं की अवधि	कुल माइक्रो जलग्रहण क्षेत्रों की संख्या	कुल क्षेत्रफल हे. में.
1	राजनांदगांव	2000-01 से 2006-07	187	75783.6
2	दुर्ग		120	35472.6
3	बस्तर		290	75356
4	कोरबा		399	98825
5	दंतेवाड़ा		38	19000
6	जांजगीर-चांपा		47	18120.5
7	बिलासपुर		137	40500
8	कवर्धा		233	63965.2
योग			1677	465023

तालिका 6.4 आई.डब्ल्यू.डी.पी. परियोजनाओं की प्रगति

क्र.	जिलों का नाम	परियोजनाओं की अवधि	कुल माइक्रो जलग्रहण क्षेत्रों की संख्या	कुल क्षेत्रफल हे0
1	बस्तर	2000-01 से 2006-07	4	5000
2	बिलासपुर		39	20000
3	धमतरी		62	20993
4	दुर्ग		158	54959.38
5	जांजगीर-चांपा		105	36426
6	जशपुर		42	15600
7	कांकेर		21	14900
8	कबीरधाम		90	20751
9	कोरिया		36	19132
10	महासमुन्द		161	63738.62
11	रायगढ़		50	22549
12	रायपुर		127	49846
13	राजनांदगांव		83	33942.41
14	सरगुजा		36	22819
योग			1014	400656.4

तालिका 6.5 आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनाओं का विवरण (2011–12 की स्थिति में)

क्र.	जिला	परियोजनाओं की संख्या	उपचारित किये जा रहे माइंको जलग्रहण क्षेत्रों की संख्या संख्या	उपचार योग्य क्षेत्रफल (हे.)	लागत (लाख ' में)
1	सरगुजा	5	30	21545.36	2585.44
2	बलरामपुर	8	106	32307.04	3876.84
3	सूरजपुर	2	24	9613.73	1153.65
4	कोरिया	10	119	39831.46	4779.78
5	जशपुर	18	212	91523.23	10982.79
6	कोरबा	8	86	30850.00	3702.00
7	रायगढ़	17	285	90491.00	10858.92
8	बिलासपुर	6	78	28817.00	3458.04
9	मुंगेली	2	17	8853.00	1062.36
10	जांजगीर—चांपा	15	154	59635.11	7156.21
11	कर्बीरधाम	7	123	40975.00	4917.00
12	राजनांदगांव	8	48	35501.95	4260.23
13	रायपुर	4	30	18213.00	2185.56
14	बलौदाबाजार	4	29	18241.00	2188.92
15	गरियाबंद	3	24	14072.42	1688.69
16	टुर्ग	2	28	8652.00	1038.24
17	बेमेतरा	2	16	10132.00	1215.84
18	बालौद	4	48	19955.00	2394.60
19	धमतरी	5	78	22064.00	2647.68
20	महासमुन्द	16	170	61757.43	7410.89
21	कांकेर	13	201	42966.50	5155.98
22	बस्तर	9	61	42375.09	5085.01
23	कोणडागांव	4	34	16078.61	1929.43
24	नारायणपुर	1	12	5026.82	603.22
25	बीजापुर	1	5	2559.25	307.11
26	दंतेवाड़ा	4	22	14293.72	1715.25
27	सुकमा	3	15	8206.50	984.78
कुल योग		181	2055	794537.22	95344.46

7. अध्याय – कार्यान्वयन हेतु निति निर्धारण

7.1. एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु निति निर्धारण

राज्य के लिए वाटरषेड परियोजनाओं का बहुत ही महत्व है, खास कर राज्य के उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में जहां कृषि योग्य भूमि का अधिकांश हिस्सा वर्षा आधारित है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में बढ़ती गरीबी, पेयजल की कमी, भू-जल स्तर में तेजी से गिरावट, कृषि भूमि की कम उत्पादकता, वर्षा जल के उपयोग की कम क्षमता, चारे की अत्यधिक कमी, निम्न नस्ल के पशुधन की बहुतायत, जल उपयोग की क्षमता में कम निवेश, सुनिष्चित और लाभकारी व्यवसायिक अवसरों की कमी इत्यादि गंभीर समस्याओं से ग्रस्त राज्य के गरीब ग्रामीणों के लिए वाटरषेड की योजनाएं एक आषा की किरण की तरह हैं। जिनके माध्यम से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में सतत आधार पर आय, उत्पादकता को बढ़ाने तथा कृषि प्रणालियों को छोटी-छोटी जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचनाओं से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं गरीबों के लिए आय के अन्य साधन जुटाने का प्रयास प्रदेष में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मुख्य उद्देश्य है।

जलग्रहण क्षेत्रों का प्राथमिकता निर्धारण भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा निष्चित किये गए सूचकांकों के आधार पर किया गया है। नीचे दी गई तालिका में 12 बिन्दुओं के सूचकांकों, प्रत्येक के लिए निर्धारित अधिकतम प्राप्तांक एवं उनका क्षेत्रों में वास्तविक स्तर तथा प्राप्तांक का उल्लेख किया गया है। इसी तालिका को आधार मानते हुए मिली जलग्रहण क्षेत्रों की प्राथमिकता का निर्धारण किया गया है। प्रदेष की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप जलग्रहण क्षेत्र चयन हेतु विकासखण्डों को प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर तीन श्रेणियों में – उच्च, मध्यम और कम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रदेष में उच्च प्राथमिकता के 31, मध्यम प्राथमिकता के 102, एवं कम प्राथमिकता के 13 विकासखण्ड हैं। पुनः विकास खण्डों के प्रत्येक मिली जलग्रहण क्षेत्रों को भी उच्च, मध्यम और कम प्राथमिकता वाले श्रेणियों में विभक्त कर उनके चयन हेतु प्राथमिकता क्रम का निर्धारण किया गया है। मिली जलग्रहण क्षेत्रों की प्राथमिकता का निर्धारण, विकासखण्डों के प्राथमिकता निर्धारण में प्रयुक्त सभी सूचकांकों का, मिली जलग्रहण क्षेत्र स्तर पर हस्तांतरण करते हुए, भारित क्षेत्र के औसत (Area weighted mean) की गणना भौगोलिक विष्लेषण (Spatial Analyst) के माध्यम से किया गया है। इसके अतरिक्त मिली जलग्रहण क्षेत्रों की प्राथमिकता के निर्धारण में माइक्रोजलग्रहण क्षेत्रों की संकुल में कुल संख्या (Cluster Approach) को भी सम्मिलित किया गया है। प्राप्तांकों के आधार पर प्रदेष के सभी मिली जलग्रहण क्षेत्रों को तीन श्रेणियों, उच्च प्राथमिकता (A) मध्यम प्राथमिकता (B) एवं निम्न प्राथमिकता (C) वाले श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रदेष में उच्च प्राथमिकता (A) वाले मिलीजलग्रहण क्षेत्रों की संख्या 908 मध्यम प्राथमिकता (B) वाले मिलीजलग्रहण क्षेत्रों की संख्या 1434 एवं निम्न प्राथमिकता (C) वाले मिलीजलग्रहण वाले क्षेत्रों की संख्या 7 है।

वामपंथ प्रभावित जिलों में मिली जलग्रहण क्षेत्रों के चयन के लिए उनकी निर्धारित प्राथमिकता के अतिरिक्त क्षेत्र विषेष को ध्यान में रखते हुए WCDC के अनुमोदन से परियोजनाओं का चयन किया जा सकेगा। जिलेवार विकासखण्डों के श्रेणियों का निर्धारण नीचे दी गई तालिकाओं में किया गया है।

तालिका 7.1 जलग्रहण क्षेत्र चयन का मापदण्ड एवं भारिता का निर्धारण

क्र.	आधार	अधिकतम अंक	स्तर एवं प्राप्तांक			
I	गरीबी का सूचकांक (गरीब जनसंख्या का प्रतिशत)	10	80% से अधिक पर (10)	80% से 50 % पर (7.5)	50% से 20 % पर (5)	20% से नीचे (2.5)
II	अनु.जाति एवं अनु.जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत	10	40 प्रतिशत से अधिक पर (10)	20 से 40 प्रतिशत पर (5)	20 प्रतिशत से कम (3)	
III	वास्तविक मजदूरी	5	वास्तविक मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी के अनुपात में अत्यंत कम हो (5)	वास्तविक मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी के समान अथवा अधिक हो (0)		
IV	लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत	10	80 प्रतिशत से अधिक (10)	80 से 50 प्रतिशत पर (5)	50 प्रतिशत से कम (3)	
V	भूजल की स्थिति	5	अत्यधिक दोहन (5)	कठिन(3)	कठिन परिस्थिति से कुछ कम (2)	पूर्ण रूपेण ठीक (0)
VI	नमी सूचकांक /डी.पी.ए.पी. /डी.डी.पी. ब्लॉक	15	— 66.7 या कम (15) डी.डी.पी. ब्लॉक (क्षेत्रों में)	—33.6 से —66.6 (10) डी.पी.ए.पी. ब्लॉक	0 से —33.2 तक (0) गैर डी.पी.ए.पी. /डी.डी.पी. क्षेत्र	
VII	वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र	15	90 प्रतिशत से अधिक (15)	80 से 90 प्रतिशत तक (10)	70 से 80 प्रतिशत (5)	70 प्रतिशत से कम (निरस्त)
VIII	पेयजल	10	कोई स्त्रोत नहीं (10)	समस्या ग्रस्त गाँव (7.5)	आंशिक उपलब्ध (5)	पूर्णतः उपलब्ध है (0)
IX	विकृत भूमि	15	उच्च — 20 प्रतिशत से अधिक (15)	मध्यम —10 से 20 प्रतिशत (10)	कम —कुल क्षेत्र के 10 प्रतिशत से कम (5)	
X	भूमि की उत्पादन क्षमता	15	उत्पादन क्षमता कम किन्तु थोड़े प्रयास से बढ़ाया जा सकता है। (15)	ऐसी भूमि जिसकी उत्पादन क्षमता मध्यम है जिसे थोड़े प्रयास से बढ़ाया जा	ऐसी भूमि जिसकी उच्च उत्पादन क्षमता है जिसे कम प्रयास से	

क्र.	आधार	अधिकतम अंक	स्तर एवं प्राप्तांक		
			सकता है। (10)	और अधिक बढ़ाया जा सकता है। (5)	
XI	वह जलग्रहण क्षेत्र जो प्रथम उपचारित जलग्रहण क्षेत्र से लगा है।	10	पूर्व उपचारित जलग्रहण क्षेत्र और माइक्रो वाटरशेड से जुड़ा हुआ परियोजना क्षेत्र (10)	पूर्व उपचारित जलग्रहण क्षेत्र के माइक्रोवाटर शेड से जुड़ा हुआ है किन्तु उपचारित नहीं है। (5)	पूर्व से उपचारित नहीं हैं और न ही पूर्व से किसी मा.वा. शेड से जुड़ा हुआ है। (0)
XII	मैदानी क्षेत्रों में संकुल पद्धति द्वारा (परियोजना क्षेत्र में एक से अधिक सत्रिकट मा. जलग्रहण क्षेत्रों के लिए)	15	संकुल में 6 से अधिक माइक्रो वाटरशेड हैं। (15)	संकुल में 4 से 6 माइक्रो वाटरशेड हैं। (10)	संकुल में 2 से 4 माइक्रो वाटरशेड हैं। (5)
	पहाड़ी क्षेत्रों में संकुल पद्धति द्वारा (परियोजना क्षेत्र में एक से अधिक सत्रिकट मा. जलग्रहण क्षेत्रों के लिए)		संकुल में 5 से अधिक माइक्रो वाटरशेड हैं। (15)	संकुल में 3 से 5 माइक्रो वाटरशेड हैं। (10)	संकुल में 2 से 3 माइक्रो वाटरशेड हैं। (5)
	योग	135			

तालिका 7.2 जलग्रहण क्षेत्र चयन का मापदण्ड, भारिता का निर्धारण एवं श्रेणियों का वर्गीकरण

मापदण्ड (Criteria)	(भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार)				
	योग (Total)	वर्ग-1 (class-1)	वर्ग-2 (class-2)	वर्ग-3 (class-3)	वर्ग-4 (class-4)
I	10	10	7.5	5	2.5
II	10	10	5	3	0
III	5	5	0	0	0
IV	10	10	5	3	0
V	5	5	3	2	0
VI	15	15	10	0	0
VII	15	15	10	5	0
VIII	10	10	7.5	5	0
IX	15	15	10	5	0
X	15	15	10	5	0
XI	10	10	5	0	0
XII	15	15	10	5	0
योग	135	135	83	38	2.5

तालिका 7.3 जलग्रहण क्षेत्र चयन हेतु श्रेणियों का वर्गीकरण

प्राथमिकता (Priority)	सीमा (Range)	श्रेणी (category)
उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र	≥ 83 to 135	A
मध्यम प्राथमिकता वाले क्षेत्र	≥ 38 and < 83	B
निम्न प्राथमिकता वाले क्षेत्र	< 38	C

तालिका 7.4 जलग्रहण क्षेत्र चयन का मापदण्ड, भारिता का निर्धारण एवं श्रेणियों का वर्गीकरण


(विकासखण्डों के लिए)

मापदण्ड	योग	वर्ग-1	वर्ग-2	वर्ग-3	वर्ग-4
I	10	10	7.5	5	2.5
II	10	10	5	3	0
III	5	5	0	0	0
IV	10	10	5	3	0
V	5	5	3	2	0
VI	15	15	10	0	0
VII	15	15	10	5	0
VIII	10	10	7.5	5	0
IX	15	15	10	5	0
X	15	15	10	5	0
योग	110	110	68	33	2.5

तालिका 7.5 जलग्रहण क्षेत्र चयन हेतु श्रेणियों का वर्गीकरण (विकासखण्डों के लिए)

श्रेणी (category)	सीमा (category)	दर्जा (category)
उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र	≥ 68 to 110	A
मध्यम प्राथमिकता वाले क्षेत्र	≥ 33 and < 68	B
कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र	≥ 2.5 and < 33	C

मानचित्र 7.1 विकासखण्डों की प्राथमिकताएं



तालिका 7.6 जलग्रहण क्षेत्र चयन का मापदण्ड, एवं श्रेणियों का वर्गीकरण


(मिलीजलग्रहण क्षेत्रों के चयन के लिए)

मापदण्ड (Criteria)	योग (Total)	वर्ग-1 (class-1)	वर्ग-2 (class-2)	वर्ग-3 (class-3)	वर्ग-4 (class-4)
I	10	10	7.5	5	2.5
II	10	10	5	3	0
III	5	5	0	0	0
IV	10	10	5	3	0
V	5	5	3	2	0
VI	15	15	10	0	0
VII	15	15	10	5	0
VIII	10	10	7.5	5	0
IX	15	15	10	5	0
X	15	15	10	5	0
XII	15	15	10	5	
योग	125	125	78	38	2.5

तालिका 7.7 मिलीजलग्रहण क्षेत्र चयन हेतु श्रेणियों का वर्गीकरण

प्राथमिकता (Priority)	सीमा (Range)	श्रेणी (category)
उच्चत प्राथमिकता वाले क्षेत्र	≥ 78 to 125	A
मध्यम प्राथमिकता वाले क्षेत्र	≥ 38 and < 78	B
निम्न प्राथमिकता वाले क्षेत्र	≥ 2.5 and < 38	C

मानचित्र 7.2 मिलीजलग्रहण क्षेत्रों की प्राथमिकताएं



तालिका 7.8 जलग्रहण क्षेत्र चयन का मापदण्ड, भारिता का निर्धारण एवं श्रेणियों का विकासखण्डवार वर्गीकरण

क्र	विकासखण्ड का नाम	जिला	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	गीदम	दंतेवाडा	7.5	10	5	3	0	10	15	0	15	15	0	80.5	उच्च प्राथमिकता वाले वि.ख.
2	पेण्डा	बिलासपुर	5.0	10	5	10	0	10	15	0	10	15	0	80.0	
3	भैरमगढ़	बीजापुर	5.0	10	5	3	0	10	15	0	15	15	0	78.0	
4	बीजापुर	बीजापुर	5.0	10	5	3	0	10	15	0	15	15	0	78.0	
5	मोहला	राजनांदगांव	5.0	10	5	3	0	10	15	0	15	15	0	78.0	
6	मानपुर	राजनांदगांव	5.0	10	5	3	0	10	15	0	15	15	0	78.0	
7	कोन्टा	सुकमा	5.0	10	5	3	0	10	15	0	15	15	0	78.0	
8	बस्तर	बस्तर	7.5	10	5	3	0	10	15	0	15	10	0	75.5	
9	लोहांडीगुड़ा	बस्तर	7.5	10	5	3	0	10	15	0	15	10	0	75.5	
10	उसूर	बीजापुर	7.5	10	5	3	0	10	15	0	10	15	0	75.5	
11	पोण्डीउपरोड़ा	कोरबा	7.5	10	5	3	0	10	15	0	15	10	0	75.5	
12	जगदलपुर	बस्तर	5.0	10	5	3	0	10	15	0	15	10	0	73.0	
13	दंतेवाडा	दंतेवाडा	10.0	10	5	3	0	0	15	0	15	15	0	73.0	
14	कोण्डागांव	कोण्डागांव	5.0	10	5	3	0	10	15	0	15	10	0	73.0	
15	पाली	कोरबा	5.0	10	5	3	0	10	15	0	15	10	0	73.0	
16	सुकमा	सुकमा	10.0	10	5	3	0	10	15	0	5	15	0	73.0	
17	तोकापाल	बस्तर	7.5	10	5	3	0	10	15	0	10	10	0	70.5	
18	मरवाही	बिलासपुर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	15	0	70.5	
19	पेण्डारोड	बिलासपुर	7.5	10	5	3	0	10	15	0	5	15	0	70.5	
20	कुआकोण्डा	दंतेवाडा	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	15	0	70.5	
21	बोड़ला	कबीरधाम	7.5	10	5	3	0	10	10	0	15	10	0	70.5	
22	कोरबा	कोरबा	2.5	10	5	3	0	10	15	0	15	10	0	70.5	
23	करतला	कोरबा	7.5	10	5	3	0	10	10	0	15	10	0	70.5	

INTEGRATED WATERSHED MANAGEMENT PROGRAMME, CHHATTISGARH

क्र	विकासखण्ड का नाम	जिला	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	त्रेणी
24	छिंदगढ़	सुकमा	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	15	0	70.5	उच्च प्राथमिकता वाले वि.ख.
25	पंडरिया	कबीरधाम	5.0	10	5	3	2	10	10	0	15	10	0	70.0	
26	वाङ्फनगर	बलरामपुर	10.0	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	68.0	
27	बकावण्ड	बस्तर	5.0	10	5	3	0	10	15	0	10	10	0	68.0	
28	मनेन्द्रगढ़	कोरिया	5.0	10	5	3	0	0	15	0	15	15	0	68.0	
29	खड़गवाँ	कोरिया	5.0	10	5	3	0	0	15	0	15	15	0	68.0	
30	अंबागढ़चौकी	राजनांदगांव	5.0	10	5	3	0	10	10	0	10	15	0	68.0	
31	ओडगी	सूरजपुर	10.0	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	68.0	
32	बलरामपुर	बलरामपुर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	65.5	मध्यम प्राथमिकता वाले वि.ख.
33	कुसमी	बलरामपुर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	65.5	
34	राजपुर	बलरामपुर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	65.5	
35	दरभा	बस्तर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	65.5	
36	भोपालपट्टनम	बीजापुर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	15	0	65.5	
37	केशकाल	कोणडागांव	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	65.5	
38	माकड़ी	कोणडागांव	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	65.5	
39	भरतपुर	कोरिया	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	15	0	65.5	
40	सोनहत	कोरिया	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	15	0	65.5	
41	छुरिया	राजनांदगांव	7.5	10	5	3	0	10	15	0	5	10	0	65.5	
42	प्रतापपुर	सूरजपुर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	65.5	
43	उदयपुर	सरगुजा	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	65.5	
44	डौण्डी	बालोद	5.0	10	5	3	0	10	15	0	10	5	0	63.0	
45	शंकरगढ़	बलरामपुर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	63.0	
46	कोटा	बिलासपुर	5.0	10	5	3	0	0	10	0	15	15	0	63.0	
47	मैनपुर	गरियाबंद	5.0	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	63.0	
48	बगीचा	जषपुर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	63.0	

INTEGRATED WATERSHED MANAGEMENT PROGRAMME, CHHATTISGARH

क्र	विकासखण्ड का नाम	जिला	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	प्रेणी
49	फरसाबहार	जषपुर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	63.0	मध्यम प्राथमिकता वाले वि.ख.
50	दुर्गकोंदल	कांकेर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	63.0	
51	कांकेर	कांकेर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	63.0	
52	कटघोरा	कोरबा	5.0	10	5	3	0	10	15	0	5	10	0	63.0	
53	बैकुण्ठपुर	कोरिया	5.0	10	5	3	0	0	10	0	15	15	0	63.0	
54	बागबाहरा	महासमुंद	10.0	10	5	3	0	0	10	0	15	10	0	63.0	
55	नारायणपुर	नारायणपुर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	63.0	
56	प्रेमनगर	सूरजपुर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	63.0	
57	रामचन्द्रपुर	बलरामपुर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	60.5	
58	बस्तानार	बस्तर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	60.5	
59	नवागढ़	बेमेतरा	7.5	5	5	3	0	10	15	0	5	10	0	60.5	
60	कटेकल्याण	दंतेवाड़ा	7.5	10	5	3	0	0	15	0	5	15	0	60.5	
61	कंसाबेल	जसपुर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	60.5	
62	फरसगांव	कोणडागांव	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	60.5	
63	धरमजयगढ़	रायगढ़	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	60.5	
64	भैयाथान	सूरजपुर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	60.5	
65	लुण्ड्रा	सरगुजा	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	60.5	
66	लखनपुर	सरगुजा	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	60.5	
67	मनोरा	जषपुर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	
68	जशपुर	जषपुर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	
69	चारामा	कांकेर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	
70	नरहरपुर	कांकेर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	
71	भानुप्रातपपुर	कांकेर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	
72	अंतागढ़	कांकेर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	
73	सहसपुर लोहारा	कबीरधाम	5.0	5	5	3	0	10	15	0	5	10	0	58.0	

INTEGRATED WATERSHED MANAGEMENT PROGRAMME, CHHATTISGARH

क्र	विकासखण्ड का नाम	जिला	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	प्रेणी
74	सरायपाली	महासमुंद	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	
75	ओरछा	नारायणपुर	10.0	10	5	3	0	0	15	0	5	10	0	58.0	
76	लैलुंगा	रायगढ़	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	
77	घरधोडा	रायगढ़	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	
78	रामानुजनगर	सूरजपुर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	
79	अम्बिकापुर	सरगुजा	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	
80	मैनपाठ	सरगुजा	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	
81	दुलदुला	जषपुर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	5	10	0	55.5	
82	कोयलीबेड़ा (पंखाजुर)	कांकेर	7.5	5	5	3	0	0	15	0	10	10	0	55.5	
83	कवर्धा	कबीरधाम	7.5	5	5	3	0	0	15	0	5	15	0	55.5	
84	बड़ेराजपुर	कोणडागांव	7.5	10	5	3	0	0	15	0	5	10	0	55.5	
85	पिथौरा	महासमुंद	7.5	10	5	3	0	0	10	0	10	10	0	55.5	
86	तमनार	रायगढ़	7.5	10	5	3	0	0	15	0	5	10	0	55.5	
87	रायगढ़	रायगढ़	7.5	10	5	3	0	0	15	0	5	10	0	55.5	
88	बतौली	सरगुजा	7.5	10	5	3	0	0	15	0	5	10	0	55.5	
89	सीतापुर	सरगुजा	7.5	10	5	3	0	0	15	0	5	10	0	55.5	
90	कुनकुरी	जषपुर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	5	10	0	53.0	
91	पत्थलगांव	जषपुर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	5	10	0	53.0	
92	छुईखदान	राजनांदगांव	5.0	5	5	3	0	0	5	0	15	15	0	53.0	
93	बरमकेला	रायगढ़	7.5	5	5	3	2	0	10	0	10	10	0	52.5	
94	सिमगा	बलौदाबाजार	7.5	10	5	3	0	0	10	0	10	5	0	50.5	
95	बसना	महासमुंद	7.5	5	5	3	0	0	15	0	10	5	0	50.5	
96	पथरिया	मुंगेली	7.5	5	5	3	0	0	10	0	5	15	0	50.5	
97	पुसौर	रायगढ़	7.5	5	5	3	0	0	15	0	5	10	0	50.5	

मध्यम
प्राथमिकता
वाले वि.ख.

INTEGRATED WATERSHED MANAGEMENT PROGRAMME, CHHATTISGARH

क्र	विकासखण्ड का नाम	जिला	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	प्रेणी
98	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	2.5	5	5	3	0	0	5	0	15	15	0	50.5	मध्यम प्राथमिकता वाले वि.ख.
99	बिलाईगढ़	बलौदाबाजार	5.0	5	5	3	0	0	15	0	5	10	0	48.0	
100	देवभोग	गरियाबंद	5.0	5	5	3	0	0	15	0	5	10	0	48.0	
101	लोरमी	मुंगेली	5.0	10	5	3	0	0	0	0	10	15	0	48.0	
102	सारंगढ़	रायगढ़	5.0	5	5	3	0	0	10	0	10	10	0	48.0	
103	खैरागढ़	राजनांदगांव	5.0	5	5	3	0	0	10	0	5	15	0	48.0	
104	डोंगरगांव	राजनांदगांव	5.0	5	5	3	0	0	15	0	5	10	0	48.0	
105	सूरजपुर	सूरजपुर	5.0	5	5	3	0	0	15	0	5	10	0	48.0	
106	बेरला	बेरला	5.0	3	5	3	0	0	15	0	5	10	0	46.0	
107	भाटापारा	बलौदाबाजार	7.5	5	5	3	0	0	15	0	5	5	0	45.5	
108	बेरला	बेरला	5.0	5	5	3	2	0	15	0	5	5	0	45.0	
109	बिल्हा	बिलासपुर	5.0	5	5	3	2	0	5	0	5	15	0	45.0	
110	डौण्डीलोहारा	बालोद	5.0	10	5	3	0	0	5	0	10	5	0	43.0	
111	कसडोल	बलौदाबाजार	5.0	10	5	3	0	0	0	0	15	5	0	43.0	
112	साजा	बेरला	5.0	3	5	3	2	0	15	0	5	5	0	43.0	
113	तखतपुर	बिलासपुर	5.0	5	5	3	0	0	5	0	5	15	0	43.0	
114	छुरा	गरियाबंद	5.0	10	5	3	0	0	0	0	15	5	0	43.0	
115	गरियाबंद	गरियाबंद	5.0	5	5	3	0	0	15	0	5	5	0	43.0	
116	बलौदा	जांजगीर-चांपा	5.0	10	5	3	0	0	0	0	10	10	0	43.0	
117	खरसिया	रायगढ़	5.0	10	5	3	0	0	10	0	5	5	0	43.0	
118	राजनांदगांव	राजनांदगांव	2.5	5	5	3	2	0	10	0	5	10	0	42.5	
119	मस्तुरी	बिलासपुर	7.5	5	5	3	0	0	0	0	5	15	0	40.5	
120	महासमुन्द	महासमुन्द	2.5	5	5	3	0	0	0	0	15	10	0	40.5	
121	गुरुर	बालोद	5.0	5	5	3	2	0	0	0	15	5	0	40.0	
122	धमधा	दुर्ग	5.0	5	5	3	2	0	10	0	5	5	0	40.0	

INTEGRATED WATERSHED MANAGEMENT PROGRAMME, CHHATTISGARH


क्र	विकासखण्ड का नाम	जिला	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	प्रेणी
123	जैजौपुर	जांजगीर-चांपा	5.0	5	5	3	0	10	0	0	5	5	0	38.0	मध्यम प्राथमिकता वाले वि. ख.
124	मुंगेली	मुंगेली	5.0	5	5	3	0	0	0	0	5	15	0	38.0	
125	नगरी	धमतरी	5.0	10	5	3	2	0	0	0	5	5	0	35.0	
126	पलारी	बलौदाबाजार	5.0	10	5	3	0	0	0	0	5	5	0	33.0	
127	मगरलोड	धमतरी	5.0	5	5	3	0	0	0	0	10	5	0	33.0	
128	सक्ती	जांजगीर-चांपा	5.0	5	5	3	0	0	0	0	10	5	0	33.0	
129	मालखरौदा	जांजगीर-चांपा	5.0	10	5	3	0	0	0	0	5	5	0	33.0	
130	पामगढ़	जांजगीर-चांपा	5.0	5	5	3	0	0	0	0	5	10	0	33.0	
131	नवागढ़	जांजगीर-चांपा	5.0	5	5	3	0	0	0	0	10	5	0	33.0	
132	तिल्दा	रायपुर	5.0	10	5	3	0	0	0	0	5	5	0	33.0	
133	अभनपुर	रायपुर	5.0	10	5	3	0	0	0	0	5	5	0	33.0	
134	बालोद	बालोद	2.5	10	5	3	2	0	0	0	5	5	0	32.5	निम्न प्राथमिकता वाले वि. ख.
135	फिंगेश्वर	गरियाबंद	5.0	3	5	3	0	0	0	0	10	5	0	31.0	
136	आरंग	रायपुर	7.5	5	5	3	0	0	0	0	5	5	0	30.5	
137	बम्हनीडीह	जांजगीर-चांपा	7.5	3	5	3	0	0	0	0	5	5	0	28.5	
138	धरसीवां	रायपुर	2.5	3	5	3	0	0	0	0	5	10	0	28.5	
139	गुण्डरदेही	बालोद	5.0	5	5	3	0	0	0	0	5	5	0	28.0	
140	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	5.0	5	5	3	0	0	0	0	5	5	0	28.0	
141	कुरुद	धमतरी	5.0	3	5	3	2	0	0	0	5	5	0	28.0	
142	दुर्ग	दुर्ग	5.0	3	5	3	2	0	0	0	5	5	0	28.0	
143	अकलतरा	जांजगीर-चांपा	5.0	5	5	3	0	0	0	0	5	5	0	28.0	
144	डभरा	जांजगीर-चांपा	5.0	5	5	3	0	0	0	0	5	5	0	28.0	
145	धमतरी	धमतरी	2.5	5	5	3	2	0	0	0	5	5	0	27.5	
146	पाटन	दुर्ग	2.5	3	5	3	2	0	0	0	5	5	0	25.5	

तालिका 7.9 उपचार हेतु शेष माइक्रो जलग्रहण क्षेत्रों का जिलेवार विवरण 2011–12 की स्थिति में

क्र.	जिला	कुल माइक्रो जलग्रहण क्षेत्र		उपचारित / उपचारित किये जा रहे कुल माइक्रो जलग्रहण क्षेत्र		उपचार हेतु शेष माइक्रो जलग्रहण क्षेत्र	
		संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	संख्या	क्षेत्रफल (हे.)
1	सरगुजा	638	402256.2	37	26128.4	601	376127.84
2	बलरामपुर	720	626226.4	119	42307	601	583919.36
3	सूरजपुर	420	544561.4	40	17849.7	380	526711.67
4	कोरिया	747	660687.4	155	58963.5	592	601723.94
5	जशपुर	984	584842.5	254	107123	730	477719.3
6	कोरबा	784	659146.3	485	129675	299	529471.3
7	रायगढ़	1404	704029.4	335	113040	1069	590989.4
8	बिलासपुर	635	553543.7	254	89317	381	464226.7
9	मुंगेली	280	277920.5	17	8853	263	269067.5
10	जांजगीर—चांपा	784	385870.9	306	114182	478	271689.3
11	कबीरधाम	600	418714.5	446	125691	154	293023.3
12	राजनांदगांव	1266	807618.4	318	145227	948	662391.3
13	रायपुर	406	290124.7	65	36136	341	253988.7
14	बालौदाबाजार	470	465926.2	91	41194	379	424732.2
15	गरियाबंद	514	483640.6	54	23042	460	460598.6
16	दुर्ग	328	229549.8	92	36927.6	236	192622.16
17	बेमेतरा	608	285981.9	121	38092	487	247889.88
18	बालोद	441	335302.6	157	54151.3	284	281151.32
19	धमतरी	320	407989.7	140	43057	180	364932.7
20	महासपुन्द्र	969	474572.8	331	125496	638	349076.7
21	कांकेर	706	720240.2	222	57866.5	484	662373.7
22	बस्तर	606	538371.4	311	107721	295	430650.3

क्र.	जिला	कुल माइको जलग्रहण क्षेत्र		उपचारित / उपचारित किये जा रहे कुल माइक्रो जलग्रहण क्षेत्र		उपचार हेतु शेष माइक्रो जलग्रहण क्षेत्र	
		संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	संख्या	क्षेत्रफल (हे.)
23	कोणडागांव	871	508637	78	31089.6	793	477547.39
24	नारायणपुर	266	371490	12	5026.82	254	366463.18
25	बीजापुर	1162	937775	137	2559.25	1025	935215.75
26	दंतेवाड़ा	324	289541.1	60	33293.7	264	256247.38
27	सुकमा	370	544928.2	109	46206	261	498722.2
	कुल योग	17623	13509488.8	4746	1660216	12877	11849272.8

रेखा चित्र 7.1 उपचार हेतु शेष माइक्रो जलग्रहण क्षेत्रों का जिलेवार विवरण 2011–12 की स्थिति में



7.2. जिलेवार विकासखण्डों के लिए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण

तालिका 7.10 बालोद

क्र.	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शे.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	डौण्डी	B	75	56069.30	18689.77	2242.77	18689.77	2242.77	18689.77	2242.77	56069.30	6728.32
2	डौण्डीलोहारा	B	92	82698.87	27566.29	3307.95	27566.29	3307.95	27566.29	3307.95	82698.87	9923.86
3	गुरुर	B	36	40506.05	13502.02	1620.24	13502.02	1620.24	13502.02	1620.24	40506.05	4860.73
4	बालोद	C	25	38863.30	12954.43	1554.53	12954.43	1554.53	12954.43	1554.53	38863.30	4663.60
5	गुण्डरदेही	C	56	71075.00	23691.67	2843.00	23691.67	2843.00	23691.67	2843.00	71075.00	8529.00
	योग		284	289213.52	96404.17	11568.50	96404.17	11568.50	96404.17	11568.50	289212.52	34705.50

तालिका 7.11 बलौदाबाजार

क्र.	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शे.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	सिमगा	B	67	47735.50	15911.83	1909.42	15911.83	1909.42	15911.83	1909.42	47735.50	5728.26
2	बिलाईगढ़	B	120	70179.60	23393.20	2807.18	23393.20	2807.18	23393.20	2807.18	70179.60	8421.55
3	भाटापारा	B	26	29274.00	9758.00	1170.96	9758.00	1170.96	9758.00	1170.96	29274.00	3512.88
4	कसडोल	B	50	43100.20	14366.73	1724.01	14366.73	1724.01	14366.73	1724.01	43100.20	5172.02
5	पलारी	B	45	44544.00	14848.00	1781.76	14848.00	1781.76	14848.00	1781.76	44544.00	5345.28
6	बलौदाबाजार	C	71	56321.20	18773.73	2252.85	18773.73	2252.85	18773.73	2252.85	56321.20	6758.54
	योग		379	291154.50	97051.50	11646.18	97051.50	11646.18	97051.50	11646.18	291154.50	34938.54

तालिका 7.12 बलरामपुर

क्र.	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शे.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	वाङ्फनगर	A	123	115122.00	38374.00	4604.88	38374.00	4604.88	38374.00	4604.88	115122.00	13814.64
2	बलरामपुर	B	99	112190.00	37396.67	4487.60	37396.67	4487.60	37396.67	4487.60	112190.00	13462.80
3	कुसमी	B	117	75827.20	25275.73	3033.09	25275.73	3033.09	25275.73	3033.09	75827.20	9099.26
4	राजपुर	B	78	69912.05	23304.02	2796.48	23304.02	2796.48	23304.02	2796.48	69912.05	8389.45
5	शंकरगढ़	B	78	69193.30	23064.43	2767.73	23064.43	2767.73	23064.43	2767.73	69193.30	8303.20
6	रामचन्द्रपुर	B	106	106012.01	35337.34	4240.48	35337.34	4240.48	35337.34	4240.48	106012.01	12721.44
	योग		601	548256.56	182752.19	21930	182752.19	21930.26	182752	21930.26	548256.56	65790.79

तालिका 7.13 बस्तर

क्र.	विकासखण्ड	दर्जा	मा.वा. शे.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (ह.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (ह.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (ह.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (ह.)	वित्तीय (लाख)
1	बस्तर	A	57	87418.00	29139.33	4370.90	29139.33	4370.90	29139.33	4370.90	87418.00	13112.70
2	लोहांडीगुडा	A	29	45766.10	15255.37	2288.31	15255.37	2288.31	15255.37	2288.31	45766.10	6864.92
3	जगदलपुर	A	25	44778.30	14926.10	2238.92	14926.10	2238.92	14926.10	2238.92	44778.30	6716.75
4	तोकापाल	A	6	16537.04	5512.35	826.85	5512.35	826.85	5512.35	826.85	16537.04	2480.56
5	बकावण्ड	A	17	64763.20	21587.73	3238.16	21587.73	3238.16	21587.73	3238.16	64763.20	9714.48
6	दरभा	B	119	101369.56	33789.85	5068.48	33789.85	5068.48	33789.85	5068.48	101369.56	15205.43
7	बस्तानार	B	42	28851.01	9617.00	1442.55	9617.00	1442.55	9617.00	1442.55	28851.01	4327.65
	योग		295	389483.21	129827.74	19474.16	129827.74	19474.16	129827.74	19474.16	389483.21	58422.48

तालिका 7.14 बेमेतरा

क्र.	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शे.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (ह.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (ह.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (ह.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (ह.)	वित्तीय (लाख)
1	नवागढ़	B	202	238545.44	79515.15	9541.82	79515.15	9541.82	79515.15	9541.82	238545.44	28625.45
2	बेरला	B	112	72806.00	24268.67	2912.24	24268.67	2912.24	24268.67	2912.24	72806.00	8736.72
3	बेमेतरा	B	93	62597.40	20865.80	2503.90	20865.80	2503.90	20865.80	2503.90	62597.40	7511.69
4	साजा	B	80	67714.84	22571.61	2708.59	22571.61	2708.59	22571.61	2708.59	67714.84	8125.78
	योग		487	441663.68	147221.23	17666.55	147221.23	17666.55	147221.23	17666.55	441663.68	52999.64

तालिका 7.15 बीजापुर

क्र.	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शो.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	भैरमगढ़	A	433	330181.00	110060.33	16509.05	110060.33	16509.05	110060.33	16509.05	330181.00	49527.15
2	बीजापुर	A	90	150686.00	50228.67	7534.30	50228.67	7534.30	50228.67	7534.30	150686.00	22602.90
3	उसूर	A	240	246650.00	82216.67	12332.50	82216.67	12332.50	82216.67	12332.50	246650.00	36997.50
4	भोपालपटनम	B	262	207698.00	69232.67	10384.90	69232.67	10384.90	69232.67	10384.90	207698.00	31154.70
	योग		1025	935215.00	311738.33	46760.75	311738.33	46760.75	311738.33	46760.75	935215.00	140282.25

तालिका 7.16 बिलासपुर

क्र.	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शे.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	पेण्डा	A	32	45723.10	15241.03	1828.92	15241.03	1828.92	15241.03	1828.92	45723.10	5486.77
2	मरवाही	A	81	63412.30	21137.43	2536.49	21137.43	2536.49	21137.43	2536.49	63412.30	7609.48
3	पेण्डारोड	A	14	60700.80	20233.60	2428.03	20233.60	2428.03	20233.60	2428.03	60700.80	7284.10
4	कोटा	B	53	41576.50	13858.83	1663.06	13858.83	1663.06	13858.83	1663.06	41576.50	4989.18
5	बिल्हा	B	77	70499.50	23499.83	2819.98	23499.83	2819.98	23499.83	2819.98	70499.50	8459.94
6	तखतपुर	B	72	64580.30	21526.77	2583.21	21526.77	2583.21	21526.77	2583.21	64580.30	7749.64
7	मस्तुरी	B	52	50250.20	16750.07	2010.01	16750.07	2010.01	16750.07	2010.01	50250.20	6030.02
	योग		381	396742.70	132247.57	15869.71	132247.57	15869.71	132247.57	15869.71	396742.70	47609.12

तालिका 7.17 दंतेवाड़ा

क्र.	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शे.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	गीदम	A	30	29222.20	9740.73	1461.11	9740.73	1461.11	9740.73	1461.11	29222.20	4383.33
2	दंतेवाड़ा	A	83	82500.61	27500.20	4125.03	27500.20	4125.03	27500.20	4125.03	82500.61	12375.09
3	कुआकोण्डा	A	68	62455.00	20818.33	3122.75	20818.33	3122.75	20818.33	3122.75	62455.00	9368.25
4	कटेकल्याण	B	83	50281.17	16760.39	2514.06	16760.39	2514.06	16760.39	2514.06	50281.17	7542.18
	योग		264	224459	74819.66	11222.95	74819.66	11222.95	74819.66	11222.95	224458.98	33668.85

तालिका 7.18 धमतरी

क्र.	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शे.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	नगरी	B	80	78906.30	26302.10	3156.25	26302.10	3156.25	26302.10	3156.25	78906.30	9468.76
2	मगरलोड	B	36	46822.40	15607.47	1872.90	15607.47	1872.90	15607.47	1872.90	46822.40	5618.69
3	कुरुद	C	21	53685.30	17895.10	2147.41	17895.10	2147.41	17895.10	2147.41	53685.30	6442.24
4	धमतरी	C	43	55305.40	18435.13	2212.22	18435.13	2212.22	18435.13	2212.22	55305.40	6636.65
	योग		180	234719	78239.80	9388.78	78239.80	9388.78	78239.80	9388.78	234719.40	28166.33

तालिका 7.19 दुर्ग

क्र.	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शे.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	धमधा	B	115	84698.60	28232.87	3387.94	28232.87	3387.94	28232.87	3387.94	84698.60	10163.83
2	दुर्ग	C	41	50531.40	16843.80	2021.26	16843.80	2021.26	16843.80	2021.26	50531.40	6063.77
3	पाटन	C	80	60571.46	20190.49	2422.86	20190.49	2422.86	20190.49	2422.86	60571.46	7268.58
	योग		236	195801	65267.15	7832.06	65267.15	7832.06	65267.15	7832.06	195801.46	23496.18

तालिका 7.20 गरियाबंद

क्र.	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शो.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	मैनपुर	B	146	110988.00	36996.00	4439.52	36996.00	4439.52	36996.00	4439.52	110988.00	13318.56
2	देवभोग	B	54	25901.00	8633.67	1036.04	8633.67	1036.04	8633.67	1036.04	25901.00	3108.12
3	छुरा	B	117	91973.20	30657.73	3678.93	30657.73	3678.93	30657.73	3678.93	91973.20	11036.78
4	गरियाबंद	B	66	54989.10	18329.70	2199.56	18329.70	2199.56	18329.70	2199.56	54989.10	6598.69
5	फिंगेश्वर	C	77	73959.10	24653.03	2958.36	24653.03	2958.36	24653.03	2958.36	73959.10	8875.09
	योग		460	357810	119270.13	14312.42	119270.13	14312.42	119270.13	14312.42	357810.40	42937.25

तालिका 7.21 जांजगीर-चांपा

क्र.	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शो.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	बलौदा	B	1	20609.76	6869.92	824.39	6869.92	824.39	6869.92	824.39	20609.76	2473.17
2	जैजैपुर	B	70	45598.17	15199.39	1823.93	15199.39	1823.93	15199.39	1823.93	45598.17	5471.78
3	सक्ती	B	9	28070.00	9356.67	1122.80	9356.67	1122.80	9356.67	1122.80	28070.00	3368.40
4	मालखरौदा	B	72	88001.81	29333.94	3520.07	29333.94	3520.07	29333.94	3520.07	88001.81	10560.22
5	पामगढ़	B	73	74118.77	24706.26	2964.75	24706.26	2964.75	24706.26	2964.75	74118.77	8894.25
6	नवागढ़	B	229	180464.00	60154.67	7218.56	60154.67	7218.56	60154.67	7218.56	180464.00	21655.68
7	बहनीडीह	C	14	32945.56	10981.85	1317.82	10981.85	1317.82	10981.85	1317.82	32945.56	3953.47
8	अकलतरा	C	8	26103.10	8701.03	1044.12	8701.03	1044.12	8701.03	1044.12	26103.10	3132.37
9	डभरा	C	2	24217.44	8072.48	968.70	8072.48	968.70	8072.48	968.70	24217.44	2906.09
	योग		478	520129	173376.20	20805.14	173376.20	20805.14	173376.20	20805.14	520128.61	62415.43

तालिका 7.22 जशपुर

क्र.	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शो.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	बगीचा	B	63	77371.00	25790.33	3868.55	25790.33	3868.55	25790.33	3868.55	77371.00	11605.65
2	फरसाबहार	B	108	79691.77	26563.92	3984.59	26563.92	3984.59	26563.92	3984.59	79691.77	11953.77
3	कंसाबेल	B	204	151379.00	50459.67	7568.95	50459.67	7568.95	50459.67	7568.95	151379.00	22706.85
4	मनोरा	B	50	54015.50	18005.17	2700.78	18005.17	2700.78	18005.17	2700.78	54015.50	8102.33
5	जशपुर	B	47	41886.80	13962.27	2094.34	13962.27	2094.34	13962.27	2094.34	41886.80	6283.02
6	दुलदुला	B	59	38623.60	12874.53	1931.18	12874.53	1931.18	12874.53	1931.18	38623.60	5793.54
7	कुनकुरी	B	145	110685.00	36895.00	5534.25	36895.00	5534.25	36895.00	5534.25	110685.00	16602.75
8	पथलगांव	B	54	44653.30	14884.43	2232.67	14884.43	2232.67	14884.43	2232.67	44653.30	6698.00
	योग		730	598305.97	199435.32	29915.30	199435.32	29915.30	199435.32	29915.30	598305.97	89745.90

तालिका 7.23 कांकेर

क्र.	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शो.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	दुर्गकोंदल	B	93	74223	24741	3711	24741	3711	24741	3711	74223	11133
2	कांकेर	B	51	60665	20222	3033	20222	3033	20222	3033	60665	9100
3	चारामा	B	37	38821	12940	1941	12940	1941	12940	1941	38821	5823
4	नरहरपुर	B	38	48188	16063	2409	16063	2409	16063	2409	48188	7228
5	भानुप्रातपुर	B	47	72323	24108	3616	24108	3616	24108	3616	72323	10848
6	अंतागढ़	B	163	148823	49608	7441	49608	7441	49608	7441	148823	22323
7	कोयलीबेड़ा (पंखाजुर)	B	55	53346	17782	2667	17782	2667	17782	2667	53346	8002
	योग		484	496389	165463	24819	165463	24819	165463	24819	496389	74458

तालिका 7.24 कबीरधाम

क्र	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शे.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	बोडला	A	118	148681.26	49560.42	7434.06	49560.42	7434.06	49560.42	7434.06	148681.26	22302.19
2	पंडरिया	A	15	47997.80	15999.27	2399.89	15999.27	2399.89	15999.27	2399.89	47997.80	7199.67
3	सहसपुर लोहारा	B	6	37262.05	12420.68	1863.10	12420.68	1863.10	12420.68	1863.10	37262.05	5589.31
4	कवर्धा	B	15	64610.50	21536.83	3230.53	21536.83	3230.53	21536.83	3230.53	64610.50	9691.58
	योग		154	298551.61	99517.20	14927.58	99517.20	14927.58	99517.20	14927.58	298551.61	44782.74

तालिका 7.25 कोण्डागांव

क्र	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शौ.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	कोण्डागांव	A	234	177375.39	59125.13	8868.77	59125.13	8868.77	59125.13	8868.77	177375.39	26606.31
2	केशकाल	B	105	94308.60	31436.20	4715.43	31436.20	4715.43	31436.20	4715.43	94308.60	14146.29
3	माकड़ी	B	152	114428.00	38142.67	5721.40	38142.67	5721.40	38142.67	5721.40	114428.00	17164.20
4	फरसगांव	B	224	138816.00	46272.00	6940.80	46272.00	6940.80	46272.00	6940.80	138816.00	20822.40
5	बड़ेराजपुर	B	78	56532.70	18844.23	2826.64	18844.23	2826.64	18844.23	2826.64	56532.70	8479.91
	योग		793	581460.69	193820.23	29073.03	193820.23	29073.03	193820.23	29073.03	581460.69	87219.10

तालिका 7.26 कोरबा

क्र	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शॉ.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	पोण्डीउपरोड़ा	A	11	100386.00	33462.00	4015.44	33462.00	4015.44	33462.00	4015.44	100386.00	12046.32
2	पाली	A	52	84190.00	28063.33	3367.60	28063.33	3367.60	28063.33	3367.60	84190.00	10102.80
3	कोरबा	A	218	169276.00	56425.33	6771.04	56425.33	6771.04	56425.33	6771.04	169276.00	20313.12
4	करतला	A	16	42605.50	14201.83	1704.22	14201.83	1704.22	14201.83	1704.22	42605.50	5112.66
5	कटघोरा	B	2	62665.10	20888.37	2506.60	20888.37	2506.60	20888.37	2506.60	62665.10	7519.81
	योग		299	459122.60	153040.87	18364.90	153040.87	18364.90	153040.87	18364.90	459122.60	55094.71

तालिका 7.27 कोरिया

क्र	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शॉ.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	मनेन्द्रगढ़	A	99	74617.10	24872.37	3730.86	24872.37	3730.86	24872.37	3730.86	74617.10	11192.57
2	खड़गवाँ	A	9	25330.83	8443.61	1266.54	8443.61	1266.54	8443.61	1266.54	25330.83	3799.62
3	भरतपुर	B	225	211386.31	70462.10	10569.32	70462.10	10569.32	70462.10	10569.32	211386.31	31707.95
4	सोनहत	B	178	171813.00	57271.00	8590.65	57271.00	8590.65	57271.00	8590.65	171813.00	25771.95
5	बैकुण्ठपुर	B	81	69085.90	23028.63	3454.30	23028.63	3454.30	23028.63	3454.30	69085.90	10362.89
	योग		592	552233.14	184077.71	27611.66	184077.71	27611.66	184077.71	27611.66	552233.14	82834.97

तालिका 7.28 महासमुन्द

क्र	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शे.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	बागबाहरा	B	206	144129	48043.00	5765.16	48043.00	5765.16	48043.00	5765.16	144129.00	17295.48
2	सरायपाली	B	23	59118.55	19706.18	2364.74	19706.18	2364.74	19706.18	2364.74	59118.55	7094.226
3	पिथौरा	B	244	204111.7	68037.24	8164.47	68037.24	8164.47	68037.24	8164.47	204111.71	24493.4052
4	बसना	B	24	47574	15858.00	1902.96	15858.00	1902.96	15858.00	1902.96	47574.00	5708.88
5	महासमुन्द	B	141	124841.5	41613.83	4993.66	41613.83	4993.66	41613.83	4993.66	124841.49	14980.9788
	योग		638	579774.8	193258.25	23190.99	193258.25	23190.99	193258.25	23190.99	579774.75	69572.97

तालिका 7.29 मुंगेली

क्र	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शे.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	पथरिया	B	50	39818.00	13272.67	1592.72	13272.67	1592.72	13272.67	1592.72	39818.00	4778.16
2	लोरमी	B	98	71244.40	23748.13	2849.78	23748.13	2849.78	23748.13	2849.78	71244.40	8549.33
3	मुंगेली	B	115	114968.00	38322.67	4598.72	38322.67	4598.72	38322.67	4598.72	114968.00	13796.16
	योग		263	226030.40	75343.47	9041.22	75343.47	9041.22	75343.47	9041.22	226030.40	27123.65

तालिका 7.30 नारायणपुर

क्र	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शे.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	नारायणपुर	B	69	57721.38	19240.46	2886.07	19240.46	2886.07	19240.46	2886.07	57721.38	8658.21
2	ओरछा	B	185	131271.00	43757.00	6563.55	43757.00	6563.55	43757.00	6563.55	131271.00	19690.65
	योग		254	188992.38	62997.46	9449.62	62997.46	9449.62	62997.46	9449.62	188992.38	28348.86

तालिका 7.31 रायगढ़

क्र	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शे.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	धरमजयगढ़	B	209	169581.00	56527.00	6783.24	56527.00	6783.24	56527.00	6783.24	169581.00	20349.72
2	लैलुंगा	B	13	51680.50	17226.83	2067.22	17226.83	2067.22	17226.83	2067.22	51680.50	6201.66
3	घरघोड़ा	B	89	63695.40	21231.80	2547.82	21231.80	2547.82	21231.80	2547.82	63695.40	7643.45
4	तमनार	B	69	45990.00	15330.00	1839.60	15330.00	1839.60	15330.00	1839.60	45990.00	5518.80
5	रायगढ़	B	37	47306.40	15768.80	1892.26	15768.80	1892.26	15768.80	1892.26	47306.40	5676.77
6	बरमकेला	B	75	47007.10	15669.03	1880.28	15669.03	1880.28	15669.03	1880.28	47007.10	5640.85
7	पुसौर	B	103	64177.20	21392.40	2567.09	21392.40	2567.09	21392.40	2567.09	64177.20	7701.26
8	सारंगढ़	B	76	81033.80	27011.27	3241.35	27011.27	3241.35	27011.27	3241.35	81033.80	9724.06
9	खरसिया	B	398	343934.00	114644.67	13757.36	114644.67	13757.36	114644.67	13757.36	343934.00	41272.08
	योग		1069	914405.40	304801.80	36576.22	304801.80	36576.22	304801.80	36576.22	914405.40	109728.65

तालिका 7.32 रायपुर

क्र	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शे.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	तिल्दा	B	64	59478.40	19826.13	2379.14	19826.13	2379.14	19826.13	2379.14	59478.40	7137.41
2	अभनपुर	B	72	47202.10	15734.03	1888.08	15734.03	1888.08	15734.03	1888.08	47202.10	5664.25
3	आरंग	C	105	86730.30	28910.10	3469.21	28910.10	3469.21	28910.10	3469.21	86730.30	10407.64
4	धरसीवां	C	100	60577.90	20192.63	2423.12	20192.63	2423.12	20192.63	2423.12	60577.90	7269.35
	योग		341	253988.70	84662.90	10159.55	84662.90	10159.55	84662.90	10159.55	253988.70	30478.64

तालिका 7.33 राजनांदगांव

क्र	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शे.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	मोहला	A	278	187669.50	62556.50	9383.48	62556.50	9383.48	62556.50	9383.48	187669.50	28150.43
2	मानपुर	A	70	51747.11	17249.04	2587.36	17249.04	2587.36	17249.04	2587.36	51747.11	7762.07
3	अंबागढ़ चौकी	A	16	32236.82	10745.61	1611.84	10745.61	1611.84	10745.61	1611.84	32236.82	4835.52
4	छुरिया	B	44	73584.60	24528.20	3679.23	24528.20	3679.23	24528.20	3679.23	73584.60	11037.69
5	छुईखदान	B	150	128072.00	42690.67	6403.60	42690.67	6403.60	42690.67	6403.60	128072.00	19210.80
6	डोंगरगढ़	B	115	93774.00	31258.00	4688.70	31258.00	4688.70	31258.00	4688.70	93774.00	14066.10
7	खैरागढ़	B	184	170863.00	56954.33	8543.15	56954.33	8543.15	56954.33	8543.15	170863.00	25629.45
8	डोंगरगांव	B	29	33192.80	11064.27	1659.64	11064.27	1659.64	11064.27	1659.64	33192.80	4978.92
9	राजनांदगांव	B	62	65662.90	21887.63	3283.15	21887.63	3283.15	21887.63	3283.15	65662.90	9849.44
	योग		948	836802.73	278934.24	41840.14	278934.24	41840.14	278934.24	41840.14	836802.73	125520.41

तालिका 7.34 सुकमा

क्र	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शे.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	कोन्टा	A	100	96872.00	32290.67	4843.60	32290.67	4843.60	32290.67	4843.60	96872.00	14530.80
2	सुकमा	A	39	66250.80	22083.60	3312.54	22083.60	3312.54	22083.60	3312.54	66250.80	9937.62
3	छिंदगढ़	A	122	86082.40	28694.13	4304.12	28694.13	4304.12	28694.13	4304.12	86082.40	12912.36
	योग		261	249205.20	83068.40	12460.26	83068.40	12460.26	83068.40	12460.26	249205.20	37380.78

तालिका 7.35 सूरजपुर

क्र	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शे.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	ओड़गी	A	76	53162.17	17720.72	2658.11	17720.72	2658.11	17720.72	2658.11	53162.17	7974.33
2	प्रतापपुर	B	72	62812.50	20937.50	3140.63	20937.50	3140.63	20937.50	3140.63	62812.50	9421.88
3	प्रेमनगर	B	63	37922.40	12640.80	1896.12	12640.80	1896.12	12640.80	1896.12	37922.40	5688.36
4	भैयाथान	B	47	47534.30	15844.77	2376.72	15844.77	2376.72	15844.77	2376.72	47534.30	7130.15
5	रामानुजनगर	B	60	47542.90	15847.63	2377.15	15847.63	2377.15	15847.63	2377.15	47542.90	7131.44
6	सूरजपुर	B	62	64927.70	21642.57	3246.39	21642.57	3246.39	21642.57	3246.39	64927.70	9739.16
	योग		380	313901.97	104633.99	15695.10	104633.99	15695.10	104633.99	15695.10	313901.97	47085.30

तालिका 7.36 सरगुजा

क्र	विकासखण्ड	श्रेणी	मा.वा. शे.की संख्या	क्षेत्रफल	XII पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017–18 से 2021–22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022–23 से 2026–27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
					भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	उदयपुर	B	97	89047.20	29682.40	4452.36	29682.40	4452.36	29682.40	4452.36	89047.20	13357.08
2	लुण्डा	B	126	99985.00	33328.33	4999.25	33328.33	4999.25	33328.33	4999.25	99985.00	14997.75
3	लखनपुर	B	213	164940.00	54980.00	8247.00	54980.00	8247.00	54980.00	8247.00	164940.00	24741.00
4	अम्बिकापुर	B	58	56870.78	18956.93	2843.54	18956.93	2843.54	18956.93	2843.54	56870.78	8530.62
5	मैनपाठ	B	27	27855.00	9285.00	1392.75	9285.00	1392.75	9285.00	1392.75	27855.00	4178.25
6	बतौली	B	40	32393.70	10797.90	1619.69	10797.90	1619.69	10797.90	1619.69	32393.70	4859.06
7	सीतापुर	B	40	34367.86	11455.95	1718.39	11455.95	1718.39	11455.95	1718.39	34367.86	5155.18
	योग		601	505459.54	168486.51	25272.98	168486.51	25272.98	168486.51	25272.98	505459.54	75818.93

तालिका 7.37 प्रदेश में IWMP परियोजनाओं हेतु पंच वर्षीय योजनाओं के अनुरूप वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण

क्र	जिला	उपचार हेतु शेष माइक्रो जलग्रहण क्षेत्र		XII पंचवर्षीय योजना (2012-13 से 2016-17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017-18 से 2021-22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022-23 से 2026-27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
		संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
1	सरगुजा	601	505460	168486.5	25272.98	168486.5	25272.98	168486.5	25272.98	505459.5	75818.93
2	बलरामपुर	601	548257	182752.2	27412.83	182752.2	27412.83	182752.2	27412.83	548256.6	82238.48
3	सूरजपुर	380	313902	104634	15695.1	104634	15695.1	104634	15695.1	313902	47085.3
4	कोरिया	592	552233	184077.7	27611.66	184077.7	27611.66	184077.7	27611.66	552233.1	82834.97
5	जशपुर	730	598306	199435.3	29915.3	199435.3	29915.3	199435.3	29915.3	598306	89745.9
6	कोरबा	299	459123	153040.9	18364.9	153040.9	18364.9	153040.9	18364.9	459122.6	55094.71
7	रायगढ़	1069	914405	304801.8	36576.22	304801.8	36576.22	304801.8	36576.22	914405.4	109728.6
8	बिलासपुर	381	396743	132247.6	15869.71	132247.6	15869.71	132247.6	15869.71	396742.7	47609.12
9	मुंगेली	263	226030	75343.47	9041.216	75343.47	9041.216	75343.47	9041.216	226030.4	27123.65
10	जांजगीर -चांपा	478	520129	173376.2	20805.14	173376.2	20805.14	173376.2	20805.14	520128.6	62415.43
11	कबीरधाम	154	298552	99517.2	14927.58	99517.2	14927.58	99517.2	14927.58	298551.6	44782.74
12	राजनांदगांव	948	836803	278934.2	41840.14	278934.2	41840.14	278934.2	41840.14	836802.7	125520.4
13	रायपुर	341	253989	84662.9	10159.55	84662.9	10159.55	84662.9	10159.55	253988.7	30478.64
14	बलौदाबाजार	379	291155	97051.5	11646.18	97051.5	11646.18	97051.5	11646.18	291154.5	34938.54
15	गरियाबंद	460	357810	119270.1	14312.42	119270.1	14312.42	119270.1	14312.42	357810.4	42937.25
16	दुर्ग	236	195801	65267.15	7832.058	65267.15	7832.058	65267.15	7832.058	195801.5	23496.18

INTEGRATED WATERSHED MANAGEMENT PROGRAMME, CHHATTISGARH

क्र	जिला	उपचार हेतु शेष माइक्रो जलग्रहण क्षेत्र		XII पंचवर्षीय योजना (2012-13 से 2016-17)		XIII पंचवर्षीय योजना (2017-18 से 2021-22)		XIV पंचवर्षीय योजना (2022-23 से 2026-27)		कुल पन्द्रह वर्षों के लिए	
		संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)	भौतिक (हे.)	वित्तीय (लाख)
17	बेमेतरा	487	441664	147221.2	17666.55	147221.2	17666.55	147221.2	17666.55	441663.7	52999.64
18	बालौद	284	289213	96404.33	11568.52	96404.33	11568.52	96404.33	11568.52	289213	34705.56
19	धमतरी	180	234719	78239.8	9388.776	78239.8	9388.776	78239.8	9388.776	234719.4	28166.33
20	महासमुच्च	638	579775	193258.3	23190.99	193258.3	23190.99	193258.3	23190.99	579774.8	69572.97
21	कांकेर	484	496388	165462.8	24819.42	165462.8	24819.42	165462.8	24819.42	496388.3	74458.25
22	बस्तर	295	389483	129827.7	19474.16	129827.7	19474.16	129827.7	19474.16	389483.2	58422.48
23	कोणडागांव	793	581461	193820.2	29073.03	193820.2	29073.03	193820.2	29073.03	581460.7	87219.1
24	नारायणपुर	254	188992	62997.46	9449.619	62997.46	9449.619	62997.46	9449.619	188992.4	28348.86
25	बीजापुर	1025	935215	311738.3	46760.75	311738.3	46760.75	311738.3	46760.75	935215	140282.3
26	दंतेवाड़ा	264	224459	74819.66	11222.95	74819.66	11222.95	74819.66	11222.95	224459	33668.85
27	सुकमा	261	249205	83068.4	12460.26	83068.4	12460.26	83068.4	12460.26	249205.2	37380.78
	कुल योग	12877	11879271	3959756.96	542357.99	3959756.96	542357.99	3959756.96	542357.99	11879270.88	1627073.96

8. अध्याय – आजीविका विकास

8.1. आजीविका विश्लेषण

भारत की जनगणना वर्ष– 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 80 है, जिसमें से 48 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। गरीबी रेखा के नीचे के 17 प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं। ग्रामीण जनसंख्या प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र में अधिक है। इस क्षेत्र में अधिकतर अनुसूचित जन जाति के लोग बसे हुए हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं वनोपज पर आधारित है। यद्यपि समस्त साधनों से सिंचित फसलों का निरा क्षेत्रफल केवल 29 प्रतिशत ही है। फलस्वरूप वर्षा सिंचित क्षेत्रों में सुनिष्ठित सिंचाई के वैकल्पिक रूपों की आवश्यकता है।


प्रदेश में 60 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं, परंतु बाजार तक पहुँच नहीं होने के कारण उनकी आय बहुत सीमित है। उनकी आय का बड़ा हिस्सा बिचौलियों के पास चला जाता है। यदि ग्रामीणों को संगठित कर उत्पाद का एकत्रीकरण किया जाये और इस एकत्रित उत्पाद का मूल्य वर्धन करते हुए मार्केटिंग नेटवर्क तैयार किया जाये तो ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में बहुत हद तक सुधार लाया जा सकता है।

कृषि एवं वनोपज संग्रहण में महिलाओं की अहम् भूमिका है, परंतु विपणन में उनकी भूमिका नगण्य है। महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें संगठित कर समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।

तालिका 8.1 जनसांख्यिकी विवरण–2001

जनसंख्या की रूपरेखा (2001)	भारत की जनसंख्या (प्रतिशत में)	छत्तीसगढ़ की जनसंख्या (प्रतिशत में)
ग्रामीण	72.2	80.0
शहरी	27.8	20.0
अनुसूचित जाति	16.2	11.6
अनुसूचित जन जाति	8.2	21.8
(स्रोत : समेकित स्वारूप एवं जनसंख्या नीति, छ.ग. सरकार, भारत की जनगणना 2001 एवं अन्य प्रकाशित रिपोर्ट)		

रेखा चित्र क्र. 8.1 जनसांख्यिकी विवरण—2001



8.2. ग्रामीण गरीबी का परिदृष्टि

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी ज्यादा है। योजना आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप वर्ष 1999–2000 में गरीबी के अनुपात का आंकलन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण आबादी का कुल 87 प्रतिष्ठत गरीबी रेखा के नीचे है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक स्तर पर 97 प्रतिष्ठत अनुसूचित जनजाति, 86 प्रतिष्ठत अनुसूचित जाति, 83 प्रतिष्ठत पिछड़ा वर्ग एवं 51 प्रतिष्ठत अन्य, गरीबी रेखा के नीचे हैं। आजीविका विकास हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के परिवारों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है ताकि इन परिवारों से गरीबी का उन्मूलन किया जा सके।

तालिका 8.2 प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे की आबादी

सामाजिक समूह	ग्रामीण	नगरीय	कुल	कुल गरीबों की % के रूप में ग्रामीण गरीब
समस्त	45.9	37.4	44.7	87.4
अनु. जन. जाति	57.0	35.5	56.0	97.0
अनु. जाति	46.2	54.3	47.2	86.2
अ.पि. वर्ग	41.7	50.9	43.0	82.9
अन्य जातियां	17.0	15.9	16.4	50.7
स्रोत : कृषि विभाग, छ.ग. शासन				

8.3. श्रमिकों का वर्गीकरण

जनगणना 2001 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील श्रमिकों की संख्या 16.80 लाख है। जिसमें से 32% श्रमिक कृषि मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं। 27.12% श्रमिक सीमांत कार्यशील हैं जिसमें लगभग 70% से ज्यादा महिलाएं हैं।


तालिका 8.3 छत्तीसगढ़ में श्रमिकों का वर्गीकरण

क्र.	कुल कार्यशील	मुख्य कार्यशील	सीमांत कार्यशील	कृषक	कृषि मजदूर	गृह उद्योगों के कार्यशील	अन्य कार्यशील
1	9679871	7054595	2625276	4311131	3091358	198691	2078691

तालिका 8.4 श्रमिकों का वर्गीकरण प्रतिशत में (जनगणना-2001)

वर्ष	किसान	खेतीहर मजदूर	घरेलू उद्योग मजदूर	अन्य मजदूर
2001	44.60%	31.90%	2.10%	21.40%

रेखा चित्र क्र. 8.2 श्रमिकों का वर्गीकरण प्रतिशत में



भूमिहीन परिवारों की मुख्य आजीविका निम्न गतिविधियों के सहारे चलती है, कई बार अनेक गतिविधियों की सम्मिलित प्रक्रिया से आजीविका पूरी होती है।

- मजदूरी
- खेतीहर मजदूरी
- पशुपालन
- वनोपज संग्रहण
- ग्रामीण कारीगरी

लघु और सीमान्त कृषक जो कुल कृषकों की संख्या का 76 प्रतिषत हैं, परन्तु उनके पास संयुक्त रूप से कुल रकबा का 29 प्रतिषत ही है। इनकी आजीविका खेती के साथ-साथ भूमिहीनों की आजीविका गतिविधियों के समान ही है। परन्तु इन गतिविधियों से राज्य के गरीब ग्रामीणों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता। इनके मुख्य कारण हैं – परम्परागत तरीके, संस्थागत व्यवस्था में खामियां, जानकारी का अभाव, पूंजी की कमी और गांवों के पास बाजार की अनुपलब्धता।

8.4. आजीविका में महिलाओं का भूमिका

छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर है। महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 991 (लिंगानुपात हजार पुरुषों के प्रति महिलाओं की संख्या) है। छत्तीसगढ़ राज्य की 63.7 प्रतिशत महिलायें खेतिहार मजदूरों का कार्य करती हैं। वे फसल उत्पादन, संरक्षण एवं भंडारण के हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। महिलायें फसल कटाई के पहले एवं बाद के कार्य, जैसे निंदाई, उर्वरकों का छिड़काव, कटाई एवं घरेलू प्रसंस्करण आदि कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। प्रदेश में 68.3 प्रतिशत महिलायें वनोपज संग्रहण का कार्य करती हैं। महिलायें कई खाद्य पदार्थों का जंगल से संग्रहण करती हैं, और उनका उपयोग घरेलू खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिये करती हैं। लेकिन इन महिलाओं की साक्षरता दर, सामाजिक रुद्धिवादिता, पुरुष प्रधान समाज का वर्चस्व, लिंग-भेद आदि कारणों से सीमित है। महिलाओं का, ग्रामीण आजीविका में समय एवं श्रम की अधिक भागीदारी के बावजूद उत्पादों के विपणन एवं उनसे हो रही आय पर, कोई नियत्रण नहीं है। समान हित एवं विचारधारा वाली महिलाओं का मजबूत संगठन, उनके लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं उनमें व्यापार की समझ और महत्वाकांक्षाओं को जागृत करके उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है।

8.5. वित्तीय समावेशन

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवारों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच बहुत सीमित है। वित्तीय सेवा जैसे—बचत, ऋण, राष्ट्रीय प्रेषण और बीमा सेवाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए वित्तीय सेवा संस्थाओं की संख्या बहुत ही कम है। जिसके कारण साहूकार अधिक ब्याज दर पर ग्रामीणों को कर्ज उपलब्ध कराते हैं और उनका निर्वाध आर्थिक शोषण करते रहते हैं। लाभदायी व्यापार की काफी संभावनाएं हैं लेकिन व्यवसायिक उद्यमिता के लिए आवश्यक पूँजी का अभाव ग्रामीणों के विकास में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। अतः ग्रामीण परिवारों को विषेषकर गरीबों के लिए बैंकों की वित्तीय सेवा उपलब्ध कराना अतिआवश्यक है। इसी संदर्भ में ग्रामीण गरीबों को बचत समूहों में संगठित कर वित्तीय संस्थाओं के साथ जोड़ना अतिआवश्यक है। लेकिन ग्रामीणों में जागरूकता की कमी, बैंकों की लम्बी एवं उबाऊ औपचारिक प्रक्रिया तथा बैंकों की गांवों से अधिक दूरी इत्यादि ऐसे कारण हैं जो बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हैं। आम आदमी, आय के साधनों की कमी तथा नकदी की अनुपलब्धता के कारण भी बैंकों से नहीं जुड़ पाते। बैंक भी स्वल्प अवधि और छोटे मात्रा का ऋण देने में अक्षम होने के कारण ग्रामीण परिवारों को जोड़ नहीं पाते।

8.6. कृषि

राज्य के भौगोलिक क्षेत्र 137.9 लाख हेक्टेयर का लगभग 35 प्रतिशत कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिससे 33 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं अन्य कृषि संबंधी क्रियाकलापों में संलग्न है। मुख्यतः कृषि वर्षा सिंचित है और कुल बोये गए फसलों के निरा क्षेत्रफल का लगभग 29 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है।

अनाजों की उत्पादकता में छ.ग. राज्य भारत की औसत उत्पादकता से बहुत पीछे है। अतः कृषि उत्पादकता को बढ़ाने की राज्य में असीमित संभावनाये हैं परन्तु कृषि क्षेत्र के सामने ऐसी कई बाधाएं हैं जिनके कारण प्रदेश में फसलों की उत्पादकता कम है। उत्पादकता कम होने के कारण निम्नानुसार है:-

- परम्परागत तरीके

- प्रति परिवार रकबा में क्रमशः कमी
- अपर्याप्त अधोसरंचना एवं समय पर कृषि कार्यों हेतु आवश्यक सामग्री का उपलब्ध न होना
- निष्चित सिंचाई सुविधा की कमी
- अनियमित एवं असामान्य वर्षा
- बीज परिवर्तन दर में कमी
- जानकारी एवं जागरूकता का अभाव

ग्रामीण किसानों में से 76 प्रतिशत लद्यु और सीमांत किसान हैं, जिनके पास कृषि विकास के लिए पूँजी का अभाव है। स्वल्प मूल्य, उचित तकनीकि, सही प्रषिक्षण, अधोसरंचना एवं आवश्यक निवेष जैसे—बीज, उर्वरक इत्यादि की उचित व्यवस्था कर इनकी आजीविका में सुधार लाया जा सकता है।

8.7. बागवानी

राज्य के तीनों कृषि—जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी एवं जलवायु की भिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार की बागवानी फसलों की अत्यधिक संभावनायें हैं। बागवानी में उत्पादन, प्रसंस्करण, सब्जी, औषधीय तथा सुंगंधित पौधे, फूल, मसाले, रेशम एवं मधुमक्खी पालन इत्यादि गतिविधियों की प्रदेष में व्यापक सम्भावनाएं हैं।


तालिका 8.5 फलों एवं फूलों की खेती हेतु संभावित क्षेत्र

आम	सभी जिलों में
काजू	बस्तर, दंतेवाडा, कांकेर, रायगढ़, जषपुर एवं सरगुजा
लीची	रायगढ़, जषपुर एवं सरगुजा
नीबू	राज्य के समतली क्षेत्रों के सभी जिलों में
फूलों की खेती	रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव एवं बिलासपुर

तालिका 8.6 राज्य में बागवानी का क्षेत्र एवं उत्पादन की स्थिति

फसल	2007–2008	
	क्षेत्रफल (हेक्टेएर)	उत्पादन (टन)
फल	124664.00	932025.91
सब्जियां	292562.00	2924605.05
मसाले	53614.25	288738.44
औषधीय एवं सुंगंधित पौधे	11500.00	65550.00
फूल	2355.40	6912.52
स्रोत : स्टेट फोकस पेपर, 2008–09, नाबार्ड, रायपुर		

रेखा चित्र क्र. 8.3 बागवानी का क्षेत्र एवं उत्पादन की स्थिति



प्रदेश में फलों और सब्जियों की उत्पादकता संतोषप्रद है, लेकिन इनके बुआई का क्षेत्र सीमित है, जिसे और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। बाजार में इनकी मांग लगातार बढ़ने के कारण इस क्षेत्र से जुड़े किसानों की आजीविका में सुधार की अच्छी सम्भावना है। विशेषकर लद्यु एवं सीमांत कृषक इसका अच्छा लाभ ले सकते हैं। लेकिन जानकारी एवं जागरूकता का अभाव, प्रविधिक विकास की कमी तथा बागवानी सम्बन्धित तकनीकी, बीज इत्यादि की अनुपलब्धता बागवानी विकास की प्रमुख बाधायें हैं।


8.8. पशुधन

18वीं पशुसंगणना 2008 के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में मुर्गी पालन पक्षियों की संख्या 142.07 लाख एवं पशुधन की जनसंख्या 1.43 करोड़ से अधिक है।

तालिका 8.7 पशुधन का वर्गीकरण, पशुसंगणना – 2008

पशुधन के प्रकार	संख्या (लाख में)	प्रतिशत में
गाय	94.59	66%
भैंस	16	11%
भेंड	1.4	1%
बकरी	27.6	19%
सूकर	4.12	3%
स्रोतः— पशुसंगणना—2008 छ.ग.		

रेखा चित्र क्र. 8.4 पशु धन का वर्गीकरण, पशुसंगणना – 2008



8.9. राज्य में दुग्ध उत्पादन

राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता केवल 110 ग्राम प्रतिदिन है। जबकि राष्ट्रीय औसत 241 ग्राम प्रतिदिन है। वर्ष 2006–07 में दूध का कुल उत्पादन 8.49 लाख टन था, फिर भी आवश्यकता के अनुसार अनुमानित 48.32 लाख टन की कमी है। दूध की बढ़ती मांग और आपूर्ति में भारी अंतर के कारण दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विकास की व्यापक संभावनाएं हैं।

तालिका 8.8 राज्यों में प्रतिव्यक्ति दूध की उपलब्धता (2000–01 से 2005–06 तक)

	(ग्राम प्रतिदिन)					
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06
पूरे भारत में	220	225	230	231	233	241
गुजरात	280	317	321	330	344	349
हरियाणा	614	645	647	643	631	628
मध्यप्रदेश	211	240	236	233	233	262
उत्तर प्रदेश	223	241	245	250	254	262
छत्तीसगढ़	100	105	103	102	103	103

स्रोत : पशुधन विकास विभाग, छ.ग.

8.10. बकरी पालन

निर्धन ग्रामीणों के लिए बकरी पालन एक उपयुक्त व्यवसाय है। यह कम लागत और कम जोखिम का व्यवसाय है। राज्य में बकरे के मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से कम है। अतः बकरी पालन को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने की प्रदेश में अत्यधिक संभावनाएं हैं। पशुपालन से आजीविका चलाने में निम्न लिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है :—

निर्धन ग्रामीण पशु पालन से संभावित लाभ निम्नांकित कारणों से नहीं ले पाते हैं :-

- देशी नस्ल के मवेशी एवं पक्षियों की उत्पादकता कम होती है।
- पर्याप्त हरे एवं सूखे चारे की कमी।
- जानकारी का अभाव।
- तकनीकी जानकारी और जागरूकता का अभाव।
- पर्याप्त पशु चिकित्सा सेवा में कमी।

प्रदेश में गरीब, लद्यु और सीमांत कृषकों के लिए पशु पालन से आजीविका संवर्धन की प्रबल संभावनाएं हैं। बाजार में मुर्गियों और बकरियों की मांग ज्यादा है, जिसकी आपूर्ति पड़ोसी राज्यों से होती है। सुविधा और जानकारी के अभाव के कारण यहाँ मुर्गी तथा बकरी पालन का विकास आवश्यकतानुरूप नहीं हो रहा है। प्रतिरोधक दवाईयों की प्रचूर आपूर्ति एवं सामान्य तकनीकी— कौशल के प्रषिक्षण द्वारा पृष्ठधन उत्पादन में बढ़ोत्तरी लायी जा सकती है।

8.11. मत्स्य पालन

ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन, कृषक परिवारों का एक मुख्य व्यवसाय है। यह कार्य गाँव के तालाबों, जलाशयों एवं निजी भूमि पर निर्मित नए तालाबों में किया जाता है। 31 मार्च 2009 की स्थिति में मछली पालन के लिए कुल जलाशय की उपलब्धता 159350 हे. थी। जिसमें से 92 प्रतिशत (146375 हे.) को विकसित किया जा चुका है जिससे राज्य में 158698 टन मछली का उत्पादन हुआ।

तालिका 8.9 राज्य में उपलब्ध जल संसाधन

विवरण	उपलब्ध जल क्षेत्र		मछली उत्पादन जलक्षेत्र	
	संख्या	जलक्षेत्र हे. में	संख्या	जलक्षेत्र हे. में
गाँवों का तालाब (मछली उत्पादन के अंतर्गत)	58353	74300	52809	67106
सिंचाई जलाशय	17344	88700	1593	83500
योग	75697	163000	54402	150606
स्रोत : मत्स्य पालन विभाग छ.ग. वर्ष : 2008–09				

सन् 2008–09 में राज्य के तालाबों से औसत उत्पादन 2.1 टन एवं जलाशयों से 0.172 टन प्रति हे. था। नदियों से कुल 1477 टन मछलियाँ प्राप्त की गई हैं। मछली पालन के लिए असीमित अवसर होने पर भी मछली उत्पादन में राज्य, राष्ट्रीय औसत पीछे है। मछली पालन के मुख्य अवरोधक हैं:-

- सामाजिक बाधाएं।
- अव्यस्थित संस्थाएं।
- जानकारी का अभाव।
- पूंजी का अभाव।
- संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग न कर पाना।
- तकनीकी का अभाव।

8.12. वनोपज

छ.ग. राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 45 प्रतिशत वन क्षेत्र है। यह क्षेत्र जैव-विविधता में सम्पन्न है, जिसमें 625 (NTFPs) की प्रजातियों की उपलब्धता है। वन संसाधनों के संतुलित दोहन से प्रति वर्ष लगभग 1 हजार करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया जा सकता है। राज्य के मुख्य वनोपज (NTFPs) हैं— तेंदू पत्ता, हरा, पलाश एवं महुआ के फूल और बीज, साल, कुसूम, चरोटा एवं नीम के बीज, आम के गिरी, बबूल तथा गोंद। यहां औषधियों एवं सुगंधित पौधों की दो सौ से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो ग्रामीण आजीविका के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। राज्य में लगभग 13.76 लाख ग्रामीण परिवार लघु वनोपज संग्रहण का कार्य करते हैं। यह क्षेत्र लोगों की आजीविका के अवसर बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, परन्तु ग्रामीण इसका उचित लाभ नहीं ले पाते हैं, जिसके प्रमुख कारण हैं—

- संग्रहणकर्ताओं में संगठन की कमी।
- उत्पादों के एकत्रीकरण एवं व्यापार के लिए समुचित व्यवस्था की कमी।
- प्राथमिक संग्रहण का मुख्य बाजार तक पहुंच का न होना।
- जानकारी का अभाव।
- प्राथमिक संग्रहण की प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन में कमी।


8.13. परम्परागत ग्रामीण कारीगरी

छत्तीसगढ़ राज्य शिल्प कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। प्राथमिक आँकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकर, कुम्हार, बढ़ाई, दर्जी, लोहार एवं धातु के कारीगरों की बहुलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1,84,000 परिवार इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं।

तालिका 8.10 परंपरागत कारीगरों की संख्या प्रतिष्ठत में

कारीगरों की श्रेणी	कारीगरों की संख्या प्रतिशत में
चित्रकला / शिल्पकला	5.65
कुम्हारी	26.17
खनन एवं धातु कर्म	4.93
बढ़ाई	17.28
लोहार	9.07
बुनकर	5.47
रंगाई	0.82
सिलाई एवं कढ़ाई	30.62

रेखा चित्र क्र. 8.5 परंपरागत कारीगरों की संख्या प्रतिशत में



8.13.1. ग्रामीण कारीगरों की प्रमुख समस्याएं

- परम्परागत तकनीकी ।
- संगठन का अभाव ।
- बाजार के अनुसार तकनीकी एवं डिजाईन उपलब्ध न होना ।
- उत्पाद का ग्रामीण बाजारों तक सीमित होना ।
- पूंजी का अभाव ।

उपरोक्त आजीविका क्षेत्रों की स्थिति एवं चुनौतियों को देखते हुए समाधान के रूप में निम्न विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है :-

1. प्राथमिक उत्पादकों/संग्राहकों के संगठन का अभाव ।
2. उत्पादों की बाजार संबंधी जानकारी का उत्पादकों के पास न होना ।
3. प्राथमिक उत्पाद संग्राहकों के पास वित्तीय पूंजी तथा सुविधाओं की कमी ।
4. संबंधित क्षेत्रों में नई तकनीकी की पहुंच में कमी तथा प्रषिक्षण का अभाव ।
5. रसानीय क्षेत्रों में प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन संबंधित गतिविधियों के लिए सुविधाओं में कमी ।
6. आजीविका संबंधी अधोसंरचना जैसे—सिंचाई, बिजली, भण्डारण एवं परिवहन इत्यादि सुविधाओं में कमी ।
7. प्राथमिक उत्पादकों/संग्राहकों की दूर-दृष्टि तथा सामूहिक गतिविधियों के प्रति उदासीनता ।

आजीविका संवर्धन के लिए उपरोक्त समस्याओं का निराकरण अति आवश्यक है। जलसंग्रहण क्षेत्रों में इन समस्याओं के निराकरण तथा निर्धनों की आजीविका संवर्धन के लिए हितग्राहियों का संकुल बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है।

8.14. भूमिहीन एवं संपत्तिहीन परिवारों के लिए अपनाई गई आजीविका पद्धति

8.14.1. सामान्य उद्देश्य

जलग्रहण क्षेत्र के सभी ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वसहायता समूह, स्वसहायता समूह संघ एवं उत्पादक संघ में संगठित कर एक प्रभावी संस्था का निर्माण करना। संगठन निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाना, जिससे उनकी पहुँच वित्तीय, तकनीकी एवं विपणन सेवाओं तक बन सके।

8.14.2. विशेष उद्देश्य

1. जलग्रहण क्षेत्र में भूमिहीन एवं संपत्तिहीन परिवारों का चिन्हांकन।
2. चिन्हांकित परिवारों की आजीविका के वर्तमान स्थिति का आंकलन कर उनके संवर्धन के लिए संभावित नियोजन का निर्माण।
3. गरीब परिवारों की आजीविका की संभावनाओं में अभिवृद्धि एवं आय तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए परिसम्पत्ति निर्माण में निवेष।
4. निर्धन परिवारों के लिए जलग्रहण क्षेत्र की साझा संपत्ति, संसाधन के उपयोग में पहुँच तथा आजीविका रणनीति में परिवर्धन के द्वारा समावेशी विकास को बढ़ावा।

8.14.3. रणनीति

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक सही रणनीति बनाना आवश्यक है। इन रणनीतियों का क्रियान्वयन चरणबद्ध रूप में करना आवश्यक है।

प्रथम चरण :— भूमिहीन एवं संपत्तिहीन परिवारों का सही चिन्हांकन। चिन्हांकित परिवारों को समूहों में संगठित करना। समूहों के साथ वर्तमान की आजीविका स्थिति तथा भविष्य की सम्भावनाओं पर चर्चा करना एवं आजीविका क्षेत्र का चयन तथा बचत प्रक्रिया को प्रारम्भ करवाना।

द्वितीय चरण :— गतिविधि चयन के उपरान्त उस क्षेत्र से संबंधित जानकारी समूहों को उपलब्ध कराना और आवश्यक प्रषिक्षण की व्यवस्था करना। इन समूहों को समूह संचालन एवं वित्तीय संचालन के संबंध में भी आवश्यक जानकारी एवं कौशल प्रदान करना।

तृतीय चरण :— समूहों को आवश्यक प्रषिक्षण उपरान्त गतिविधि प्रारंभ के लिए परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण। परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था एवं प्राथमिक वित्तीय अनुदान जलसंग्रहण परियोजना से प्रदाय किया जाना। तत्पञ्चात् इनको वित्तीय संस्थानों तथा अन्य सेवा संस्थानों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया प्रारम्भ करना।

चतुर्थ चरण :— समूहों का निष्पत्त अंतराल में लगातार अनुश्रवण। विषेषज्ञों की सहायता से इन समूहों के लिए सहभागी अनुश्रवण पद्धति का निर्माण।

पंचम चरण :— एक जैसी गतिविधि में जुड़े समूहों का संघ निर्मित कर संबंधित क्षेत्र में संकुल विकास करना। समूहों को बाजार, व्यवस्था तथा अधोसंरचना के विकास एवं नियंत्रण के लिए अपना संगठन बनाना जो कि सहकार या उत्पादक कम्पनी हो सकता है।

उपरोक्त सभी चरणों को एक समयबद्ध तरीके से नियोजित करना आवश्यक है।

8.15. उत्पादन तंत्र एवं सूक्ष्म उद्यम आधारित आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देना

पहले से वर्णित विभिन्न आजीविका क्षेत्रों के विष्लेषण से यह स्पष्ट है कि छ.ग. के हर क्षेत्र की उत्पादकता औसत राष्ट्रीय उत्पादकता से बहुत ही कम है। अतः आजीविका संवर्धन के लिए स्थानीय उत्पादकता बढ़ाना भी एक विशेष रणनीति का भाग है। जब तक सामान्य उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी तब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपेक्षित सुधार लाना सम्भव नहीं है। इसलिए ग्रामीण उत्पादन तंत्र से जुड़े किसानों एवं उद्यमियों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

8.15.1. सामान्य उद्देश्य

1. ग्रामीण कृषि उत्पादन तथा अन्य घरेलू उद्यम की उत्पादकता को बढ़ावा देना।
2. कृषि उत्पाद, प्राथमिक वनोपज संग्रहण तथा ग्रामीण घरेलू उद्यमियों को आजीविका संवर्धन के लिए प्रमाणित तकनीकी उपलब्ध कराना, एकीकृत उत्पादन तंत्र और उन्नत प्रणालियों के सफल अनुभवों को ग्रहण करने एवं बढ़ाने के लिए प्रेरित करना।

8.15.2. रणनीति

प्रथम चरण :— जलसंग्रहण क्षेत्र के विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों का पहचान एवं उससे जुड़े हुए परिवारों का समूह निर्माण। वर्तमान में उत्पादन प्रणाली की खामियों का विषेषज्ञों की सहायता से चिह्नांकन।

द्वितीय चरण :— उत्पादन वृद्धि के लिए उपलब्ध नवीन तकनीकी तथा व्यवस्था पर जानकारी संग्रह करना एवं उत्पादकों को उस विषय में प्रषिक्षण देना। जिन क्षेत्रों में नई तकनीकी के उपयोग से उत्पादकता में बृद्धि दर्ज की गई उन क्षेत्रों में उत्पादकों का परिभ्रमण कराना या उनके क्षेत्र में प्रदर्शन की व्यवस्था कराना। अल्प संख्यक उत्पादकों के साथ इस तकनीकी का उपयोग करना।

तृतीय चरण :— प्रयोग की सफलता/असफलता की सीख का प्रतिभागियों के साथ चर्चा कर तकनीकी उपयोग व्यवस्था में आवश्यक सुधार लाना। इस उपलब्धियां को अन्य उत्पादकों के साथ साझा करना और तकनीकी उपयोग को व्यापक बनाना।

चतुर्थ चरण :— समूहों का निष्ठत अंतराल में लगातार अनुश्रवण एवं विषेषज्ञों की सहायता से इन समूहों के लिए सहभागी अनुश्रवण पद्धति का निर्माण करना। इस माध्यम से समूह अपने विकास का मार्ग तथा कमियों को पहचान कर अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने का प्रयास करेंगे।

पंचम चरण :— एक जैसी गतिविधि में जुड़े समूहों का संघ निर्मित कर संबंधित क्षेत्र में संकुल विकास करना।

8.16. आजीविका प्रोत्साहन का परिणाम

उपरोक्त रणनीतियों के क्रियान्वयन से जलसंग्रहण क्षेत्रों में निम्न परिणामों की संभावना है।

- ग्रामीण उत्पादकों को बेहतर आय एवं सुरक्षित आजीविका।
- प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर संरक्षण।
- ग्रामीण कृषि तथा कृषि सम्बंधित उत्पादन में वृद्धि।
- नई तकनीकी अपनाने के लिए प्रोत्साहन।
- ग्रामीण उत्पादकता तथा उद्यमिता में वृद्धि।
- संस्थागत एवं वित्तीय समावेश।
- बाजार तक पहुंच में वृद्धि।
- महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक उत्थान।

9. अध्याय – जलग्रहण कार्यक्रम संचालन हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं

9.1. राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी

राज्य शासन द्वारा जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन, तथा अनुश्रवण हेतु एक समर्पित राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) का गठन किया गया है, जिसका एक स्वतंत्र बैंक खाता है। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) के लिए केन्द्रीय सहायता सीधे ही एस.एल.एन.ए. के खाते में अंतरिम की जा रही है। एस.एल.एन.ए. के द्वारा कार्यक्रम की समीक्षा करना, राज्य आंकड़ा प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए समर्थकारी तंत्र उपलब्ध कराना, साथ ही केन्द्र सरकार/विभाग में केन्द्र स्तरीय नोडल एजेंसी को नियमित रूप से रिपोर्ट करना राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के प्रमुख दायित्वों में शामिल हैं।

मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इसके सदस्य सचिव हैं। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) में अध्यक्ष द्वारा नामांकित, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव, वन विभाग, सचिव, कृषि एवं पशुपालन विभाग, सचिव, वित्त विभाग, सचिव, जल संसाधन विभाग, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना, संचालक पंचायत एवं समाज सेवा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA, राष्ट्रीय वर्षाजनित क्षेत्र प्राधिकरण के प्रतिनिधि, नाबार्ड के प्रतिनिधि, केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड के प्रतिनिधि, किसी प्रतिष्ठित NGO के प्रतिनिधि, सदस्य के रूप में शामिल किये गए हैं। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार राज्य की अनुमोदित संदर्शी तथा कार्यनीतिक योजना के आधार पर राज्य के लिए वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत करती है और इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्दिष्ट किए गए मानदण्डों के अंतर्गत राज्य में सभी वाटरशेड परियोजनाओं पर निगरानी रखती है।

9.2. वाटरशेड प्रकोष्ठ–सह–आंकड़ा केन्द्र (डब्ल्यू.सी.डी.सी.)

प्रत्येक जिले में वाटरशेड प्रकोष्ठ–सह–आंकड़ा केन्द्र (डब्ल्यू.सी.डी.सी.) नामक एक पृथक इकाई की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा प्रत्येक जिले में वाटरशेड कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है। यह 25,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के वाटरशेडों का कार्यान्वयन करने वाले जिलों में व्यावसायिक समर्थन से सुदृढ़ किया गया है। डब्ल्यू.सी.डी.सी. जिला योजना समिति के सम्पूर्ण समन्वय से कार्य करती है। जिला कलेक्टर को डब्ल्यू.सी.डी.सी. के अध्यक्ष के रूप में तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को डब्ल्यू.सी.डी.सी. के परियोजना–प्रबंधक के रूप में मनोनीत किया गया है। परियोजना प्रबंधक अपने क्षेत्राधिकार में डब्ल्यू.सी.डी.सी. के दैनिक कार्य तथा वाटरशेड कार्यक्रमों का कार्यान्वयन देखेगा, जबकि जिला कलेक्टर/सी.ई.ओ., जिला पंचायत, कार्यक्रम की आवधिक समीक्षा सहित समन्वय और सुमेलीकरण करने में भूमिका निभाएगा।

डब्ल्यू.सी.डी.सी. एक पृथक् इकाई के रूप में रथापित की गई है जिसमें एक परियोजना प्रबंधक तथा कृषि/जल प्रबंधन/सामाजिक-संगठन/अन्य उचित प्रबंधन एवं लेखा विषय से संबंधित 3 से 6 पूर्णकालिक स्टॉफ शामिल किये गए हैं, (25,000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम वाले जिलों में 3 तथा 25,000 हेक्टेयर परियोजना क्षेत्र से अधिक वाले जिलों में 6) तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को उनकी योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर संविदा पद स्वीकृत किये गए हैं। परियोजना—प्रबंधक डब्ल्यू.सी.डी.सी., एस.एल.एन.ए. के परामर्श से एक सुव्यवस्थित वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है जिसके आधार पर उसके कार्य-निष्पादन की लगातार निगरानी की जा रही है। डब्ल्यू.सी.डी.सी. की स्थापना करने/उसके एवं सुदृढ़ीकरण हेतु उपलब्ध स्टाफ, आधारभूत ढांचे और वास्तविक आवश्यकता की समीक्षा के उपरांत भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है।

9.3. परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.)

राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) उन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पी.आई.ए.) के चयन तथा अनुमोदन हेतु उपयुक्त प्रक्रिया तैयार करती है जो विभिन्न जिलों में वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगी। इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों में राज्य सरकार के अंतर्गत विभागों, स्वायत्त संगठनों, सरकारी संस्थानों/अनुसंधान निकायों, पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों (वी.ओ.) को शामिल किया जा सकता है। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) जिलों में स्थित वाटरशेड प्रकोष्ठ-सह-आंकड़ा केन्द्र (डब्ल्यू.सी.डी.सी.) की अनुषंसा पर शासकीय विभागों के अधिकारियों को शासकीय परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में नियुक्त करती है। प्रदेश में अषासकीय/स्वयं सेवी संगठन (एन.जी.ओ.) की पी.आई.ए. के रूप में नियुक्ति हेतु अत्यंत पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के परीक्षण के उपरान्त एनजीओ को पीआईए के रूप में प्रस्तावित किये जाने के पूर्व संस्थाओं की स्कीनींग कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा संयुक्त अभिमत से किया जा कर एसएलएनए मुख्यालय को अंतिम चयन हेतु प्रेषित की जाती है। जिला पंचायत की अनुशंसा के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि एनजीओ द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का प्रमाणीकरण कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा अनिवार्यतः किया जाये। तत्पश्चात ही इसे अंतिम चयन हेतु एसएलएनए मुख्यालय को भेजा जाये।

9.4. वाटरशेड विकास दल

वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यू.डी.टी.) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) का एक अभिन्न भाग है। प्रत्येक वाटरशेड विकास दल में मुख्यतः कृषि, मृदा विज्ञान, जल प्रबंधन, सामाजिक संघटन तथा संस्थागत निर्माण में व्यापक जानकारी और अनुभव रखने वाले कम से कम चार सदस्य शामिल होने चाहिए। डब्ल्यू.डी.टी. में कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए। वाटरशेड विकास दल के सदस्यों के पास अधिमानतः कोई व्यावसायिक डिग्री होनी चाहिए। तथापि, शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी के व्यावहारिक क्षेत्रीय अनुभव को ध्यान में रखते हुए उचित मामलों में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के अनुमोदन से जिला वाटरशेड विकास इकाई द्वारा छूट दी जा सकती है। वाटरशेड विकास दल को, जहां तक संभव हो, वाटरशेड परियोजना के निकट ही अवस्थित किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ यह अवश्य ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वाटरशेड विकास दल को जिला तथा राज्य स्तर पर विशेषज्ञों के दल के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करना चाहिए। वाटरशेड विकास दल के सदस्यों के वेतन संबंधी व्यय को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की प्रशासनिक सहायता में से प्रभारित किया

जाएगा। जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी.डब्ल्यू.डी.यू.) वाटरशेड विकास दल के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु सुविधा उपलब्ध कराएगी। समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 के परिपालन में 2009–10 से 2011–12 तक स्वीकृत IWMP की 181 परियोजनाओं हेतु WDT के कुल 724 पद एकमुश्त मासिक संविदा वेतन पर अधिकतम प्रति परियोजना 04 सदस्यीय जलग्रहण विकास दल के मान से स्वीकृत किया गया है।

9.5. ग्राम स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं तथा लोगों की भागीदारी

9.5.1. वाटरशेड समिति (डब्ल्यू.सी.)

ग्राम सभा वाटरशेड विकास दल की तकनीकी सहायता से वाटरशेड परियोजना कार्यान्वित करने के लिए गांव में वाटरशेड समिति (डब्ल्यू.सी) गठित करती है। ग्राम सभा गांव के किसी सुयोग्य व्यक्ति को वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित/नियुक्त कर सकती है। वाटरशेड समिति का सचिव वाटरशेड समिति का वैतनिक कार्यकर्ता होगा। वाटरशेड समिति में कम से कम 10 सदस्य होंगे, जिनमें से आधे सदस्य गांव में स्व—सहायता समूहों तथा प्रयोक्ता समूहों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय, महिलाओं तथा भूमिहीन व्यक्तियों के प्रतिनिधि होंगे। वाटरशेड विकास दल का एक सदस्य वाटरशेड समिति में भी प्रतिनिधि के रूप में शामिल होगा। निधियां डब्ल्यू.सी. को जारी की जा सकती हैं। संस्थागत व्यवस्थाओं के सुदृढ़िकरण हेतु ग्राम/माइक्रो जलग्रहण क्षेत्र स्तर पर IWMP की कुल 181 परियोजनाओं के लिए 2055 माइक्रो जलग्रहण क्षेत्रों हेतु एक मुश्त मासिक संविदा वेतन पर 1857 वाटरशेड कमेटी के सचिवों का पद स्वीकृत किया गया है।

10. अध्याय – क्षमता निर्माण

10.1. क्षमता निर्माण हेतु संचालित कार्यक्रम एवं भविष्य के लिए रणनीति

-
- राज्य स्तर, जिला स्तर, जनपद स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तरों पर क्षमता वर्धन हेतु प्रत्येक स्तर के क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं का आंकलन करते हुए प्रषिक्षण कार्यक्रमों का पूरे वर्ष नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। प्रषिक्षण कार्यक्रमों हेतु गाँवों की गरीब महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्येक जिले से WCDC द्वारा निर्मित स्व सहायता समूहों से योग्य हेतु महिलाओं का चयन कर उन्हें राज्य स्तर, एवं जिले स्तर पर मास्टर ट्रेनर हेतु गहन प्रषिक्षण प्रदान किया जाता है। यही महिलाएं मास्टर ट्रेनर के रूप में परियोजना स्तर पर महिला समूहों को प्रषिक्षित एवं संगठित करती हैं।
- प्रत्येक जिले में WCDC के अनुमोदन उपरान्त एक परियोजना को मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में RRSC, नागपुर के सहयोग से विकसित किये जाने का प्रस्ताव है, जिसे अनुसंधान एवं प्रषिक्षण कार्य के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा।
- IWMP परियोजनाओं में विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण एवं परियोजनाओं के मुल्यांकन हेतु कन्सॉटियम/संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
- एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के डीपीआर निर्माण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने, डीपीआर की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने एवं जनसहभागिता बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
- IWMP परियोजनाओं के डीपीआर निर्माण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु SLNA द्वारा अपने अधिकारों का विकेंद्रीकरण करते हुए WCDC को डीपीआर के परीक्षण एवं अनुमोदन का अधिकार प्रदान किया गया है। WCDC से अनुमोदन उपरान्त प्राप्त डीपीआर का अंतिम परीक्षण SLNA द्वारा किया जाकर वेबसाइट में अपलोड की जावेगी।

10.2. परियोजना हितग्राही एवम् उनकी क्षमता निर्माण से सम्बन्धित आवश्यकताएं

तालिका 10.1 परियोजना हितग्राही एवम् उनकी क्षमता निर्माण से सम्बन्धित आवश्यकताएं

क्र.	परियोजना हितग्राही लक्षित समुदाय	महत्वपूर्ण क्षमता अंतराल
1	ग्राम पंचायत (GP)	निर्गरानी एवं अनुश्रवण
2	जलग्रहण समिति (WC)	लेखा संधारण, नेट प्लानिंग, समूह गठन, द्वन्द्व प्रबंधन एवं उद्यमशिलता
3	स्वयं सहायता समूह (SHG)	लेखा संधारण, समूह गठन, द्वन्द्व प्रबंधन एवं उद्यमशिलता
4	उपयोगकर्ता दल (UG)	सामुदायिक संगठन, लेखा संधारण, समूह

क्र.	परियोजना हितग्राही लक्षित समुदाय	महत्वपूर्ण क्षमता अंतराल
		गठन, द्वन्द्व प्रबंधन एवं उद्यमशिलता
5	जलसंग्रहण विकास दल (WDT)	सामूदायिक संगठन, लेखा संधारण, समूह गठन, द्वन्द्व प्रबंधन एवं उद्यमशिलता
6	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (PIA)	नेट प्लानिंग, आजीविका विकास, जी.आई.एस. / सुदूर संवेदन, एम.आई.एस. एवं अनुश्रवण
7	वाटरशेड सेल कम डेटा सेंटर (WCDC)	नेट प्लानिंग, आजीविका विकास, जी.आई.एस / सुदूर संवेदन, एम.आई.एस. एवं अनुश्रवण
8	राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA)	नेट प्लानिंग, आजीविका विकास, जी.आई.एस. / सुदूर संवेदन, एम.आई.एस. एवं अनुश्रवण

10.3. क्षमता निर्माण हेतु चिन्हांकित प्रशिक्षण संस्थान

तालिका 10.2 क्षमता निर्माण हेतु चिन्हांकित प्रशिक्षण संस्थान

क्र	संस्थान का नाम	पूर्ण पता संपर्क नंबर, वेबसाइट, ई-मेल	विभागाध्यक्ष का नाम व पद	संस्थान का प्रकार	विशेषज्ञता का क्षेत्र
1	ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा, रायपुर	ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा, रायपुर संपर्क—+91-771-2473204, 2473210 http://www.cgsird.gov.in Email- dir.cird@nic.in	डॉ आर. के. सिंह, संचालक	राज्य स्तरीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्य
2	बैंकर्स इंस्टिट्युट ऑफ रुरल डेवलपमेंट (BIRD)	बर्ड, सेक्टर-एच, एल.डी.ए. कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ—22601, संपर्क—+91-522-2421018 website- http://www.birdindia.org.in Email- birdindia@yahoo.co.in bird@sancharnet.in	डॉ प्रकाश बर्छी, अध्यक्ष	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकिंग में प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं सलाहकार
3	केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	218, कौलागढ़ रोड, देहरादून—248195, उत्तरांचल संपर्क—+91-135-2758564 www.cswcrtiweb.org Email- director@cswcrtiddn.org	डॉ पी.के. मिश्रा, संचालक	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, वर्षा जल प्रबंधन, भूमि एवं जल संवर्धन से संबंधित प्रशिक्षण कार्य
4	सोसायटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रुरल पवर्टी (SERP)	5-10-192, 3 rd , 4 th पलोर, हरमिटेज ऑफिस कॉम्प्लेक्स हूडा बिल्डिंग, हिल फोर्ट रोड, नामपल्ली, हैदराबाद—500004 संपर्क— +91-40-23298665	बी. राजशेखर	शासकीय (आन्ध्रप्रदेश सरकार)	गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीणों के आजीविका विकास से

क्र	संस्थान का नाम	पूर्ण पता संपर्क नंबर, वेबसाइट, ई-मेल	विभागाध्यक्ष का नाम व पद	संस्थान का प्रकार	विशेषज्ञता का क्षेत्र
		website- http://www.serp.ap.gov.in Email- brajsekhar@gmail.com			संबंधित कार्य
5	जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (WALMI)	जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, पोस्ट बॉक्स नं. 504, कंचनवाड़ी, औरंगाबाद, -431005, महाराष्ट्र, संपर्क—+91-0240-2376159 से 61 तक Email- www.walmi.org idwalmi@yahoo.in admn@walmi.org	हीरालाल टी. मेण्डेगिरी, मुख्य निदेशक	प्रशिक्षण संस्थान	जल एवं भूमि प्रबंधन से संबंधित कर्मियों का प्रशिक्षण कार्य
6	इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर 492006, रायपुर, छ0ग0	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 06 महासमुंद रोड, कृषक नगर, 492012, रायपुर छत्तीसगढ़ संपर्क— +91-771-2444105 http://www.igau.edu.in	डॉ० एस.के. पाटिल उप—कुलपति	कृषि विश्वविद्यालय	कृषि विश्वविद्यालय
7	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)	प्रथम तल पिथालिया कॉम्प्लेक्स, फाफाडीह चौक के पास, के.के. रोड, रायपुर 492009 संपर्क— +91-771-2888499	श्री एस. के. बंसल, मुख्य महाप्रबंधक छत्तीसगढ़	बैंक	भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं अन्य कार्य कलापों के लिए ऋण हेतु नीति, आयोजना और परिचालन संबंधी कार्य
8	क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, (मध्य) नागपुर (RRSC)	क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (मध्य), नागपुर, अमरावती रोड, नागपुर—440033, महाराष्ट्र	डॉ० ए.के. जोशी, महाप्रबंधक	भारत शासन का उपक्रम	सुदूर संवेदन से संबंधित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्य
9	छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, रायपुर	सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र	प्रो.एम.एम. हम्बर्ड, महानिदेशक	छत्तीसगढ़ शासन	सुदूर संवेदन से संबंधित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्य

11. अध्याय – अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

11.1. अनुश्रवण

प्रत्येक चरण में परियोजनाओं की नियमित रूप से अनुश्रवण एवं निगरानी की प्रक्रिया को सुनिश्चित की गई है। ग्राम स्तर, पी.आई.ए.स्तर, WCDC स्तर एवं SLNA स्तर पर समस्त परियोजनाओं के अनुश्रवण एवं निगरानी को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक स्तर पर अनुश्रवण एवं निगरानी तंत्रों को क्रियाशील किया गया है। NIC रायपुर एवं RRSC नागपुर की सहायता से मॉडल परियोजनाओं में निर्मित संरचनाओं की Geotagging द्वारा ऑन लाइन अनुश्रवण एवं निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु निम्नलिखित पद्धतियों का अनुसरण किया जा रहा है, जिसमें राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) की भूमिका महत्वपूर्ण है :–

1. परियोजना दलों (पी.आई.ए./डी.डब्ल्यू.डी.यू.) द्वारा आंतरिक निगरानी
2. प्रगति की जानकारी
3. जी.आई.एस./वेब आधारित ऑन लाइन निगरानी
4. समुदायों द्वारा स्व निगरानी
5. सततता संबंधी निगरानी
6. सामाजिक लेखाजोखा
7. स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र तथा बाह्य तौर पर निगरानी
8. प्रक्रिया निगरानी

11.2. मूल्यांकन

प्रत्येक परियोजना का दो स्तरों पर मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है। आंतरिक मूल्यांकन कार्य WCDC द्वारा SLNA के सहयोग से एवं बाह्य मूल्यांकन राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) द्वारा नियुक्त कंसोर्टियम द्वारा सम्पन्न किया जावेगा। जो केन्द्रीय स्तर पर विभागीय नोडल एजेंसी द्वारा अनुमोदित होगी। प्रत्येक मूल्यांकन में किए गए कार्य की वास्तविक, वित्तीय तथा सामाजिक लेखापरीक्षा शामिल होगी। मूल्यांकनकर्ता को निरीक्षकों के रूप में न देखकर सुविधाप्रदाता के रूप में देखा जाएगा। तथापि वे इस बात को कड़ाई से सुनिश्चित करेंगे कि इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है। निधियां जारी करना मूल्यांकनकर्ताओं से अनुकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्भर करेगा।

12. परिषिष्ट

अनुलग्नक 1 जिलेवार विकासखण्डों का प्राथमिकता निर्धारण

बालोद जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	डौण्डी	5.0	10	5	3	0	10	15	0	10	5	0	63.0	B
2	डौण्डीलोहारा	5.0	10	5	3	0	0	5	0	10	5	0	43.0	B
3	गुरुर	5.0	5	5	3	2	0	0	0	15	5	0	40.0	B
4	बालोद	2.5	10	5	3	2	0	0	0	5	5	0	32.5	C
5	गुण्डरदेही	5.0	5	5	3	0	0	0	0	5	5	0	28.0	C

बलौदाबाजार जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	सिमगा	7.5	10	5	3	0	0	10	0	10	5	0	50.5	B
2	बिलाईगढ़	5.0	5	5	3	0	0	15	0	5	10	0	48.0	B
3	भाटापारा	7.5	5	5	3	0	0	15	0	5	5	0	45.5	B
4	कसडोल	5.0	10	5	3	0	0	0	0	15	5	0	43.0	B
5	पलारी	5.0	10	5	3	0	0	0	0	5	5	0	33.0	B

6	बलौदाबाजार	5.0	5	5	3	0	0	0	0	5	5	0	28.0	C
---	------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

बलरामपुर जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	वाड्रफनगर	10.0	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	68.0	A
2	बलरामपुर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	65.5	B
3	कुसमी	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	65.5	B
4	राजपुर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	65.5	B
5	शंकरगढ़	5.0	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	63.0	B
6	रामचन्द्रपुर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	60.5	B

बस्तर जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	बस्तर	7.5	10	5	3	0	10	15	0	15	10	0	75.5	A
2	लोहांडीगुड़ा	7.5	10	5	3	0	10	15	0	15	10	0	75.5	A
3	जगदलपुर	5.0	10	5	3	0	10	15	0	15	10	0	73.0	A
4	तोकापाल	7.5	10	5	3	0	10	15	0	10	10	0	70.5	A
5	बकावण्ड	5.0	10	5	3	0	10	15	0	10	10	0	68.0	A
6	दरभा	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	65.5	B
7	बस्तानार	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	60.5	B

बेमेतरा जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	नवागढ़	7.5	5	5	3	0	10	15	0	5	10	0	60.5	B
2	बेरला	5.0	3	5	3	0	0	15	0	5	10	0	46.0	B
3	बेमेतरा	5.0	5	5	3	2	0	15	0	5	5	0	45.0	B
4	साजा	5.0	3	5	3	2	0	15	0	5	5	0	43.0	B

बीजापुर जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	भैरमगढ़	5.0	10	5	3	0	10	15	0	15	15	0	78.0	A
2	बीजापुर	5.0	10	5	3	0	10	15	0	15	15	0	78.0	A
3	उसूर	7.5	10	5	3	0	10	15	0	10	15	0	75.5	A
4	भोपालपटनम	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	15	0	65.5	B

बिलासपुर जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	पेण्डा	5.0	10	5	10	0	10	15	0	10	15	0	80.0	A
2	मरवाही	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	15	0	70.5	A
3	पेण्डारोड	7.5	10	5	3	0	10	15	0	5	15	0	70.5	A
4	कोटा	5.0	10	5	3	0	0	10	0	15	15	0	63.0	B
5	बिल्हा	5.0	5	5	3	2	0	5	0	5	15	0	45.0	B
6	तखतपुर	5.0	5	5	3	0	0	5	0	5	15	0	43.0	B

7	मस्तुरी	7.5	5	5	3	0	0	0	0	5	15	0	40.5	B
---	---------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	------	---

दंतेवाड़ा जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	गीदम	7.5	10	5	3	0	10	15	0	15	15	0	80.5	A
2	दंतेवाड़ा	10.0	10	5	3	0	0	15	0	15	15	0	73.0	A
3	कुआकोण्डा	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	15	0	70.5	A
4	कटेकल्याण	7.5	10	5	3	0	0	15	0	5	15	0	60.5	B

धमतरी जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	नगरी	5.0	10	5	3	2	0	0	0	5	5	0	35.0	B
2	मगरलोड	5.0	5	5	3	0	0	0	0	10	5	0	33.0	B
3	कुरुद	5.0	3	5	3	2	0	0	0	5	5	0	28.0	C
4	धमतरी	2.5	5	5	3	2	0	0	0	5	5	0	27.5	C

दुर्ग जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	धमधा	5.0	5	5	3	2	0	10	0	5	5	0	40.0	B
2	दुर्ग	5.0	3	5	3	2	0	0	0	5	5	0	28.0	C
3	पाटन	2.5	3	5	3	2	0	0	0	5	5	0	25.5	C

गरियाबंद जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	मैनपुर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	63.0	B
2	देवभोग	5.0	5	5	3	0	0	15	0	5	10	0	48.0	B
3	छुरा	5.0	10	5	3	0	0	0	0	15	5	0	43.0	B
4	गरियाबंद	5.0	5	5	3	0	0	15	0	5	5	0	43.0	B
5	फिंगेश्वर	5.0	3	5	3	0	0	0	0	10	5	0	31.0	C

जांजगीर-चांपा जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	बलौदा	5.0	10	5	3	0	0	0	0	10	10	0	43.0	B
2	जैजैपुर	5.0	5	5	3	0	10	0	0	5	5	0	38.0	B
3	सकती	5.0	5	5	3	0	0	0	0	10	5	0	33.0	B
4	मालखरौदा	5.0	10	5	3	0	0	0	0	5	5	0	33.0	B
5	पामगढ़	5.0	5	5	3	0	0	0	0	5	10	0	33.0	B
6	नवागढ़	5.0	5	5	3	0	0	0	0	10	5	0	33.0	B
7	बम्हनीडीह	7.5	3	5	3	0	0	0	0	5	5	0	28.5	C
8	अकलतरा	5.0	5	5	3	0	0	0	0	5	5	0	28.0	C
9	उभरा	5.0	5	5	3	0	0	0	0	5	5	0	28.0	C

जशपुर जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	बगीचा	5.0	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	63.0	B
2	फरसाबहार	5.0	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	63.0	B
3	कंसाबेल	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	60.5	B
4	मनोरा	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	B
5	जशपुर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	B
6	दुलदुला	7.5	10	5	3	0	0	15	0	5	10	0	55.5	B
7	कुनकुरी	5.0	10	5	3	0	0	15	0	5	10	0	53.0	B
8	पथ्थलगांव	5.0	10	5	3	0	0	15	0	5	10	0	53.0	B

कांकेर जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	दुर्गकोंदल	5.0	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	63.0	B
2	कांकेर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	63.0	B
3	चारामा	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	B
4	नरहरपुर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	B
5	भानुप्रातपुर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	B
6	अंतागढ़	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	B
7	कोयलीबेड़ा(पंखाजुर)	7.5	5	5	3	0	0	15	0	10	10	0	55.5	B

कबीरधाम जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	बोड़ला	7.5	10	5	3	0	10	10	0	15	10	0	70.5	A
2	पंडरिया	5.0	10	5	3	2	10	10	0	15	10	0	70.0	A
3	सहस्रपुर लोहारा	5.0	5	5	3	0	10	15	0	5	10	0	58.0	B
4	कवर्धा	7.5	5	5	3	0	0	15	0	5	15	0	55.5	B

कोण्डागांव जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	कोण्डागांव	5.0	10	5	3	0	10	15	0	15	10	0	73.0	A
2	केशकाल	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	65.5	B
3	माकड़ी	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	65.5	B
4	फरसगांव	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	60.5	B
5	बड़ेराजपुर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	5	10	0	55.5	B

कोरबा जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	पोण्डीउपरोड़ा	7.5	10	5	3	0	10	15	0	15	10	0	75.5	A
2	पाली	5.0	10	5	3	0	10	15	0	15	10	0	73.0	A
3	कोरबा	2.5	10	5	3	0	10	15	0	15	10	0	70.5	A
4	करतला	7.5	10	5	3	0	10	10	0	15	10	0	70.5	A
5	कटघोरा	5.0	10	5	3	0	10	15	0	5	10	0	63.0	B

कोरिया जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	मनेन्द्रगढ़	5.0	10	5	3	0	0	15	0	15	15	0	68.0	A
2	खड़गवाँ	5.0	10	5	3	0	0	15	0	15	15	0	68.0	A
3	भरतपुर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	15	0	65.5	B
4	सोनहत	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	15	0	65.5	B
5	बैकुण्ठपुर	5.0	10	5	3	0	0	10	0	15	15	0	63.0	B

महासमुन्द जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	बागबाहरा	10.0	10	5	3	0	0	10	0	15	10	0	63.0	B
2	सरायपाली	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	B
3	पिथौरा	7.5	10	5	3	0	0	10	0	10	10	0	55.5	B
4	बसना	7.5	5	5	3	0	0	15	0	10	5	0	50.5	B
5	महासमुन्द	2.5	5	5	3	0	0	0	0	15	10	0	40.5	B

मुंगेली जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	पथरिया	7.5	5	5	3	0	0	10	0	5	15	0	50.5	B
2	लोरमी	5.0	10	5	3	0	0	0	0	10	15	0	48.0	B
3	मुंगेली	5.0	5	5	3	0	0	0	0	5	15	0	38.0	B

नारायणपुर जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	नारायणपुर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	63.0	B
2	ओरछा	10.0	10	5	3	0	0	15	0	5	10	0	58.0	B

रायगढ़ जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	धरमजयगढ़	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	60.5	B
2	लैलुंगा	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	B
3	घरघोड़ा	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	B
4	तमनार	7.5	10	5	3	0	0	15	0	5	10	0	55.5	B
5	रायगढ़	7.5	10	5	3	0	0	15	0	5	10	0	55.5	B
6	बरमकेला	7.5	5	5	3	2	0	10	0	10	10	0	52.5	B
7	पुसौर	7.5	5	5	3	0	0	15	0	5	10	0	50.5	B
8	सारंगढ़	5.0	5	5	3	0	0	10	0	10	10	0	48.0	B
9	खरसिया	5.0	10	5	3	0	0	10	0	5	5	0	43.0	B

रायपुर जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	तिल्दा	5.0	10	5	3	0	0	0	0	5	5	0	33.0	B
2	अभनपुर	5.0	10	5	3	0	0	0	0	5	5	0	33.0	B
3	आरंग	7.5	5	5	3	0	0	0	0	5	5	0	30.5	C
4	धरसीवां	2.5	3	5	3	0	0	0	0	5	10	0	28.5	C

राजनांदगांव जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	मोहला	5.0	10	5	3	0	10	15	0	15	15	0	78.0	A
2	मानपुर	5.0	10	5	3	0	10	15	0	15	15	0	78.0	A
3	अंबागढ़चौकी	5.0	10	5	3	0	10	10	0	10	15	0	68.0	A
4	छुरिया	7.5	10	5	3	0	10	15	0	5	10	0	65.5	B
5	छुईखदान	5.0	5	5	3	0	0	5	0	15	15	0	53.0	B
6	डोंगरगढ़	2.5	5	5	3	0	0	5	0	15	15	0	50.5	B
7	खेरागढ़	5.0	5	5	3	0	0	10	0	5	15	0	48.0	B
8	डोंगरगांव	5.0	5	5	3	0	0	15	0	5	10	0	48.0	B
9	राजनांदगांव	2.5	5	5	3	2	0	10	0	5	10	0	42.5	B

सुकमा जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	कोन्टा	5.0	10	5	3	0	10	15	0	15	15	0	78.0	A
2	सुकमा	10.0	10	5	3	0	10	15	0	5	15	0	73.0	A
3	छिंदगढ़	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	15	0	70.5	A

सूरजपुर जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	ओड़गी	10.0	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	68.0	A
2	प्रतापपुर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	65.5	B
3	प्रेमनगर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	63.0	B
4	भैयाथान	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	60.5	B
5	रामानुजनगर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	B
6	सूरजपुर	5.0	5	5	3	0	0	15	0	5	10	0	48.0	B


सरगुजा जिला

क्र.	विकासखण्ड का नाम	CI	CII	CIII	CIV	CV	CVI	CVII	CVIII	CIX	CX	CXI	कुल अंक	श्रेणी
1	उदयपुर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	15	10	0	65.5	B
2	लुण्डा	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	60.5	B
3	लखनपुर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	60.5	B


INTEGRATED WATERSHED MANAGEMENT PROGRAMME, CHHATTISGARH

4	अम्बिकापुर	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	B
5	मैनपाठ	5.0	10	5	3	0	0	15	0	10	10	0	58.0	B
6	बतौली	7.5	10	5	3	0	0	15	0	5	10	0	55.5	B
7	सीतापुर	7.5	10	5	3	0	0	15	0	5	10	0	55.5	B


मानचित्र 12.1 भू-भाग मानचित्र – बालोद




मानचित्र 12.2 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – बालोद




मानचित्र 12.3 भू-भाग मानचित्र – बालौदा बाजार




मानचित्र 12.4 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – बालौदाबाजार




मानचित्र 12.5 भू—भाग मानचित्र – बलरामपुर




मानचित्र 12.6 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – बलरामपुर




मानचित्र 12.7 भू-भाग मानचित्र – बस्तर




मानचित्र 12.8 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – बस्तर




मानचित्र 12.9 भू-भाग मानचित्र – बेमेत्रा




मानचित्र 12.10 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – बेमेत्रा




मानचित्र 12.11 भू-भाग मानचित्र – बीजापुर




मानचित्र 12.12 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – बीजापुर




मानचित्र 12.13 भू-भाग मानचित्र – बिलासपुर




मानचित्र 12.14 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – बिलासपुर




मानचित्र 12.15 भू-भाग मानचित्र – दंतेवाडा




मानचित्र 12.16 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – दंतेवाडा




मानचित्र 12.17 भू-भाग मानचित्र – धमतरी




मानचित्र 12.18 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – धमतरी




मानचित्र 12.19 भू-भाग मानचित्र – दुर्ग




मानचित्र 12.20 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – दुर्ग




मानचित्र 12.21 भू-भाग मानचित्र – गरियाबंद




मानचित्र 12.22 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – गरियाबंद




मानचित्र 12.23 भू-भाग मानचित्र – जांजगीर-चांपा




मानचित्र 12.24 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – जांजगीर-चांपा




मानचित्र 12.25 भू-भाग मानचित्र – जष्पुर




मानचित्र 12.26 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – जषपुर




मानचित्र 12.27 भू-भाग मानचित्र – कांकेर




मानचित्र 12.28 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएँ – कांकेर




मानचित्र 12.29 भू-भाग मानचित्र – कर्वधा



मानचित्र 12.30 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – कर्वधा




मानचित्र 12.31 भू-भाग मानचित्र – कोण्डागांव



मानचित्र 12.32 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – कोण्डागांव




मानचित्र 12.33 भू-भाग मानचित्र – कोरबा




मानचित्र 12.34 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – कोरबा




मानचित्र 12.35 भू-भाग मानचित्र – कोरिया




मानचित्र 12.36 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – कोरिया




मानचित्र 12.37 भू—भाग मानचित्र – महासमुन्द



मानचित्र 12.38 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – महासमुद्र




मानचित्र 12.39 भू-भाग मानचित्र – मुंगेली




मानचित्र 12.40 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – मुंगेली




मानचित्र 12.41 भू-भाग मानचित्र – नारायणपुर



मानचित्र 12.42 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएँ – नारायणपुर




मानचित्र 12.43 भू-भाग मानचित्र – रायगढ़




मानचित्र 12.44 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – रायगढ़




मानचित्र 12.45 भू-भाग मानचित्र – रायपुर




मानचित्र 12.46 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – रायपुर




मानचित्र 12.47 भू-भाग मानचित्र – राजनादगांव




मानचित्र 12.48 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – राजनांदगांव




मानचित्र 12.49 भू-भाग मानचित्र – सुकमा




मानचित्र 12.50 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – सुकमा




मानचित्र 12.51 भू-भाग मानचित्र – सूरजपुर




मानचित्र 12.52 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – सूरजपुर



मानचित्र 12.53 भू—भाग मानचित्र – सरगुजा



मानचित्र 12.54 मिली जलग्रहण क्षेत्र की प्राथमिकताएं – सरगुजा



अनुलग्नक 2 जिलेवार उपचारित एवं शेष जलग्रहण क्षेत्रों का विवरण

विकासखण्ड	कुल मिली जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	कुल माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	कुल क्षेत्रफल (हे.)	उपचारित माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	उपचारित क्षेत्रफल (हे.)	शेष माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	शेष क्षेत्रफल (हे.)
जिला – बालोद							
डौण्डी	11	122	73565.30	47	17496	75	56069.30
डौण्डीलोहारा	15	122	95379.60	30	12680.73	92	82698.87
गुरुर	7	57	45048.80	21	4542.75	36	40506.05
बालोद	6	46	43340.10	21	4476.8	25	38863.30
गुण्डरदेही	20	94	86030.00	38	14955	56	71075.00
जिला – बलौदाबाजार							
सिमगा	13	95	61580.50	28	13845	67	47735.50
बिलाईगढ़	14	120	70179.60	0	0	120	70179.60
भाटापारा	8	71	47037.00	45	17763	26	29274.00
कसडोल	8	56	47686.20	6	4586	50	43100.20
पलारी	6	45	44544.00	0	0	45	44544.00
बलौदाबाजार	9	83	61321.20	12	5000	71	56321.20
जिला – बलरामपुर							
वाड्रफनगर	27	163	128674.00	40	13552	123	115122.00
बलरामपुर	17	121	116813.00	22	4623	99	112190.00
कुसमी	14	131	78902.20	14	3075	117	75827.20
राजपुर	11	83	73267.10	5	3355.05	78	69912.05
शंकरगढ़	13	78	69193.30	0	0	78	69193.30
रामचन्द्रपुर	20	144	123714.00	38	17701.99	106	106012.01
जिला – बस्तर							
बस्तर	16	116	101823.00	59	14405	57	87418.00

विकासखण्ड	कुल मिली जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	कुल माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	कुल क्षेत्रफल (ह.)	उपचारित माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	उपचारित क्षेत्रफल (ह.)	शेष माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	शेष क्षेत्रफल (ह.)
लोहांडीगुड़ा	10	78	59866.10	49	14100	29	45766.10
जगदलपुर	13	88	54778.30	63	10000	25	44778.30
तोकापाल	7	42	36789.10	36	20252.06	6	16537.04
बकावण्ड	15	89	89266.20	72	24503	17	64763.20
दरभा	21	124	105427.00	5	4057.44	119	101369.56
बस्तानार	10	69	49254.60	27	20403.59	42	28851.01
जिला – बेमेतरा							
नवागढ़	44	275	256522.00	73	17976.56	202	238545.44
बेरला	13	126	77796.00	14	4990	112	72806.00
बेमेतरा	11	109	72729.40	16	10132	93	62597.40
साजा	11	98	72708.30	18	4993.46	80	67714.84
जिला – बीजापुर							
भैरमगढ़	60	454	330181.00	21	0	433	330181.00
बीजापुर	23	157	153246.00	67	2559.25	90	150686.75
उसूर	41	289	246650.00	49	0	240	246650.00
भोपालपटनम	39	262	207698.00	0	0	262	207698.00
जिला – बिलासपुर							
पेण्ड्हा	14	99	66723.10	67	21000	32	45723.10
मरवाही	14	109	77904.30	28	14490	81	63414.30
पेण्ड्हारोड	14	84	80200.80	70	19500	14	60700.80
कोटा	8	62	45949.50	9	4373	53	41576.50
बिल्हा	13	104	81489.50	27	10990	77	70499.50
तखतपुर	11	89	72067.30	17	7487	72	64580.30

विकासखण्ड	कुल मिली जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	कुल माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	कुल क्षेत्रफल (ह.)	उपचारित माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	उपचारित क्षेत्रफल (ह.)	शेष माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	शेष क्षेत्रफल (ह.)
मस्तुरी	12	88	61727.20	36	11477	52	50250.20
जिला – दंतेवाड़ा							
गीदम	9	77	54822.20	47	25600	30	29222.20
दंतेवाड़ा	13	90	86216.50	7	3715.89	83	82500.61
कुआकोण्डा	9	68	62455.00	0	0	68	62455.00
कटेकल्याण	10	89	54259.00	6	3977.83	83	50281.17
जिला – धमतरी							
नगरी	13	116	89979.30	36	11073	80	78906.30
मगरलोड	7	47	51417.40	11	4595	36	46822.40
कुरुद	11	74	67720.30	53	14035	21	53685.30
धमतरी	10	83	68659.40	40	13354	43	55305.40
जिला – दुर्ग							
धमधा	16	125	88318.60	10	3620	115	84698.60
दुर्ग	9	80	64183.40	39	13652	41	50531.40
पाटन	17	123	80227.10	43	19655.64	80	60571.46
जिला – गरियाबंद							
मैनपुर	22	152	114723.00	6	3735	146	110988.00
देवभोग	8	64	31441.00	10	5540	54	25901.00
छुरा	15	117	91973.20	0	0	117	91973.20
गरियाबंद	8	74	59786.10	8	4797	66	54989.10
फिंगेश्वर	15	107	82929.10	30	8970	77	73959.10
जिला – जांजगीर–चांपा							
बलौदा	6	41	38758.70	40	18148.94	1	20609.76

विकासखण्ड	कुल मिली जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	कुल माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	कुल क्षेत्रफल (हे.)	उपचारित माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	उपचारित क्षेत्रफल (हे.)	शेष माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	शेष क्षेत्रफल (हे.)
जैजैपुर	13	117	63718.70	47	18120.53	70	45598.17
सकती	7	54	40394.00	45	12324	9	28070.00
मालखरौदा	21	120	101518.00	48	13516.19	72	88001.81
पामगढ़	15	99	87187.20	26	13068.43	73	74118.77
नवागढ़	32	229	180464.00	0	0	229	180464.00
बम्हनीडीह	7	35	38924.30	21	5978.71	14	32945.59
अकलतरा	7	44	39770.10	36	13667	8	26103.10
डभरा	7	45	43575.20	43	19357.76	2	24217.44
जिला – जष्पुर							
बगीचा	15	130	104332.00	67	26961	63	77371.00
फरसाबहार	22	157	102384.00	49	22692.23	108	79691.77
कंसाबेल	25	241	166939.00	37	15560	204	151379.00
मनोरा	13	93	70565.50	43	16550	50	54015.50
जशपुर	7	56	46366.80	9	4480	47	41886.80
दुलदुला	11	85	49023.60	26	10400	59	38623.60
कुनकुरी	25	157	114565.00	12	3880	145	110685.00
पथ्थलगांव	9	65	51253.30	11	6600	54	44653.30
जिला – कांकेर							
दुर्गकोंदल	14	109	83038.30	16	8815.51	93	74222.79
कांकेर	12	90	67481.10	39	6815.83	51	60665.27
चारामा	6	65	52020.20	28	13199	37	38821.20
नरहरपुर	10	72	60388.60	34	12200.83	38	48187.77
भानुप्रातपुर	11	98	76789.70	51	4467.6	47	72322.10

विकासखण्ड	कुल मिली जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	कुल माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	कुल क्षेत्रफल (ह.)	उपचारित माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	उपचारित क्षेत्रफल (ह.)	शेष माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	शेष क्षेत्रफल (ह.)
अंतागढ़	24	189	155393.00	26	6569.91	163	148823.09
कोयलीबेड़ा (पंखाजुर)	10	83	59143.90	28	5797.82	55	53346.08
जिला – कबीरधाम							
बोडला	40	286	185628.00	168	36946.75	118	148681.26
पंडरिया	11	100	77047.80	85	29050	15	47997.80
सहसपुर लोहारा	11	91	66205.50	85	28943.45	6	37262.05
कवर्धा	22	123	95361.50	108	30751	15	64610.50
जिला – कोण्डागांव							
कोण्डागांव	40	286	197792.00	52	20416.61	234	177375.39
केशकाल	16	112	99008.60	7	4700	105	94308.60
माकड़ी	25	164	116901.00	12	2473	152	114428.00
फरसगांव	28	231	142316.00	7	3500	224	138816.00
बड़ेराजपुर	12	78	56532.70	0	0	78	56532.70
जिला – कोरबा							
पोण्डीउपरोड़ा	21	147	134406.00	136	34020	11	100386.00
पाली	19	159	112622.00	107	28432	52	84190.00
कोरबा	42	287	199301.00	69	30025	218	169276.00
करतला	7	52	55403.50	36	12798	16	42605.50
कटघोरा	17	139	87065.10	137	24400	2	62665.10
जिला – कोरिया							
मनेन्द्रगढ़	15	110	79617.10	11	5000	99	74617.10
खड़गवाँ	7	61	50976.60	52	25645.77	9	25330.83
भरतपुर	46	306	234704.00	81	23317.69	225	211386.31
सोनहत	24	178	141813.00	0	0	178	141813.00

विकासखण्ड	कुल मिली जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	कुल माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	कुल क्षेत्रफल (ह.)	उपचारित माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	उपचारित क्षेत्रफल (ह.)	शेष माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	शेष क्षेत्रफल (ह.)
बैकुण्ठपुर	13	92	74085.90	11	5000	81	69085.90
जिला – महासमुद्र							
बागबाहरा	30	252	162157.00	46	18028	206	144129.00
सरायपाली	19	133	97763.80	110	38645.25	23	59118.55
पिथौरा	41	288	214916.00	44	10804.29	244	204111.71
बसना	8	68	66430.00	44	18856	24	47574.00
महासमुन्द	28	228	164004.00	87	39162.51	141	124841.49
जिला – मुंगेली							
पथरिया	7	61	46481.00	11	6663	50	39818.00
लोरमी	12	104	73434.40	6	2190	98	71244.40
मुंगेली	18	115	114968.00	0	0	115	114968.00
जिला – नारायणपुर							
नारायणपुर	9	81	62748.20	12	5026.82	69	57721.38
ओरछा	27	185	131271.00	0	0	185	131271.00
जिला – रायगढ़							
धरमजयगढ़	27	273	192556.00	64	22975	209	169581.00
लैलुंगा	10	70	69781.50	57	18101	13	51680.50
घरघोड़ा	10	99	68195.40	10	4500	89	63695.40
तमनार	10	101	60720.00	32	14730	69	45990.00
रायगढ़	7	50	53906.40	13	6600	37	47306.40
बरमकेला	13	97	57107.10	22	10100	75	47007.10
पुसौर	12	114	68707.20	11	4530	103	64177.20
सारंगढ़	12	115	92082.80	39	11049	76	81033.80
खरसिया	27	273	192556.00	64	22975	209	169581.00

विकासखण्ड	कुल मिली जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	कुल माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	कुल क्षेत्रफल (ह.)	उपचारित माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	उपचारित क्षेत्रफल (ह.)	शेष माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	शेष क्षेत्रफल (ह.)
जिला – रायपुर							
तिल्दा	10	88	74478.40	24	15000	64	59478.40
अभनपुर	9	94	60163.10	22	12961	72	47202.10
आरंग	13	114	90113.30	9	3383	105	86730.30
धरसीवां	10	110	65369.90	10	4792	100	60577.90
जिला – राजनांदगांव							
मोहला	38	335	206752.00	57	19082.5	278	187669.50
मानपुर	14	112	85139.30	42	33392.19	70	51747.11
अंबागढ़चौकी	9	69	54956.30	53	22719.48	16	32236.82
छुरिया	18	118	102055.00	74	28470.4	44	73584.60
छुईखदान	24	160	134679.00	10	6607	150	128072.00
डोंगरगढ़	19	140	104506.00	25	10732	115	93774.00
खैरागढ़	29	197	176334.00	13	5471	184	170863.00
डोंगरगांव	6	46	43313.80	17	10121	29	33192.80
राजनांदगांव	10	89	74294.40	27	8631.5	62	65662.90
जिला – सुकमा							
कोन्टा	19	146	114872.00	46	18000	100	96872.00
सुकमा	18	102	94456.80	63	28206	39	66250.80
छिंदगढ़	18	122	86082.40	0	0	122	86082.40
जिला – सूरजपुर							
ओडगी	11	89	58868.90	13	5706.73	76	53162.17
प्रतापपुर	9	72	62812.50	0	0	72	62812.50
प्रेमनगर	9	71	43191.40	8	5269	63	37922.40

विकासखण्ड	कुल मिली जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	कुल माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	कुल क्षेत्रफल (ह.)	उपचारित माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	उपचारित क्षेत्रफल (ह.)	शेष माइको जलग्रहण क्षेत्रों की सं.	शेष क्षेत्रफल (ह.)
भैयाथान	7	47	47534.30	0	0	47	47534.30
रामानुजनगर	9	68	50509.90	8	2967	60	47542.90
सूरजपुर	10	73	68834.70	11	3907	62	64927.70
जिला – सरगुजा							
उदयपुर	15	97	89047.20	0	0	97	89047.20
लुण्डा	17	130	103663.00	4	3678	126	99985.00
लखनपुर	26	213	164940.00	0	0	213	164940.00
अम्बिकापुर	9	64	60300.80	6	3430.02	58	56870.78
मैनपाठ	4	37	34467.20	10	6612.2	27	27855.00
बतौली	7	47	36976.70	7	4583	40	32393.70
सीतापुर	7	50	42193.00	10	7825.14	40	34367.86
योग	2349	17623	13509489	4746	1660215.6	12884	11849272.9

अनुलग्नक 3 जिलेवार मिली एंव माझक्रो जलग्रहण क्षेत्रों का विवरण पृथक अनुभाग में दिया गया है।

शब्दकोष (Glossary)

छत्तीसगढ़ राज्य परिप्रेक्ष्यक एवं कार्यनीतिक योजना esa iz;qDr rduhdh 'kCnksa gsrq fgUnh
o.kZekyk ds Øekuqlkj
fgUnh&vaxzsth 'kCnkoyh

Glossary of Technical Terms (Hindi-English) used in Chhattisgarh State Perspective and Strategic Plan arranged as per Hindi Alphabets

अकृषि भूमि	Non agricultural land
अतिचारण	Overgrazing
अध्याय	Chapter
अधोसंरचना	Infrastructure
अनाज	Grain
अनुदान	Grant
अनुसुचित जाति	Scheduled Cast
अनुसुचित जनजाति	Scheduled Tribe
अनुच्छेद	Paragraph
अनुमोदित	Approved
अनुलग्नक	Enclosure

अनुश्रवण	Monitoring
अपरदन	Erosion
अपवाह	Drainage
अपक्षरण	Erosion
अभिलेख	Record
अवक्रमित	Degraded
अवनालिका अपरदन	Gully erosion
अवस्था	Stage
अवसादी शैल	Sedimentary rock
अक्षांश	Latitude
आकृति	Form

आंकलन	Assessment
आजीविका	Livelihood
आदिवासी	Tribal
आयुवर्ग	Age Class
आयु वर्गीकरण	Age Classification
आयोजना क्षेत्र	Plan area
उत्पादकता	Productivity
उत्पादन प्रणाली	Production System
उपग्रह	Satellite
उपग्रह ऑकड़े	Satellite data
उपचार प्रकार	Treatment Type
उपचार योग्य	Treatable
उपचारित	Treated
ऊसर	Barren
क्षार	Basin
कार्यषील जनसंख्या	Workforce
कार्यान्वयन	Implementation
कुकुट पालन	Hatchery
कृषि	Agriculture
कृषि- जलवायु क्षेत्र	Agro-Climatic Zone
कृत्रिम गर्भाधान	Artificial insemination
कार्य आयोजना	Working Plan
कारीगर	Artisans

खाद्य फसलें	Foodgrain Crops
खुले वन	Open forest
गरीबी रेखा से नीचे	Below poverty line
गैर वन	Non forest
गैर मानसून अवधि	Non monsoon period
घने वन	Dense forest
जनसांख्यिकी	Demography
जलग्रहण क्षेत्र	Catchment area
जलवायु	Climate
जलोढ़क	Alluvium
जलोढ़ मृदा	Alluvial soil
ढाल / प्रवण	Slope
तालाब	Pond
तालिका, सारणी सूची	Table
दीर्घ अवधि	Long term
देषान्तर	Longitude
नमी सुचकांक	Moisture index
नलकूप	Tubewell
नहर	Canal
निगरानी	Supervision
निरा बोया गया क्षेत्रफल	Net sown area
निरा सिंचित क्षेत्रफल	Net irrigated area
निवल राज्य घरेलू उत्पाद	Net State Domestic Product

निस्सरण	Discharge
पड़ती भूमि	Fallow land
परत अपक्षरण	Sheet Erosion
पात्रता	Entitlement
पठार	Plateau
प्रचलित भाव	Current prices
प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income
पर्वत श्रेणी	Mountain range
पशुधन	Livestock
पशु संगणना	Livestock census
पशु शिविर	Cattle Camp
पक्षी	Birds
पुनर्भरण	Recharging
प्रतिष्ठत	Percentage
प्रयोक्ता समुह	User groups
प्राथमिकता	Priority
प्रारम्भिक चरण	Preparatory phase
पेयजल	Drinking water
बकरी	Goat
बजट संघटक	Budget Component
बागवानी	Horticulture
भारिता	Weightage
भूखण्ड	Tract

भू-जल	Ground Water
भू-जल आंकलन	Ground Water assessment
भू-अपक्षरण / भू-क्षरण	Soil erosion
भू-भाग	Terrain
भूमि संरक्षण / मृदा संरक्षण	Soil conservation
भू- समाकृति	Topograloy
भू-रचना दर्शक मानचित्र	Topographical map
भू-अपक्षरण / भू-क्षरण	Soil erosion
भूमिहीन	Landless
भौगोलिक	Geographical
भौमिकी	Geology
भौमिकीय बनावट	Geological formation
मृदा	Soil
मानचित्र	Map
मछुआरा	Fisherman
मत्स्य	Fish
मापदण्ड	Criterion
मिश्रित वन	Mixed forest
मूल्यांकन	Evaluation
रणनिति	Strategy
राज्य आयोजना	State Planning
रेखा चित्र	Chart
लघु	small

लक्ष्य	Target
वनोपज	Forest Produce
वर्षा सिंचित क्षेत्र	Rainfed area
वर्गीकरण	Classification
विकेन्द्रीकरण	Decentralisation
वित्त पोषण	Financial assistance
वित्तीय समावेषन	Financial inclusion
विपणन	Marketing
विश्लेषण	Analysis
वृद्धि दर	Growth Rate
शैल	Rock
सकल बोया गया क्षेत्रफल	Gross sown area
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	Gross State Domestic Product
स्थिर भाव	Constant Price
संगठनात्मक संरचना	Organizational Structure
संग्रहण	Collection
सघन वन	Dense Forest
समेकन	Consolidation
समेकित	Consolidated
स्व-सहायता समूह	Self Help Group
सर्वेक्षण	Survey

सहकारिता	Cooperation
संस्थागत	Institutional
संस्थापन	Institution
संसाधन सर्वेक्षण	Resources survey
सपष्टिकरण	Empowerment
सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण	Socio-economic survey
सारणी / तालिका	Table
सीमा	Boundary
सीमांत	Marginal
सुगंधित पौध	Aromatic Plant
सूखा उन्मुख क्षेत्र	Drought Prone Areas
सूखा ग्रस्त	Drought affected
सुदूर संवेदन	Remote sensing
हितग्राही	Beneficiary
क्षमता निर्माण	Capacity Building
क्षेत्रवार	Sector wise
क्षेत्रफल	Area
क्षेत्रीय कार्य	Field work
क्षैतिज	Horizontal
त्रुटि	Error
श्रेणी	Series

संदर्भ (References)

छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप – 2009 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़।

State Report - 2006 On Hydrology of Chhattisgarh By Central Ground Water Board NCCR Raipur.

छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2010 – 11 (Q) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर।

वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धान्त” –2011.

छत्तीसगढ़ विस्तृत अध्ययन, विरेन्द्र सिंह –2009

कृषि सांख्यिकी सारणी वर्ष – 2011, कार्यालय भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर।

भारत की जनगणना–2011 जनसंख्या के अनन्तिम आँकड़े।

एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम, महत्वपूर्ण परिपत्रों का संकलन वर्ष –2011, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़।

National Rural Livelihood Mission Chhattisgarh State Perspective and Implementation Plan (2011-16)

Chhattisgarh State Agriculture Plan (2012-13)

National Horticulture Mission and Action Plan (2005-06)

Chhattisgarh Biodiversity Strategy and Action Plan (CBAP)